महानगर नई दिल्ली बुधवार 4 मार्च, 2020, रु. 5.00 (12 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश के शामली जिले से पकड़ा

पिस्तौल तानने वाला शाहरुख गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 मार्च।

दिल्ली हिंसा के दौरान एक पुलिसकर्मी पर पिस्तौल तानने वाले शाहरुख नाम के फरार युवक को मंगलवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 23 साल के शाहरुख को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की टीम ने उत्तर प्रदेश के शामली जिले से गिरफ्तार किया।

शाहरुख ने 25 फरवरी को दंगा प्रभावित जाफराबाद इलाके में कई राउंड गोली चलाकर दहशत फैला दी थी। इसी दौरान उसने पुलिसकर्मी दीपक दहिया पर पिस्तौल तान दी थी। दीपक दहिया की शिकायत पर उसके खिलाफ जाफराबाद थाने में 26 फरवरी को धारा 186, 353, 307 के साथ 25/27 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

अपराध शाखा के बाकी पेज 8 पर

ताहिर अब भी फरार

नई दिल्ली, 3 मार्च (जनसत्ता संवाददाता)।

भड़के दंगों के एक अन्य आरोपी ताहिर हुसैन को दिल्ली पुलिस अब तक पकड़ नहीं पाई है। आप के पूर्व नेता ताहिर के घर की छत से बड़ी तादाद में पेट्रोल बम व अन्य आपत्तिजनक सामग्री मिली थी। आइबी अधिकारी की हत्या मामले में भी उसका नाम है।

नोएडा में कुछ दिनों के लिए दो स्कूल बंद

कोरोना का डर

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 3 मार्च।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक शहर के एक स्कूल के तीन बच्चों समेत छह लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण मिलने की जानकारी मिली है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सेक्टर-135 स्थित श्री राम मिलेनियम स्कूल का दौरा किया। यह जानकारी मिलने के बाद केंद्र सरकार की एक टीम भी श्री राम मिलेनियम स्कूल पहुंची। नमूनों की जांच रिपोर्ट अभी नहीं आई है लेकिन स्कूलों को पूरी तरह से कीटाणु मुक्त (सेनेटाइज) करने के लिए तीन दिन तक बंद रखा जा रहा है। स्कूल के पांच बच्चों को उनके घर में ही अलग (आइसोलेट) रखा जा रहा है। वहीं, सीएमओ अनुराग भार्गव ने बताया कि एक अन्य शिव नाडर स्कूल ने एतिहातन स्वतः ही 9 मार्च तक स्कूल बंद रखने की सूचना दी है।

कोरोना वायरस को लेकर जिला प्रशासन ने हेल्प नंबर जारी किए हैं। बुखार, जुकाम और सांस लेने में दिक्कत होने पर इन नंबर पर फोन कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर पर जाकर ऐसे संदिग्ध मरीजों के नमूने लेगी। बाकी पेज 8 पर

हैदराबाद के एक अस्पताल में अमेरिका से लौटी एक युवती की मंगलवार को जांच करते चिकित्सा अधिकारी

देश में छह मामले, आगरा से छह अन्य के नमूने पुणे भेजे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 मार्च।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से मंगलवार को इटली से जयपुर आए पर्यटक को कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि की गई है। मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि मरीज को अस्पताल में अलग कर दिया गया है और उसकी तबीयत स्थिर है। जयपुर स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इटली पर्यटक की पत्नी में बाकी पेज 8 पर

पुख्ता नहीं थर्मल स्क्रिनिंग से कोरोना की जांच

सुशील राघव
नई दिल्ली, 3 मार्च।

देश के 21 हवाई अड्डों और 77 बंदरगाहों पर की जा रही थर्मल स्क्रिनिंग से तुरंत नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण का पता नहीं चलता है। थर्मल स्क्रिनिंग की कुछ बंदिशें हैं, यही कारण है कि कोरोना के संभावित पीड़ित पकड़ में नहीं आ पाते हैं। इस जांच प्रणाली से हवाई अड्डे पर दो मार्च तक 5.70 लाख से अधिक लोगों की स्क्रिनिंग की जा चुकी है। इसके बाद भी तीन लोग कोरोना से संक्रमित मिले हैं जिनमें से एक दिल्ली, दूसरा तेलंगाना और तीसरा जयपुर में इतावली पर्यटक का है।

मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक हवाई अड्डों या बंदरगाहों पर थर्मल स्क्रिनिंग के जरिए लोगों के शरीर के तापमान की जांच होती है। कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के लक्षण सामने आने में कुछ दिन लग जाते हैं। ऐसे में संक्रमित व्यक्ति, जिसका तापमान सामान्य है, थर्मल स्क्रिनिंग से बचकर निकल सकता है। अधिकारी के मुताबिक थर्मल स्क्रिनिंग से व्यक्ति के बुखार के बारे में पता चलता है, कोरोना बाकी पेज 8 पर

संरा मानवाधिकार उच्चायुक्त के कदम पर भारत की तीखी प्रतिक्रिया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 मार्च।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को दो-टूक कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) भारत का आंतरिक मामला है और देश की संप्रभुता से जुड़े मुद्दे पर किसी विदेशी पक्ष का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं बनता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के उच्चायुक्त कार्यालय की ओर से सीएए को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने को लेकर तीखी प्रतिक्रिया जताई। संरा संस्था ने सुप्रीम कोर्ट से संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) पर सुनवाई में हस्तक्षेप का आग्रह किया है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (ओएचसीएचआर) ने कहा है कि इस मुद्दे पर सुनवाई में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून, मानदंडों और मानकों पर भी विचार करने की जरूरत है। यह अर्जी संरा मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बैश्लेट जेरिया ने दायर की है। इसमें कहा गया है कि वह इस मामले में मानवाधिकारों बाकी पेज 8 पर

सीएए हमारा आंतरिक मामला

कहा कि सीएए भारत का आंतरिक मामला है और भारतीय संसद के पास कानून बनाने की ताकत है।

दिल्ली दंगों पर चर्चा को लेकर संसद में फिर हंगामा, गतिरोध कायम

इस बीच ही अध्यक्ष ने बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020 पेश कराया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 मार्च।

दिल्ली में हुए दंगों पर चर्चा कराए जाने की विपक्ष की मांग को लेकर संसद में लगातार दूसरे दिन मंगलवार को भी हंगामा, नारेबाजी और धक्कामुक्की के बीच गतिरोध कायम रहा। विपक्ष ने दावा किया कि इस विषय पर पूरी दुनिया बोल रही है लेकिन सदन को बोलने नहीं दिया जा रहा है। इस मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा को दो-दो बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया।

लोकसभा में हंगामे के दौरान कुछ समय के लिए सत्ता पक्ष व विपक्ष के कुछ सदस्यों के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति भी देखी गई। कांग्रेस सहित कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने वेल में आकर हंगामा किया और कागज फाड़ फाड़कर अध्यक्ष के आसान के आसपास फेंकते रहे। हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर होली के बाद चर्चा कराने को तैयार है।

राज्यसभा में भाजपा सांसद भूपेंद्र यादव ने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा कराने का निर्णय सभापति पर छोड़ दिया जाना चाहिए। दोनों सदनों में इस मुद्दे पर बाकी पेज 8 पर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हंगामा कर रहे विपक्ष के सदस्यों की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये लोग उन छोटे निवेशकों की मांग दबा रहे हैं जिन्होंने कठिनाइयों का सामना किया है।

होली के बाद चर्चा कराने को तैयार सरकार

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, देशहित को ध्यान में रखते हुए मैं व्यवस्था देता हूं कि होली के बाद 11 मार्च को इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। होली सौहार्दपूर्ण तरीके से मननी चाहिए। सरकार इस विषय पर चर्चा को तैयार है। इस दौरान विपक्ष के सदस्य असंतोष प्रकट करने लगे। अध्यक्ष बिरला ने कहा कि सदन चर्चा के लिए होता है, वाद-विवाद के लिए नहीं।

अधीर रंजन चौधरी के कर्मचारी से मारपीट

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 मार्च।

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के दिल्ली के हुमांयू स्थित निवास पर मंगलवार शाम चार अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की और उनके कर्मचारी के साथ मारपीट भी की। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक चौधरी को आबंटित सरकारी निवास के साथ लगे उनके कार्यालय में शाम 5.30 बजे चार अज्ञात लोग पहुंच गए और उनके कर्मचारियों से उनका मोबाइल नंबर मांगा। पुलिस के मुताबिक जब कर्मचारियों ने उनको चौधरी का नंबर देने से इनकार कर दिया तो चारों ने मिलकर कर्मचारियों से मारपीट की। चौधरी के निजी सचिव प्रदीपो राज पंडित ने इस बाबत दिल्ली पुलिस में शिकायत बाकी पेज 8 पर

लोकपाल : सरकार ने शिकायत दाखिल करने के प्रारूप जारी किए

नई दिल्ली, 3 मार्च (एजंसी)।

सरकार ने लोकपाल की नियुक्ति के 11 महीने बाद उसके समक्ष प्रधानमंत्री समेत लोकसेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत दाखिल करने के लिए प्रारूप जारी किया है। इसके तहत पूर्व और वर्तमान प्रधानमंत्रियों के खिलाफ लोकपाल की पूरी बैंच सुनवाई की संस्तुति करेगी और यदि बैंच इस मामले को खारिज करती है तो उसके लिए कारण बताने को बाध्य नहीं है। कार्मिक मंत्रालय के आदेशानुसार सभी शिकायतकर्ताओं को अन्य बातों के अलावा गैर न्यायिक स्टैंप पेपर पर हलफनामा देना होगा कि 'कोई भी झूठा और ओछी या चिढ़ाऊ शिकायत दंडनीय है। इसके लिए एक साल तक की कैद की सजा और एक लाख रुपए तक जुर्माना होगा।' शिकायत डाक के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से साधारण तौर पर अंग्रेजी में की जा सकती है जिसका तौर तरीका लोकपाल ने तय कर रखा हो।

कार्मिक मंत्रालय के आदेश के बाकी पेज 8 पर

सोशल मीडिया महिलाओं को सौंपा जिम्मा, प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा

प्रेरक महिलाओं की गाथाएं साझा करें

महिला दिवस की तैयारी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 मार्च।

सोशल मीडिया अकाउंट छोड़ने पर विचार करने के ट्वीट को लेकर जारी अटकलों पर विराम लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि वह आठ मार्च को अपना सोशल मीडिया अकाउंट उन महिलाओं को सौंपेंगे, जिनका जीवन व कार्य प्रेरणा देने वाले हों। उन्होंने लोगों से ऐसी महिलाओं की गाथा उनके साथ साझा करने का अनुरोध किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उस रहस्य से पर्दा हटा दिया कि सोशल मीडिया छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। करीब 16 घंटे पहले सोमवार बाकी पेज 8 पर

भाजपा संसदीय दल की बैठक में पीएम ने कहा, इसके लिए पहली जरूरत एकता और सौहार्द

विकास है हमारा मंत्र : मोदी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 मार्च।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशहित को पार्टी हित से ऊपर बताते हुए भाजपा सांसदों से मंगलवार को कहा कि विकास हमारा मंत्र है और इसकी पहली आवश्यकता एकता व सौहार्द है। इसलिए सभी को समाज में शांति, सद्भाव और एकता बाकी पेज 8 पर

www.readwhere.com

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

It is general information that I, Sunil Saini S/o Sh.Rajender Singh Saini R/o H.No.-682, Nangloi, Delhi-110041, inform that name of my son has been wrongly written as Kartic Saini in army record, but the correct name of my son is Kartik Saini.It is certified that I have complied with others legal requirements in this connections-Sunil Saini.
0040534345-7

I, Vinod S/O Ram Chandra Thakur R/O-1191-92 K-Block Jahangirpuri Bhalaswa Ns Mandi Delhi-110033. Changed My Name To Vinod Thakur.
0040534319-1

I, VIKASH SINGH S/o Kumar Singh R/o D-28A, Rajpur Khurd Colony, Chattarpur, Delhi-110068 have changed my name to VIKAS SINGH.
0040534353-2

I, Tushar S/o Sanjay Gupta R/o D-16/91 Sector-3 Rohini Delhi-110085 changed my name to Dhruv Gupta. 0040534330-1

I, Trimohan Singh Yadav R/o-Village-Ahamadpur Pawan, Prayagraj,Uttar Pradesh-212208 have changed,my daughter's name,from Gungun Singh to AKANKSHA vide,affidavit dated-03/03/2020 before,Notary Public,Delhi. 0040534347-4

I, Tasneem Begum W/o Sabir Ali Khan, R/o. E-3/45, Street-1, Ansar Gali, Ramesh Park, Laxmi Nagar, Delhi-92 Changed my name to Tasneem. 0040534257-1

I, Sushil Kumar, s/o Gaya Prasad Upadhyay,R/o-Bharat Appartments,D2-UG-4, chander-Nagar,Near-Raghunath-Mandir, Ghaziabad, UP-201010, have changed my name, from Sushil Kumar to Sushil Upadhyay,for future.
0040534377-4

I,Megha Agarwal W/O Vipul Agrawal R/O-A-2, Sector-36, Noida, GautamBudh Nagar, U.P.,have changed my name to Megha Agrawal Permanently. 0040534347-7

I, Sunder alias Sharlender Kumar S/o Late Sh.Raghubir R/o House No.93, Near Harijan Chopal, Bakkar Wala, West Delhi, Delhi-110041 have changed my name to Sunder for all purposes. 0040534264-3

I, Sudarshan Singh S/o Late Dhani Ram R/o F-10, Adhyapak Nagar, Nangloi, Delhi-110041 have changed my name to Darshan Singh.
0040534340-4

I, Simranbir Singh Amarbir Singh Bharara S/O Amarbir Singh Ajitsing Bharara R/O-44-B, II-Floor, Block-J3, Rajourigarden, Delhi-110027. Changed My Name to Simranbir Singh. 0040534357-6

I, Shivam Vaish S/o Ramesh Chandra Vaish R/o-GF-2, Ahlcon-Apartment, Sector-3, Vaishali, Ghazibad,UP-201010, have changed my name to Shivam Vaishya, Permanently.
0040534347-3

I, Shashikant Prabhakarrao Shirapurakar S/o Prabhakar Shirpurkar R/O H.No240A, UF-2, Sector-4, Vaishali, Ghaziabad, U.P.-201010, have changed my name to Shashikant Prabhakar Shirpurkar. 0040534204-10

I, Sharon Pradhan W/O Rajesh Pradhan R/O-172, Vasant-Enclave, VASANT-VIHAR-1 South/West Delhi-110057 Have Changed My Name To Sharon Zorini Pradhan, For All Future Purposes.
0040534353-4

I, Shabeer S/o Mohd. Shahzada R/o J-3A/29A, Khirki Extn. Malviya Nagar, New Delhi-110017 have changed my name to Mohd. Shabeer for all purposes. Also inform that my wife name wrongly written in my Passport No.H9134682 as Shazda Khaton instead of Shajda.
0040534265-2

I, Satyanarayan Mittal S/O Suraj Bhan Mittal S/O-J/118, Adhyapak-Nagar, Nangloi, Delhi-110041. Changed My Name To Sat Narain Mittal.
0040534319-5

I, Sarika Garg W/o Rajesh Garg R/o Flat No.509, Royal Block, Super Tech Estate Sector-9, Vaishali, Ghaziabad- 201012 (U.P.) have changed my name from Sarika Garg to Sarika Jain for all purpose. I state that Sarika Garg and Sarika Jain are same person.
0040534277-1

I, Sarajeet Kaur W/o Swarn Singh R/O-H.No.7 Gali No.7, Block-5 Geeta Colony Delhi-110031, have changed my name to Sarvjeet Kaur for all purposes. 0040534309-2

I, Sarabjeet Kaur W/o Swarn Singh R/O-H.No.7 Gali No.7, Block-5 Geeta Colony Delhi-110031, have changed my name to Sarvjeet Kaur for all purposes. 0040534309-3

I Prem Nath Sah S/o Asharphy Lal Sah R/o Bangra, Saran, GS Bangra, Bihar-841412, have changed my name to Prem Nath Gupta 0070701254-1

I Simran Bhatia W/o Kulpreet Singh R/o-2720 Sector-3 Rohtak Haryana-124001, Changed My Name To Simran Kaur. 0040534330-8

व्यक्तिगत

I, Sanjay S/o Peetam Singh R/o-Plot-4/7, Flat-14, Rajendra -Nagar, Sector-2, Sahibabad, Ghaziabad have changed my name to Sanjay Choudhary.
0040534330-7

I, Sanjay Khatri S/o Rajinder Singh Khatri, R/o-172-173, 2nd-Floor, Pocket-12, Sector-24, Rohini, Delhi,have changed the name of my minor daughter'from Simran Khatri to Veronika Khatri.
0040534357-7

I, Sabiha W/o Intezar Ali R/o-174 A-J Extn., Laxmi Nagar, Delhi-110092. have changed my name to Sabia Begum.
0040534345-1

I, SUMIT KUMAR S/o PARMESH-WAR SAHANI R/o Vill. Bishanpur, Ward-4, Madhubani, Bihar-847102 Present Add:Jhuggi No.S-105/117-B, ArjunCamp, Mahipal pur, N.Delhi-110037, have changed my name to MADHU SAHANI. 0040534340-6

I, Rakesh S/o Manni Lal R/o AC-164A, Shalimar Bagh, New Delhi-110088 have changed my name to Rakesh Kumar permanently. 0040534340-3

I, Ritika Grover W/o Sh.Rajesh Grover R/o H.No.B-287, Lok Vihar, Pitampura, Delhi-110034 have changed my name to Neelam Grover for all purposes. 0040534264-1

I, Ravish Usman Rizvi S/o Noshina Rizvi R/o-J-3A/11, Khirki Extention, Malviya-Nagar, New Delhi-17 have changed my name to S Ravish Usman Rizvi, for all purposes. 0040534345-9

I, Ramesh Chand Ramu alias Ramu Bidhuri S/o Late Sh.Hazari Lal R/o 58, Khizrabad, New Friends Colony, New Delhi-110025 have changed my name to Ramesh Chand Ramu for all purposes. 0040534264-2

I, Radha W/O Naresh R/O 18, Yudhvir Wali Gali, Kushak Hiranki Alipur, Delhi-110036. Have Changed My Name To Radha Devi. 0040534319-4

I, Priya Saini W/o Sh. Sagar Saini R/o 176, A-3, GK-1, Indirapuram, Ghaziabad, UP, have changed my son's name from Sidhant Saini to Sidhhant Saini for all future purposes. 0040534308-1

I, Praveen Yadav / Praveen Kumar S/o Kanwar Singh R/o Pg142 FFPG Block Possangipur Janakpuri ND-58 have changed my name to Praveen Rao for all purposes.
0040534316-1

I, Pratipal Sharma S/o Rajeev Kumar Sharma R/o-H.No.-163, Mangal Bazar, Laxmi Nagar, Delhi-110092 have changed my name to Ajay Sharma.
0040534275-1

I, Poonam W/O Krishan R/O 221, Village Lath, Tehsil Gohana, Sonipat-131301. Have Changed My Name To Poonam Devi. 0040534357-5

I, Pankaj Jain, S/o Mahesh Chand Jain,R/o-C-288, Chankya-Marg, Chhajjupur, Babarpur, Shahdara, Delhi-110032,inform that Pankaj Jain & Pankaj Both are one & the same person.
0040534357-2

I, Noor Jahan Begum W/o Afaq Ahmed R/o 2170, Gali Addan, Pahari Bhojla, Delhi-110006 have changed my name to Noor Jahan for all purposes.
0040534266-1

I, Nikhilesh Swamy S/o Erukula Kumaril Swamy R/o S2-52, Bharti Artists-Colony, Vikas-Marg, Delhi-110092. have changed my name Nikhilesh to Nikhilesh Swamy,for all purposes. 0040534330-4

I, Nassir A Saifi S/o Anis Ahmed Saifi R/o-H.No.RC-74, Deepak Vihar,Khoda Colony,Ghaziabad,U.P.-201001,have changed my name to Nasir Saifi.
0040534347-2

I, Narender Kumar S/O Mithan Lal R/O-4350, Budh-Nagar, Trinagar, Delhi-110035. Have Changed My Name To Narender. 0040534319-2

I, Narender Khantwal S/o Madhu Sudan Lal Khantwal R/o-C-46 Main Kanti Nagar Delhi-110051, have changed my minor daughter name from Jyoti (13-Years) to Namami Khantwal for all purposes. 0040534309-1

I, NEETIKA TOMAR W/o Sh.Abhishek Saini R/o-3/319, DDA-Flats, Kalkaji, New Delhi-110019, have changed my name to NEETIKA SAINI. for all purposes. 0040534345-10

I, Mukesh Kumar Sharma S/o B.k.sharma R/o I-570, 5th Avenue, Gaur City, Greater Noida West have changed my name to Mukesh Sharma for all purposes. 0040534283-1

I, Lizy Verghese W/o Mr. Abraham Verghese R/o Theckemuriyil House, Keezhvaipur, Mallappally, Pathanamthitta, Kerala, Pin-689587 have changed my name Leelamma Varghese to Lizy Verghese for all future purposes. 0040534291-1

I,Shivangi D/O Mr. Raman Kumar Chhabra R/O -B-358/CD,Street no. 4,Majlish Park Adarsh Nagar, Delhi-110033. Have changed my name to Shivangi Kathuria For all purposes.
0040534331-1

I,Amit Titoria s/o late Shri Subhash chand Titoria R/oBlock-I , Houseno-66, 2nd-Floor, sector-41, Noida, Distt-GB.Nagar have changed my name to AMIT KUMAR TITO-RIA. 0040534322-1

I, Laxmi Narain S/O Jai Kishan R/O-804/48, Lekhu-Nagar, Trinagar, Delhi-110035. Changed My Name To Laxmi Narayan Goel. 0040534319-3

I, Kunal Swamy S/o Erukula Kumaril Swamy R/o-52 Bharti Artists-Colony, Vikas-Marg, Delhi-110092 have changed my name Erukula Kunal to Kunal Swamy, for all purposes. 0040534330-3

I, Kumari Kanchan D/o-Mahender Kumar R/o-Smq-171/5,Madhur Millan Complex,New Pinto Park,13Brd,AirForce,Palam,New Delhi-110010 have changed,my name,from Kumari Kanchan to Kanchan vide,Affidavit Dated-03/03/2020 before,Notary Public,Delhi. 0040534347-6

I, Khatoon Begum W/o Mohd. Bashir R/o 1043, Phatak Ram Kishan Dass, Chitli Qabar, Jama Masjid, Delhi-6 have changed my name to Khatoon Sultanam. 0040534305-1

I, Iram Parven W/o Khurshid Alam R/o E-12/2A, Hauz Rani, Malviya Nagar, New Delhi-110017, inform that my name wrongly written in my daughter (Ibra Praveen) Birth Certificate as Rani instead of Iram Parven. 0040534265-1

I, Dolly Gupta D/o Ram Babu Prasad W/o Amrit Kumar R/o H.No.A-36, Preeti Vihar, Delhi-110092 have changed my name to Dolly Shah.
0040534340-5

I, Divya Sharma W/o Shashi Kant Sharma R/o-103, Ist-Floor, Plot-B-43-D, Old DLF-Colony, Gurgaon, Haryana-122001, have changed my name to Anjali Sharma.
0040534340-2

I, Dimple Champakbhai Mehta W/o Kaushal Hasmukhray Meghani R/o-202, C4F-Block, Janakpuri, N.Delhi-110058, have changed my name to Dimple Kaushal Meghani after-marriage. 0040534340-1

I, Chirag S/o Ravi Khurana R/o-RZ-48, A-Block, Gali No.3, Syndicate-Enclave, Raghu-Nagar Delhi-110045, Change my name to chirag Khurana permanently. 0040534353-1

I, Avneet Kaur D/o Late Sh.Gurmeet Singh Gambhir R/o-House.No.C-534, Sector-19, Noida, District-Gautam Budh Nagar, U.P.-201301,have changed my name to Avneet Kaur Gambhir for all future purposes. 0040534307-1

I, Aslam Hussain S/O Sadik Husen R/O-M-240, Block-M, J.J.Colony, Sabda Nangloi, Gheora, Delhi-110081, Have Changed My Name To Aslam Husen. 0040534345-5

I, Aslam Husen S/O Sadik Husen R/O- M-240, Block-M, J.J.Colony, Sabda-Nangloi, Gheora, Delhi-110081 inform that in my passport/old aadhar card my father name is wrongly written as Sadiq Hussain but actual and correct-name is Sadik Husen as per my school certificate.
0040534345-6

I, Ashmeet Kaur, D/O Late Shri.Kuljeet Singh R/O-C-1/1001, Neel Padam Kunj, Sector-1,Vaishali, Ghaziabad, UP,have changed my name to Ashmeet Kaur Pasreecha.
0040534357-1

I, Ashish Kumar S/o Sh. Sudhir Kumar Sehrawat H.No.593/13, Arya-Nagar, Gali No.6, Bhadurgarh Distt.Jhajjar (Haryana)-124507, have changed my name to Ashish Kumar Sehrawat.
0040534319-8

I, Amit Kumar S/o. Sh.Samar Bahadur Pandit R/o.176/8, First-Floor, Rly.Colony Delhi. Kishan-Ganj Delhi-110007. have changed my name to Rajveer Kumar permanently.
0040534319-10

I, Amar Singh S/o Sh. Bhoj Raj Singh H.no. 189, Village Gurgaon Gaon, Near Singha Chowk Gurgaon Hr. I have change my son name from Punit to Puneet Rajawat for all purposes. 0040534327-1

I, Aditya Kumar Jha S/o Ashok Kumar Jha R/o-RZ31, 3rd-Floor, Right-Side, Gali.No.3, Kh.No.30/3/1, Vaishali Colony Ext. Delhi-110045. changed my name to Aditya Jha.
0040534345-2

I, Hari Prasad Aryal S/o Khageshvar Sharma H.No.1006, Rajpur, Vrindavan, Mathura, UP have changed my name to Hari Prasad Sharma. 0040534330-5

I hitherto known as Sanya Kakkar D/O Anju Kakkar R/O-547 Janta-Flats Pocket-3 Paschimpuri New Delhi-110063. have changed my name and shall hereafter be known as Sanya Arsh Bhalla.
0040534319-7

I Yash Madaan S/O Jinda Ram Madaan R/O H.No-9/124 9-Block Geeta Colony Delhi-110031. Changed My Name To Yash Pal Madaan. 0040534353-6

I Ashish Pruthi S/o Dewan Chand Pruthi Add-m-255 greater-kailash part-II new delhi-110048, changed my name to Aashish Pruthii.
0040534319-9

I Akriti Bhagat D/O Rajesh kumar Bhagat Resident-C-164, Nehru Vihar Delhi-110054. have changed my name to Aakriti Bhagat. 0040534345-4

I, Purushottam Aryal S/o Hari Prasad Sharma H.No.1006, Gopal-Khar Rajpur, Chamunda-Colony, Vrindavan, Mathura, UP-have changed my name to Purshottam Sharma. 0040534330-6

व्यक्तिगत

तरूण गुप्ता/लवलीन गुप्ता पुत्र हरी कृष्ण गुप्ता दोनों नाम एक ही हैं। पता- EWS/242, Sec-G, जानकीपुरम, लखनऊ।

I Tarvinder Bhatia W/o Akhil Bhatia R/0-37/27 East Patel Nagar Delhi-110008, Changed My Name To Tarvinder Kaur.
0040534330-9

I Shiv Ratan Singh Kushwah S/O, Late Lajja Ram Kushwah R/o C-19 Panchsheel Enlave Loni Road Bhopura Ghaziabad UP-201005. have changed my name to Shiv Ratan Singh
0040534315-1

I S.Priyanka D/o Sushil Kumar R/o-179, Sector-11, Vasundhara, Ghaziabad, have changed my name to Priyanka Sushil. 0040534330-2

I Ruhina Khanam W/O Shri Ahatsham Khan R/O-A-2241 Greenfield-Colony Faridabad. Have Changed My Name, From Ruhina Khanam To Ruhina Khan. 0040534353-7

I Naresh Sadhanaa S/O, Mr Tirath Ram Sadhana R/O J 222 Lic Colony Paschim Vihar New Delhi have changed my name to Naresh Sadhana for all purposes. 0040534313-1

I Mohd.Chaman S/o Haji Abdul Wahid R/o-7134, Gali-Teliyan, Quresh-Nagar, Delhi-110006. have changed my name to Mohd. Shamim, for all purposes. 0040534319-6

I Jyotsana Singh aged 51-years, D/o Late Shri.Harsharan Singh Malhan and W/o Shri.Arjun Sharma, R/o-27, Sunder-Nagar, New Delhi-110003, have changed my name as Jyotsana Sharma after-marriage.It is stated that Jyotsana Sharma, Jyotsna Harsharan Singh & Jyotsana Singh is the one & the same person.
0040534353-3

I Jagjit Kaur w/o Gurpreet Singh Gujral r/o 6/6 Shiv Puri Extn,Krishna Nagar Delhi-110051 Have Changed My Name to Jagjeet Kaur Permanently 0040534290-1

I Hitherto known as Aziza Rehman D/o Jamil Ahmed W/o Atiqur Rehman R/o-14 Satti Mohalla, Roorkee Haridwar, Uttarakhand-247667 india have changed my name and shall hereafter be known as Aziza Khanam 0040534309-6

I Birender Adhikari S/O Dharam Singh Adhikari H.No-L-416/L-205a Saurabh-Vihar Jaitpur-Badarpur Delhi-110044, Changed My Name To Birender Singh Adhikari.
0040534353-5

I Binish Kaur Lamba W/O Navjeet Singh Lamba R/O-C-2/129, Ashok-Vihar Delhi-110052. Have Changed Name Of My Minor Son, From Kabir Lamba To Kabir Singh Lamba.
0040534330-10

I Binish Kaur Lamba W/O Navjeet Singh Lamba R/O-C-2/129, Ashok-Vihar Delhi-110052. Have Changed Name Of My Minor Daughter, From Amaira Lamba To Amaira Kaur Lamba. 0040534345-3

I Ishan Upadhyaya S/O Mr.Anoop Kumar Upadhyaya R/o 3/204,Vipul Khand Gomtinagar,Lucknow would like to inform that now onward I should be known as Ishan Upadhyaya instead of Ishan Anoop Upadhyaya.
0060073308-2

I Braham Jit Singh S/o Mehar Singh R/o village and post Kherla, Gurugram inform that i have changed my son name from Harsh kumar Singh to Harsh kumar Raghav for all future purposes.
0040534289-1

संपत्ति

Required built up property of approx 150 square yards in North Delhi to run a Charitable School by a Trust. Ph: 011-27315276
0040534293-1

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I RAJINDER KUMAR S/o SITA RAM residing at B-475, CHHATTARPUR EXTENSION NEW DELHI-110074 declare that name of mine my son has been wrongly written as RAJENDER KUMAR in my son's aged 18/05/2002 Educational documents Secondary Certificate No. serial Number:- 1058401 Roll Number:- 8236547 the actual name of Mine is RAJINDER KUMAR respectively which in my be amended accordingly.
it is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

सार्वजनिक सूचना

जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री जयन्ती प्रसाद गोविल पुत्र स्व श्री कठेरमल निवासी बी-14,रामपुरी,सूर्य नगर के समीप, गाजियाबाद, द्वारा एक मुख्तारनामा जिसका रजिस्टर्ड लेजर नं.4, जिल्द-1501, पृष्ठ-357-374,क्रमांक-3369, दिनांक 11/05/2018 सब रजिस्ट्रार-कार्यालय-IV, गाजियाबाद के समक्ष श्रीमती अर्चना गुप्ता पत्नी श्री संजीव कुमार गुप्ता के नाम पर पंजीकृत कराया गया था जिसको मेरे मुवक्किल द्वारा 27/02/2020 को रद्द करा दिया गया है और साथ ही वसीयत, जिसकी पंजीकृत लेजर सं.3, जिल्द-281, पृष्ठ-281-298, क्र.सं.423, दिनांक: 22/07/2016 सब-रजिस्ट्रार-II, गाजियाबाद के समक्ष पंजीकृत थी, को भी मेरे मुवक्किल द्वारा 27/02/2020 को रद्द करा दिया गया है।
इसलिए, यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त 'मुख्तारनामा' और 'वसीयत' के आधार पर सौदा या समझौता करता/करती है तो इस तरह का सौदा या समझौता अवैध होगा और मेरा मुवक्किल इस सम्बन्ध में किसी भी तरह से बाध्य नहीं होगा।

Sd/-
एडवोकेट अनुराग पालीवाल
Enrol No. D/4695/2019

खोया+पाया

It is notified that I have lost my original allotment letter of Flat A-108 Prateek Laurel Sector-120, Noida. Finder may contact Awadhesh Narain Verma s/o Ram Achal Verma R/o A-1702 Simran Sapphire CHS Sector-34C Kharghar Navi Mumbai Ph: 8637234306
0040534284-1

Lost My Original Licence No-38DM/DODA, Certificate Of 0.32, Revolver No-51298 MK-III from Field Gun Factory Kanpur-Uttar Pardesh, Dt-01-01-2020 Finder May Contact Suman Malik:7056435268
0040534357-8

Lost Plot Buyer's Agreement of Plot No.473, B-Block, Sushant-Lok-1, Gurugram, Haryana Dt.14.07.1986. FIR (SO.No:430/2014 Delhi Police, LR-No:1113820/2019) is lodged on-04.06.2019. Finder may contact to BIMLA RANI w/o Satya Pal Arora on-8588831412. 0040534357-9

I, Rahul Kumar S/o Mohan Lal,have lost my original Perpetual Lease Deed of Plot-C-7/46, Pocket-7, Sector-7, Rohini, Delhi-110085. Finder Contact-9582342837.
0040534353-10

It is notified for the information that my original qualifying examination certificate of main Senior Secondary Examination of class-XII, year-2016, Roll-No-9647389 issued by CBSE has been actually lost. Sonia,D/o umesh prasad, R/O-B-272, gali no.2, khubram-Park, prem-nagar-1, kirari, delhi-110086.
0040534357-11

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किलगण कृपाल सिंह पुत्र श्री जमादार सिंह व इनकी पत्नी मीना देवी निवासीगण 73-ए, गली नं. 8, ए-ब्लॉक, स्वरूप विहार, दिल्ली-110036 ने अपने पुत्र पुष्पेन्द्र तोमर एवं पुत्र वधू बिन्नी उर्फ आरजू को उसके दुर्व्यवहार व कहना न मानने व ससुराल वालों के बहकावे में आने के कारण एवं गलत चाल चलन की वजह से अपनी समस्त चल अचल संम्पत्ति से बेदखल कर संबंध-विच्छेद कर लिये हैं। भविष्य में इनके किसी भी आपराधिक एवं दीवानी कार्य व लेन देन के लिए मेरे मुवक्किलगण व उसके परिवार के सदस्य जिम्मेदार नहीं होंगे।

राजीव प्रताप सिंह तोमर
एडवोकेट

PUBLIC NOTICE

Public at large is informed that my clients **Jitender Kumar** son of Shri Baldev Raj & **Smt. Geeta** wife of Shri Jitender Kumar both R/O House No. L-9, Second Floor, Rama Park Road, Mohan Garden, Uttam Nagar, New Delhi-110059, have disowned/ debarred their elder son namely **GAURAV GANDHI** & his wife namely **MONIKA ANGROIYA** and their baby daughter namely **TIARA GANDHI** from their movable and immovable properties due to their disrespectful behavior, out of control and have severed their relations with them for all intents and purposes with immediate effect. Anybody he/they deals with them will do so at his/her/their own risk and responsibility.

Ashok Kumar Tyagi & Associates
Advocates
A-3, Main Najafgarh Road,
Uttam Nagar, New Delhi-110059

PUBLIC NOTICE

My client Sh. Kishori Lal Verma S/o Late Sh. Kunan Lal Verma R/o House No. 174, Site-3, Vikas Puri, New Delhi-18, has disowned his Son Sunil Verma (D.O.B. 01-10-1985). My client also debarred him from his movable & immovable properties. If anybody deals with him, he shall be at his own risk. My client will not be responsible for any etc. done by Sh. Sunil Verma.

Adv. Ch. K. K. Dhankhar
Site-3, Vikaspuri, New Delhi

PUBLIC DISOWN NOTICE

It is informed to all the General public that my clients Sh. Krishan Gopal S/o Late Sh. Mool Chand & Smt. Gayatri W/o Sh. Krishan Gopal Both R/o J-I, H.N-224, Gali No-13, Sangam Vihar, New Delhi-80, my client's sons namely Manindra Saxena & his wife Dipti Saxena & Gaurav Saxena and his wife Mamta used to misbehaved with my clients & tried to grab their property by extended threats so my clients have no control over them. Hence, my client has debarred/ disowned their sons & their respective wives namely Manindra Saxena & his wife Dipti Saxena & Gaurav Saxena and his wife Smt. Mamta Saxena from their life as well as from their movable / immovable property w.e.f 01.03.2020. Now my clients will not be liable / responsible for any act of them in future as my clients have no concern or relation with them since 01.03.2020.

Kapil Kumar (Advocate)
Ch. No. 801, Saket Courts, Delhi-110017

PUBLIC NOTICE

I, Suman Kanwar W/o Sh. Kanwar Chhatar Singh R/o Flat No. 335-B, Pocket-II, Mayur Vihar, Phase-I, Trilokpuri, Delhi-110091, have lost Original Demand Letter, Possession Letter, NOC for Electric and Water Connection of Flat No. 335-B, Pocket-II, Mayur Vihar, Phase-I, Trilokpuri, Delhi-110091 originally issued in the name of Jagdish Chander Sharma by DDA. Finder contact above address and Tel: 9910544556.

रिक्त स्थान

INSTITUTE OF AYUSH MEDICAL SCIENCES (IAMS)

ADD - VIMLARJUN NAGAR (BHAGOO KHEDA) MOHANLALGANJ, LUCKNOW.
E-mail : iamsayucollege@gmail.com
Ph: 0522- 2993387,
Mob: 06393664635

Advt. No. 01/Rec/IAMS/2020
Online applications are invited from the eligible candidates for the vacant teaching positions (Assistant Professor/ Associate Professor/ Professor) in various departments of the Institute.
Last date of Online (by Email) Application: **05.04.2020** (before 23:59:59)
Please visit the Institute website http://iamscollege.co.in/ for more details. Any addendum/ corrigendum/ notices/ updates in respect of this recruitment would be posted by Institute website only. The hard copy of the complete application form should be received by the Institute within three working days from the last day of application.
Date: 04.03.2020
Manager/Principal

Public Notice

The General Public/Financial institutional/Banks are hereby informed that my client Sh. Surender Seth S/o Late Sh. R.N.Seth Mob. No. 9811881800 is intending to purchase 2nd Floor, 189, Saini Enclave, Delhi-92 from Sh. Rajendra Jain S/o B.S.Jain and Smt. Madhuri Jain W/o Rajendra Jain R/o-189, 2nd Floor, Saini Enclave, Delhi-92. If anybody institutional/Bank have any short, claim, title or interest of any kind in the said property or any part thereof, then contact my client in writing within 7 days from today, failing which the same shall not be binding on my client.

Vivek Sharma Advocate,
Enrol No. D-501A/1983

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I, HARSH SINGH S/O TRILOK SINGH R/o D-343/A, D- Block, West Vinod Nagar, Mandawali Fazalpur, East Delhi, Delhi-110092 declare that name of mine has been wrongly written as KARSH SINGH in my minor son NITIN SINGH ADHIKARI aged 04 years in his EWS Registration No: 20200009287, in Nursery Mayur Public School Record. The actual name of mine is HARSH SINGH, which may be amended accordingly.
It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PUBLIC NOTICE

Be it Known to the public at large that My client Mr. Jagdish Ahuja S/O Sh. Mohan Lal Ahuja Residence of : H. No. 39/6, (Second Floor) East Punjabi Bagh New Delhi, has disowned and debarred his Son Sanchit Ahuja from his all movable and immovable properties and severe all relation with him, due to his Misbehavior and cruel conduct, My client shall not be responsible for his any act or conduct. Whoever deals with him, deals at their own cost and consequences.

D.C. AKARNIYA (Advocate)
Ch.No. B-22, B.G.S. Block,
Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

Be it known to all to whom it may concern that My Client Mrs. Saroj Bala widow of Late Man Singh R/o 20/186, JJ Colony, Dakshinpuri Extension, Dr. Ambedkar Nagar, New Delhi-110062, has broken down and severe her all relations & disclaimed, disowned and debarred her son RAHUL RAWAT S/o LATE MAN SINGH and his wife MRS. POONAM W/o MR. RAHUL RAWAT from her all movable and immovable properties and right of succession, due to their disobedient behavior and misconducts as they are working beyond the control and my client is being harassed, humiliated, misbehaved by them. In future my client shall not be responsible for their any misconduct. If anybody dealing with them in any manner shall be doing so at own risks, costs, consequences & responsibilities.

RANJAN GUPTA (Advocate)
Ch. No. 311, Saket Courts, New Delhi-17

PUBLIC NOTICE

NOTICE IS HEREBY THAT PAWAN SOORMA AND VIMAL SOORMA SON OF LATE MADANLAL SOORMA ARE OWNER OF PROPERTY No.1/7467, MEASURING 83.61 SQ.MTRS., 3RD FLOOR, GALI No.15, EAST GORAKH PARK, DELHI-110032, BY VIRTUE OF RELINQUISHMENT DEED DATED 06/02/2018 EXECUTED BY THEIR REAL SISTERS SANGEETA BUBBARS AND KAVITA SEHDEV AFTER DEATH OF THEIR MOTHER SUDARSHAN RANI SOORMA, ALL PERSONS ARE HEREBY INFORMED THAT ABOVE MENTIONED OWNER WANT TO SELL THIRD FLOOR WITHOUT ROOF RIGHT AND SOMEONE WANT TO PURCHASE THE SAME BY TAKING A LOAN FROM ICICI BANK. IF ANY OBJECTION/S UPON THE SAID PROPERTY AND ITS OWNERSHIP TITLE OF PAWAN SOORMA AND VIMAL SOORMA, KINDLY INFORM THE UNDERSIGNED IN WRITING ON THE BELOW MENTIONED ADDRESS WITHIN 10 DAYS OF THE PRESENT, NASEEM AHMED ADVOCATE, ENROL No. D-250/2017

NASEEM AHMED (ADVOCATE)
CHAMBER No. D-310,
Karkardooma Court, Delhi-110032

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the public at large that Clix Housing Finance Private Limited is going to create simple equitable mortgage over property i.e. Flat No. F-3, First Floor, (Eastern Portion), Without roof right, Plot No. 621-A, Shalimar Garden Ext.-I, Village Pasonda, Loni, District Ghaziabad, U.P.-201005 which is inherited by Mrs. Tara Dutta, Mr. Gaurav Dutta & Ms Pooja Rally upon the death of their common ancestor Mr. Rajesh Dutta who was the registered owner of the said property, and is being purchased by Mr. Sonu by creating equitable mortgage. The property is free from all type of claims, disputes, encumbrances, charge, decree etc. In case if any person/Financial Institute/Bank/ Authority/Board or any other entity having objection/contingent or vested interest over the same may contact at following address within 7 days of this publication. It may be further noted that after lapse of aforesaid period no claim in any manner shall be entertained and same will be considered as waived or abandoned.

AVNISH SHUKLA (Advocate)
Ch. No. E-419, Karkardooma Court,
Delhi-110032
9871603366, 9717476101

PUBLIC NOTICE

To be known to all that my client Mr. Raj Kumar Satija S/o Late Shri Bansi Lal Satija R/o Flat No. L-45C, DDA Janta Flat Saket, New Delhi, Mobile No. 8587050785, Son of purchaser of Flat No. L-45C, D.D.A Janta Flat, Saket Delhi in possession of the flat since 1995, has applied for the conversion from of aforesaid property from Leasehold to freehold in D.D.A. the original GPA, ATS, Allotment Cum Demand Letter or slip, water & Electricity Bill, NOC and Other related paper & documents etc in respect of Flat No. L-5C, D.D.A Janta Flat, Saket, New Delhi-110017 has been signed by original allottee and its original. As per Director/ Deputy Director (LAB Housing Janta) Allottee Signature of DDA Documents and Signature in Sale Documents differ.
Any person(s) claiming any right, interest having any objection in original documents may write/contact with above named person at above address within 15 days from the date of publication of this notice and can personally contact deputy director (LAB) housing of director (H) D Block 3rd Floor, Vikas Sadan, INA, New Delhi.

Sd/-
AMIT BATRA (Advocate)
26B/1, DESH BANDHU GUPTA ROAD
KAROL BAGH, NEW DELHI-110005

अदालती सूचना

IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI (ORDINARY ORIGINAL CIVIL JURISDICTION)

In the matter of : **CS(OS) No. 285/2019**
Smt. Kavita Sharma & Ors. ....Plaintiffs
Versus
Smt. Kanta Sharma & Anr. ....Defendants

To,
Defendant No. 1(A) to 1(D)
1. (A) Smt. Kanta Sharma, W/o Late Sh. Joginder Mohan Sharma
(B) Vijay Sharma, S/o Late Sh. Joginder Mohan Sharma
(C) Rajiv Sharma, S/o Late Sh. Joginder Mohan Sharma
(D) Arun Sharma, S/o Late Sh. Joginder Mohan Sharma
All R/o E-186, First and Second Floor, East of Kailash, New Delhi-110065
(LRs of Late Shri Joginder Mohan Sharma)

WHEREAS the above named plaintiff has instituted a suit against you for **PARTITION AND PERMANENT INJUNCTION.**
AND WHEREAS it has been shown to the satisfaction of the Court that it is not possible to serve you in the ordinary way, therefore, this notice is given by publication directing you to make appearance before the Joint Registrar(Judicial) of this Court on **23.03.2020 at 11:00 a.m.**
Take notice that in default of your appearance on the day above mentioned, the suit will be heard and determined in your absence.
Given under my hand and the seal of the Court, in terms of order dated 21.01.2020.

Seal
Sd/-
Assistant Registrar(O)
for REGISTRAR GENERAL

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that I, unregistered / not duly executed Agreement to sell was prepared at New Delhi on 09/01/2020 for the sale of property bearing no C-50, Shop No-3, GF Malviya Nagar ND-17, Vide Stamp Paper IN-DL07647010193106S, Between Capt H.S. Chaudhary S/o Late. Capt. I.S. Chaudhary & Bela Chowdhary, both R/o A-404 Defence Colony ND-24 AND Sh. Chetan Bansal, S/o of Late. Ashok Bansal, R/o of E-110 Saket ND 17. Unique Id. Document Ref No:- DLDL80670324245665413565, Which agreement as has no bearing and binding of any kind on any of the parties herein above, the same being incompleted / unregistered / unduly executed." "If anybody having any kind of interest / claim / dispute / right / objection etc., in any manner whatsoever in respect of the above said property may file claim with the undersigned, Within 7 days of this publication of this notice, failing which no claim whatsoever shall be entertained and my client be liberty to deal with the above said property in any manner whatsoever after 11/03/2020.

RAJ PAL KASANA
ADVOCATE
CH.N0.654, BLOCK
Delhi High COURT
NEW DELHI 110017
M-8882320902

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
(A Govt. of India Undertaking)

जेडओएसएआरबी, 13वाँ तल, बैंक ऑफ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

शुद्धि पत्र

दिनांक 07.02.2020 को इस समाचार पत्र में छपे विज्ञापन ई–नीलामी बिक्री सूचना के संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि खाता मैसर्स **आर आर एंटरप्राइजेज** की सम्पत्ति की ई–नीलामी जोकि **दिनांक 17.03.2020** को होनी है, अब इस सम्पत्ति की ई–नीलामी को निरस्त/रद्द किया जाता है।

स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 04-03-2020 — बैंक ऑफ बड़ौदा

COURT NOTICE

Criminal Courts, Ludhiana
In The Court Of Sh. Ramesh Kumar
Judicial Magistrate-1st Class, Ludhiana
Next date, purpose of case, orders and Judgments as well as other Case information is available on http://ecourts.gov.in
CNR NO: PBLD03-052334-2017
NEXT DATE: 03-04-2020

Parminder Singh
V/s
Sonia Makkar

Publication Issued To: Sonia Makkar W/o Yogesh Makkar Address- Shani 1 Niwas Rajgarh Road, Solan
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ / accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 03-04-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. For details logon to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana JMIC LUDHIANA

सार्वजनिक सूचना

सूचित किया जाता है कि दुकान नं0 आर0टी0–120, ग्राउण्ड फ्लोर, आर्कटिक ट्रेड सेंटर, सैक्टर 132 नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर की दुकान की ओनरशिप को लेकर मेरे व्यवहारी श्री एन0के0 धवन एवं सुषमा धवन का राकेश सीकरी एवं पूनम सीकरी के साथ उक्त दुकान की बाबत विवाद है जो कि परिवाद सं0 5162/2020 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौतमबुद्ध नगर के यहां विचाराधीन है और इसका ओरिजनल अलॉटमेंट श्री एन0के0 धवन को हुआ था, जिससे सम्बन्धित सभी प्रपत्र भी मेरे व्यवहारी एन0के0 धवन के पास सुरक्षित हैं। कृपया इस दुकान के सम्बन्ध में कोई भी सरकारी कार्य एवं खरीद फरोख्त के लिए निजी सौदा न किया जाये। यदि ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ अदालत में कानूनी कार्यवाही की जायेगी, जिसके परिणाम की जिम्मेदारी स्वयं उसकी होगी। यदि कोई व्यक्ति उक्त दुकान का बैनामा करता है या अपने नाम हस्तान्तरण कराता है तो वह वैध नहीं होगा।

प्रेमचन्द शर्मा (एडवोकेट)
चैम्बर नं0 683, गली नं0 17, न्यायालय परिसर, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर
फोन नं0 : 9810912869

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

सनसेफ एल्यूमीनियम प्राइवेट लिमिटेड

(CIN: U74899DL1995PTC072478)
पंजीकृत कार्यालय: एफ–61, सुजान सिंह पार्क, नई दिल्ली–110003
फोन: 0120-4229990
ईमेल: anil.raina@michaelaram.com

सूचना
"फॉर्म नं0. आईएनसी–26
[कंपनीज (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]

क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय,
उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली
और
कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) और कंपनीज (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप–नियम 5 के खंड (ए) के मामले में
तथा
सनसेफ एल्यूमीनियम प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय एफ–61, सुजान सिंह पार्क, नई दिल्ली–110003 में है के मामले में
.....**याचिकाकर्ता**

एतद्द्वारा सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को **"दिल्ली के रा.रा.क्षे"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** में स्थानान्तरित करने के सक्षम बनाने हेतु कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत 17 जनवरी, 2020 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुकूल, केंद्रीय सरकार के समक्ष कंपनी की संस्था बहिर्नियमावली में परिवर्तन करने की याचिका प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है तो **वह निवेशक शिकायत फॉर्म फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या शपथ पत्र द्वारा समर्थित उसके हित की प्रकृति एवं विरोध का आधार बताते हुए, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी–2 विंग, 2 फ्लोर, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 को पंजीकृत डाक द्वारा सूचित करें, और एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी के निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पर भेजी जानी चाहिए।

एफ–61, सुजान सिंह पार्क, नई दिल्ली–110003

कृते और याचिकाकर्ता की ओर से
हस्ता/–
अनिल रैना
निदेशक
DIN: 08234381

स्थान: दिल्ली
तिथि: 04.03.2020

The Indian EXPRESS Classifieds

EXPRESS EDUCATION

अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी
दिल्ली सरकार की 'जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना' के अंतर्गत
8 लाख रूपये तक वार्षिक आय वाले अभ्यर्थियों के लिए

FREE COACHING/नि:शुल्क कोचिंग

IAS | PCS(J) | SSC
PCS | CLAT | BANK

SC/ST/OBC/EWS ASPIRANTS

- Interested 10th, 11th & 12th, Graduate Pass, or Final Year Eligible Students for Particular Exam may apply with their complete application form, 3 photograph, Current Income Certificate (not more than 8 lakh per annum), Category certificate, Aadhar Card and Educational Qualification certificates.
- Stipend Rs. 2500/- per month
- Only Students belonging to SC/ST/OBC/EWS

Last Date 10.03.2020

Career Plus EDUCATIONAL SOCIETY
301/A-37, 38, 39, Ansal Building, Comm. Comp., MUKHERJEE NAGAR, DELHI-110009
011-42705373, 9891086435, 9811069629
E-mail : contact@careerplusgroup.in • Website : careerplusgroup.com

FOR REGULAR CLASS & TEST SERIES PROGRAM CONTACT US:
PRAYAGRAJ 09415630464 | PATNA 07903583363 | RANCHI 09415630464

Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service
Ph.23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841.

UTTAR PRADESH RAJKIYA NIRMAN NIGAM LTD.

(ISO 9001 : 2008 Certified Company) Visheshwaraiya Bhawan Gomtinagar, Lucknow

Notice Inviting e-TENDER

The Project Manager, Electrical Unit-3, Lucknow Invites for and on behalf of General Manager (Electrical Zone -4), U.P. Rajkiya Nirman Nigam Ltd. online Item rate bids for Sub station Equipement and allied work at SGPGI, Lucknow in two bid system for the following work.-

SR. NO.	WORK	TENDER NO.	ESTIMATED VALUE	EMD	LAST DATE OF SUBMISSION
1.	CONSTRUCTION OF EMERGENCY MEDICINE, CLINICAL AND WARD AREA AND UPLIFTING OF KIDNEY TRANSPLANT CENTER IN THE PREMISES OF S.G.P.G.I. RAEBARELI ROAD, LUCKNOW (U.P.) SUB HEAD : SUB STATION EQUIPMENT AND ALLIED WORKS	159/APM(E)/EU-3/RNN/ TENDER/20 Dt. 24.02.2020	1803.91 Lacs	36.07 Lacs	21-03-2020 at 03:00PM

The bid forms and other details can be obtained /downloaded from the website https://etender.up.nic.in The NIT is also available on http://www.uprnn.co.in.

कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं

अस्पतालों में बढ़ाए जाएं डॉक्टर

नई दिल्ली, 3 मार्च। दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस से बचाने के लिए अस्पतालों में इंतजाम दुरुस्त किए जाएं। इसके लिए डॉक्टर व पैरामेडिकल कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाया जाए। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कोरोना वायरस मरीजों के लिए युद्धस्तर पर पृथक विशेष आइसोलेशन वार्ड स्थापित किए जाएं। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने अभी तक वायरस से लड़ने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) तथा दिल्ली मेडिकल एसोशिएशन (डीएमए) से परामर्श नहीं किया है। (जसं)

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 मार्च

दिल्ली में कोरोना वायरस का एक मामला सामने आने के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपात बैठक बुलाई, जहां कोरोना वायरस के बचाव की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया व स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन, मुख्य सचिव विजय देव समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। दिल्ली सरकार ने जनता से अपील की गई है कि कोरोना वायरस से डरे नहीं। केवल कुछ सावधनियां बरतें।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अभी दिल्ली में एक ही मामला आया है और वह सफदरजंग अस्पताल में है। कोरोना वायरस एक नया वायरस है और अभी तक इसका कोई उपचार सामने नहीं आया है। इस बीमारी से बचाव के लिए दिल्ली सरकार ने 25 अस्पतालों में विशेष कक्ष तैयार किए हैं। इसमें 19 सरकारी और 6 निजी अस्पतालों में है। इस बीमारी की जांच के अभी देश में 12 केंद्र हैं। जल्द ही दिल्ली सरकार भी इसके लिए इंतजाम करेगी।

स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन ने बताया कि बीमारी की जांच के लिए दिल्ली सरकार ने राम

फोटो : अरुष चोपड़ा

मनोहर लोहिया और सफदरजंग अस्पताल को नोडल अस्पताल बनाया है और अस्पतालों में 230 बिस्तर का इंतजाम किया गया है। यह एक फ्लू है और संक्रमित व्यक्ति के ज्यादा नजदीक जाने से फैलने का खतरा है। इससे दिल्ली को बचाने के लिए सरकार ने पूर्ण तैयारियों की हैं। सरकार के पास पर्याप्त संख्या में मास्क उपलब्ध है। इन मरीजों के लिए 8 हजार से अधिक स्वास्थ्य किट व एन95 मास्क उपलब्ध है। जो कि डॉक्टरों को दिए जाएंगे।

कोरोना पर केंद्र भी करेगा सहयोग

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर भी प्रधानमंत्री से चर्चा हुई। कोरोना वायरस का एक मामला दिल्ली और एक तेलंगाना में आया है। इस बीमारी को रोकने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार मिल कर काम करेंगे।

स्कूलों को परामर्श जारी

नई दिल्ली, 3 मार्च (भाषा)। दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में कोरोना वायरस का मामला सामने आने के बाद क्षेत्र के कुछ स्कूलों ने छात्रों के अभिभावकों को परामर्श भेजकर सुझाव दिया है कि बच्चों को सर्दी जुकाम की थोड़ी सी भी शिकायत होने पर उन्हें स्कूल न भेजें। परामर्श में यह भी कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर स्कूलों में छुट्टी भी की जा सकती है। एक छात्र के पिता में कोरोना वायरस का संक्रमण पाए जाने के बाद नोएडा के दो निजी स्कूलों ने एहतियात के तौर पर मंगलवार से आगामी कुछ दिनों के लिए स्कूलों में छुट्टी कर दी।

"प्रपत्र सं. आईएनसी-25ए"
क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, दिल्ली-एनसीआर के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41 के मामले में
तथा
बैंग्लोर फ्लोरा लिमिटेड के मामले में जिसका पंजीकृत कार्यालय 85, भारत नगर, नई दिल्ली-110065 में है .... आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी उपरोक्त नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास एक आवेदन करने के लिये इच्छुक है तथा ऐसे रूपांतरण को प्रभावी करने के लिये कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए 12 दिसम्बर, 2019 को आयोजित वार्षिक आम सभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी को एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी में रूपांतरित करने के लिए इच्छुक है।

कंपनी की स्थिति में इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे इसके नीचे वर्णित पते पर पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:
पंजीकृत कार्यालय: 85, भारत नगर, नई दिल्ली-110065

बैंग्लोर फ्लोरा लिमिटेड के लिये तथा उसकी ओर से
हस्ता./-
ओ.पी. गर्ग
DIN: 00039625

तिथि: 12 दिसम्बर, 2019
स्थान: नई दिल्ली

ऋण वसूली न्यायाधिकरण-III, दिल्ली के समक्ष
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के साथ पठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया नियमावली, 1993) के नियम 12 और 13 के तहत सूचना
ओ.ए. सं. 732/2019 के मामले में
बीओएम आवेदक
विरूद्ध
शशि गुप्ता एवं अन्य प्रतिवादीगण

डी-1 श्रीमती शशि गुप्ता पत्नी श्री नवल कान्त, मकान नंबर 168, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लैट, अशोक विहार, फेज-4, नई दिल्ली-110052
डी-2 श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री नवल कान्त, मकान नंबर 168, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लैट, अशोक विहार, फेज-4, नई दिल्ली-110052
डी-3 मैसर्स आम्रपाली स्मार्ट सिटी डवलपर्स प्रा. लि. पंजीकृत कार्यालय, 307, तृतीय तल, निपुण टावर, कडकडडूमा, कम्युनिटी सेंटर, दिल्ली-92

जबकि उपरोक्त नामक आवेदक ने आपके विरूद्ध एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को संतोषप्रद रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए, विज्ञापन के रूप में इस सूचना के माध्यम से आपको दिनांक **08-04-2020 को पूर्वा. 10.30 बजे** इस न्यायाधिकरण में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।
ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, वाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।
मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत 12 फरवरी, 2020 को दिया गया।

न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा
सहायक निबन्धक, डीआरटी-III, नई दिल्ली

ऋण वसूली न्यायाधिकरण-III, दिल्ली के समक्ष
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के साथ पठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया नियमावली, 1993) के नियम 12 और 13 के तहत सूचना
ओ.ए. सं. 745/2019 के मामले में
बीओएम आवेदक
विरूद्ध
अभय कुमार एवं अन्य प्रतिवादीगण

डी-3 आम्रपाली स्मार्ट सिटी डवलपर्स (पी) लिमिटेड इसके निदेशक के माध्यम से, 307, तृतीय तल, निपुण टावर, कम्युनिटी सेंटर, कडकडडूमा, दिल्ली-92

जबकि उपरोक्त नामक आवेदक ने आपके विरूद्ध एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को संतोषप्रद रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए, विज्ञापन के रूप में इस सूचना के माध्यम से आपको दिनांक **08-04-2020 को पूर्वा. 10.30 बजे** इस न्यायाधिकरण में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।
ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, वाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।
मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत 12 फरवरी, 2020 को दिया गया।

न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा
सहायक निबन्धक, डीआरटी-III, नई दिल्ली

UFLEX 'A part of your daily life'
यूफ्लैक्स लिमिटेड
CIN : L74899DL1988PLC032166
रजिस्टर्ड आफिस : 305, तीसरी मंजिल, भानोट कॉर्नर, पाम्पोश एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048, फोन : +91-11-26440917, 26440925, फैक्स : +91-11-26216922
वेबसाईट : www.uflexltd.com, ईमेल : secretarial@uflexltd.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी सर्कुलर तिथि 06/11/2018 अर्थात SEBI/HO/MIRSD/DOS3/CIR/P/2018/139 के अंतर्गत अंतरण के लिये अंतरिती द्वारा कम्पनी में निम्नलिखित शेयर प्रमाण पत्र दाखिल किये गये है। यदि किसी व्यक्ति का निम्न शेयरों में कोई दावा/कोई हित हो अथवा यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त अंतरण के प्रति किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, वे इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर कम्पनी को लिखें/कम्पनी के पास अपनी आपत्ति भेजें जिसमें विफल रहने पर यह कम्पनी मेरिट्स के आधार पर शेयरों के अंतरण का विचार करेगी तथा किसी भी व्यक्ति के लिये किसी भी क्षति, वित्तीय अथवा अन्य के लिये कम्पनी उत्तरदायी नहीं होगी।

फोलियो	प्रमाणपत्र सं.	विशिष्ट सं.	विक्रेता का नाम	क्रेता का नाम	शेयरों की सं.
33786	55456 55458	6445020 - 6445069 6445120 - 6445169	दीपक भाटिया सुनीता भाटिया	राज कुमार शर्मा	100

कृते यूफ्लैक्स लिमिटेड
हस्ता./-
अजय कृष्णा
वरि. उपाध्यक्ष (लीगल) एवं कम्पनी सचिव
ACS No.3296
पता : सी-001, कृष्णा अपरा रेजिडेन्सी, ई-6, सेक्टर-61, नोएडा-201301 (उ.प्र.)

स्थान : नोएडा
तिथि : 03.03.2020

प्रपत्र क
सार्वजनिक घोषणा
[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

ओमर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ
संबंधित विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	ओमर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	28/08/2012
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U51909DL2012PTC241226
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	**पंजीकृत कार्यालय** : 303-ए और बी, तीसरी मंजिल, सागर कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नंबर 5, नई राजधानी एन्क्लेव, दिल्ली - 110092 भारत
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	आदेश की तिथि : 28/02/2020 आदेश प्राप्त हुआ : 03/03/2020
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	29/08/2020 (दिवाला प्रक्रिया होने की तिथि से 180 दिन)
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	**नाम : नवीन कुमार जैन** **पंजीकरण सं.:** IBBI/IPA-001/IP-P00650/2017-2018/11097
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है	**पता** : 2236, सैक्टर 46, गुरुग्राम - 122001 **ईमेल** : insolvencyprofessional@rediffmail.com [यह ईमेल दावा प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता]
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई-मेल	**पता:** एफ-1, राम चंद्र गहलोत मार्ग, मिलाप नगर, उत्तम नगर नई दिल्ली - 110059 **ईमेल** : cirp.omar@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	16/03/2020
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की 4 उप-धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	सीमित जानकारी के आधार पर धारा 21 (6 ए) (बी) के तहत लेनदारों का कोई वर्ग नहीं है
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिन्हित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है :	वेबलिंक: https://ibbi.gov.in/home/downloads **फॉर्म बी-** परिचालन लेनदारों द्वारा दावों के लिए कामकाजी और कर्मचारियों को छोड़कर **फॉर्म सी-** वित्तीय लेनदारों द्वारा दावों के लिए **फॉर्म डी-** काम करने वालों और कर्मचारियों द्वारा दावों के लिए **फॉर्म ई-** श्रमिकों और कर्मचारियों के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दावों के लिए **फार्म एफ-** लेनदारों द्वारा दावों के लिए (वित्तीय लेनदारों और कॉर्पोरेट ऋणदाता के परिचालन लेनदारों के अलावा) भौतिक पता: एफ-1, मिलाप नगर, उत्तम नगर, नई दिल्ली- 110059

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने दिनांक **28 फरवरी 2020** को **ओमर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड** के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।

ओमर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण **16 मार्च 2020** को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

हस्ता/-
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का नाम व हस्ताक्षर : **नवीन कुमार जैन**
पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00650/2017-2018/11097

दिनांक : 03 मार्च 2020
स्थान : नई दिल्ली

Bank of Baroda (A Govt. Of India Undertaking) **बैंक ऑफ़ बड़ौदा** (भारत सरकार का उपक्रम)
जेडओएसएआरबी, 13वाँ तल, बैंक ऑफ़ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोन : 011-23441330, ई-मेल : armdel@bankofbaroda.com

अचल / चल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 और 9 के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल/चल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति - दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल / चल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का **भौतिक कब्जा**, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों/गारंटर्स को प्रत्याभूत - दाता बैंक ऑफ बड़ौदा से - प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 24.03.2020 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रूपए होगी।

शाखा	कर्जदार और गारंटर्स का नाम	स्वामित्व और सम्पत्ति का विवरण	धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तारीख / बकाया राशि	आरक्षित मूल्य (रु.) / धरोहर राशि / न्यूनतम बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी तिथि एवं समय	खाता नं. और IFSC कोड	प्राधिकृत अधिकारी और सम्पर्क नं.
जेडओ एसएआरबी, नई दिल्ली	मैसर्स कल्टेक इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. (CIN no. U45400DL1995PLC069126) उधारकर्ता/गारंटर: 1. श्री नरिंदर कुमार 2. सुश्री इंदु बाला 3. श्री मनीष कुमार गोयल	लीज़ होल्ड निर्मित अपार्टमेंट का हिस्सा, खसरा नं. 923,921,910, जीएच-06, के1 टॉवर, गोल्फ विस्टा, क्रॉसिंग रिपब्लिक, धुंधाहेरा, गाजियाबाद, यूपी में स्थित, फ्लैट अर्थात 007,112,211,409,607,712,912, 1007,1010,1212,1307,1312,1407,1408, 1409,1412,1507,1508,1509,1510,1511,1512,1607,1608,1609,1610,1611,1612 प्रत्येक फ्लैट का क्षेत्रफल (लगभग) 1725 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति मैसर्स कल्टेक इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. के नाम पर है।	21-10-2016 रु. 10,58,86,632/- प्लस दिनांक 21.10.2016 से भविष्य का ब्याज एवं प्रभार इत्यादि	₹ 10,50,00,000/- ₹ 1,05,00,000/- ₹ 1.00 लाख	24-03-2020 को अपराह्न 01.00 बजे से अपराह्न 02.00 बजे तक	00950200000743 BARB0CONNAU (5TH Character is to be read as 'zero')	श्री यश पाल चावला मो. 9584317482

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट अर्थात **www.bankofbaroda.com** पर दिए गए लिंक को देखें।
धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय: 23.03.2020, **नोट: आरक्षित मूल्य से कम या उसके बराबर की बोली स्वीकार्य नहीं होगी।**
सम्पत्ति का निरीक्षण की तिथि एवं समय : 19.03.2020 को दोपहर 12.00 बजे से अर्पा. 03.00 बजे तक

बिक्री नीचे वर्णित नियमों और शर्तों के अधीन होगी
1. ई-नीलामी का प्रस्ताव भौतिक कब्जा के आधार पर "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" प्रस्तावित किया जा रहा है। यह बोली लगाने वाले की जिम्मेदारी होगी कि वह परिसंपत्तियों और विशिष्टताओं के बारे में स्वंय निरीक्षण करे और स्वंय को संतुष्ट करे। यह ई-नीलामी विज्ञापन किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता नहीं करता है और इसे किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता या बैंक के किसी भी प्रतिनिधित्व की प्रतिबद्धता नहीं माना जाए।
2. नीलामी - सह बिक्री का आयोजन https://bob.auctiontiger.net के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ई-नीलामी पद्धति द्वारा होगी।
3. यहां ऊपर अनुसूची में प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के पर्याप्त विवरणों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, कमी अथवा गलत विवरणों के लिए प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे।
4. इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने से पूर्व ई-नीलामी के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए पोर्टल https://bob.auctiontiger.net देखें तथा उपरोक्त वर्णित संबंधित सम्पत्तियों के लिए संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें।
5. प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री आरक्षित मूल्य से नीचे या उसके बराबर की राशि में नहीं की जाएगी। नीलामी आरक्षित मूल्य से ऊपर एक इन्क्रीमेन्ट पर शुरू होगी तथा बोलीदाता यहां ऊपर वर्णित न्यूनतम बोली राशि से अपने प्रस्ताव में सुधार कर आपस में बोली करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
6. धरोहर राशि (ईएमडी) का भुगतान की अंतिम तारीख (दिनांक 23.03.2020) को अर्पा. 04.00 तक विनिर्दिष्ट खाता जिसका विवरण अधेलिखित है, प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार एनईएफटी/आरटीजीएस/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा (दिल्ली में देय होगा) उपर वर्णित तालिका के अनुसार, where 5th character of IFSC Code is '0' (Zero).
7. ईएमडी जमा किए होने वाले इच्छुक बोलीदाता पोर्टल में उपलब्ध कॉलम/फिल्ड्स के अनुसार आधिकारिक पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार निम्न दस्तावेजों दिनांक 23.03.2020 को या उससे पहले अपलोड करें:
   क) ईएमडी जमा करने का प्रमाण
   ख) पूर्ण रूप से भरें प्रस्ताव फार्म
   ग) इच्छुक बोलीदाता के फोटोग्राफ तथा आवासीय पते तथा पैन कार्ड से शामिल पहचान का प्रमाण की स्वः प्रमाणित प्रति। इन दस्तावेजों का ऑरिजिनल संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
   घ) बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लागिन आईडी तथा पासवर्ड जारी करने के लिए अनुरोध
8. इच्छुक बोलीदाता पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर लॉगईन आईडी तथा पासवर्ड बना सकते है। यदि लॉगईन आईडी, पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ईबोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि के लिए इच्छुक बोलीदाता को सहयोग की आवश्यकता हो तो वे मैसर्स ई-प्रक्योरमेन्ट टैक्नोलॉजीस लि., बी-704-5, वॉल स्ट्रीट-2, ओरिएंट क्लब के विपरीत, गुजरात कॉलेज रोड, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद, श्री राम शर्मा - 06351896834 ईमेल : delhi@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net, श्री नितिश झा, 7982880393, हैल्प लाईन : 079-61200595/520/548. हैल्प लाईन ईमेल: support@auctiontiger.net से सम्पर्क करें। ऑनलाईन अपलोडिंग के लिए वेबपोर्टल https://bob.auctiontiger.net तथा सम्पत्ति से सम्बंधित किसी भी पूछताछ के लिए आप उपर वर्णित सम्पत्ति के प्राधिकृत अधिकारी से किसी भी कार्य दिवस को कार्याविधि के दौरान सम्पर्क कर सकते है।
9. केवल ऐसे बोलीदाताओं को ही ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी जिनके पास वैध यूजर आईडी तथा पासवर्ड एवं एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा ईएमडी के भुगतान का निश्चित प्रमाण होगा।
10. प्राधिकृत अधिकारी को किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है। पुनः, प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताये बिना नीलामी प्रक्रिया की पूर्णता से पूर्व किसी भी समय नीलामी को निलंबित या रद्द या स्थगित या डिस्कंटीन्यू करने अथवा नीलामी की शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है तथा इस संदर्भ में उनका निर्णय अंतिम होगा।
11. यदि कोई बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो समापन का समय अगले 5 मिनट के लिए आगे बढ़ जाएगा।
12. यदि बोली प्रक्रिया की समाप्ति पर अन्य कोई बोली प्राप्त नहीं होती है तो उच्चतम राशि कोट करने वाले बोलीदाता (आरक्षित मूल्य से कम अथवा बराबर नहीं) को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। सफल बोलीदाता को तत्काल अथवा अधिकतम अगले कार्य दिवस तक) उनके पक्ष में बिक्री की घोषणा होने पर 25% क्रय मूल्य का भुगतान करना होगा, अन्यथा ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी।
13. केवल 25% बिक्री का भुगतान कर देने मात्र से ही सफल बोलीदाता अपने पक्ष में बिक्री की पुष्टि करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। यह बिक्री ई-नीलामी के नियमों एवं शर्तों तथा इस आशय के लिए प्रतिभूत क्रेडीटर की पुष्टि के अधीन होगी।
14. यहां ऊपर क्रम सं. 12 के अनुसार राशि के भुगतान के बाद सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकृत अधिकारी के पास शेष बिक्री मूल्य का भुगतान करना होगा। यदि वे उक्त राशि के भुगतान में विफल होते हैं तो उनके द्वारा जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी तथा प्राधिकृत अधिकारी सम्पत्ति के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार उन्हें उपलब्ध एक या अधिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
15. यदि सभी लागतों, चार्जेज तथा ऋणधारकों अथवा गारंटरों की ओर से बैंक द्वारा वहन किए गए खर्चे के साथ बैंक की बकाया का बिक्री के लिए निर्धारित तिथि को या उससे पूर्व किसी भी समय भुगतान कर दिया जाता है तो कोई बिक्री नहीं की जाएगी।
16. सभी सांविधिक देयताओं/एटेन्डेन्ट चार्जेज/पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, कर आदि सहित सभी बकाये का वहन सिर्फ क्रेता को ही करना होगा।
17. बिक्री प्रमाणपत्र उस नाम से जारी किया जाएगा जिसमें बोली जमा की गई हो।
18. बैंक ने उसे ज्ञात अधिभारों को प्रकट कर दिया है। प्राधिकृत अधिकारी अथवा बैंक ई-नीलामीकृत सम्पत्तियों के संदर्भ में किसी चार्ज, लियन अथवा सरकार या किसी अन्य के किसी बकाये के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि सांविधिक देयताओं, सम्पत्ति कर के बकाये, बिजली के बकाये आदि सहित सम्पत्ति के अधिभारों के संदर्भ में अपनी स्वतंत्र जांच कर लें।
19. बोलीदाता उपयुक्त इंटरनेट कनैक्टिविटी, पावर बैक अप आदि की व्यवस्था कर लें। इंटरनेट व्यवधान, पावर फैल्योर अथवा तकनीकी कारणों अथवा ई-नीलामी को प्रभावित करने वाले कारण/ आकस्मिकताओं के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
20. यदि उपयुक्त हुआ तो बैंक किसी भी एक या अधिक संपत्तियों को बोली लगा सकता है।

कर्जदार / गारंटर / बंधककर्ता के लिए 15 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना
कर्जदार/गारंटरों को एतद्द्वारा नीलामी की तिथि से पूर्व उपरिवर्णित राशि अद्यतन किए गए ब्याज और अनुषंगी व्ययों सहित अदा करने हेतु अधिसूचित किया जाता है, जिसमें विफल रहने पर सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और शेष देयताएं, यदि कोई, ब्याज और लागत सहित वसूल की जाएंगी।

दिनांक : 04-03-2020, स्थान : नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

Bank of Baroda (A Govt. Of India Undertaking) **बैंक ऑफ़ बड़ौदा** (भारत सरकार का उपक्रम)
जेडओएसएआरबी, 13वाँ तल, बैंक ऑफ़ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोन : 011-23441330, मो.- 9584317482, ई-मेल : armdel@bankofbaroda.com
ई-नीलामी सूचना

अचल / चल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल/चल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति - दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल / चल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का **सांकेतिक कब्जा**, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों/गारंटर्स को प्रत्याभूत - दाता बैंक ऑफ बड़ौदा से - प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 23.03.2020 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रूपए होगी।

क्र. सं.	शाखा	कर्जदार और गारंटर्स का नाम	स्वामित्व और सम्पत्ति का विवरण	धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तारीख / बकाया राशि	आरक्षित मूल्य (रु.) / धरोहर राशि / न्यूनतम बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी तिथि एवं समय	खाता नं. और IFSC कोड	प्राधिकृत अधिकारी और सम्पर्क नं.
1	जेडओ एसएआरबी, नई दिल्ली	माँ भगवती एजुकेशन सोसायटी 1. श्री राकेश कुमार सिंघल 2. हंस राज सिंघल 3. मोहन कुमार सिंघल 4. रोहन सिंघल 5. हिमांशु सिंघल 6. घनश्याम दास 7. एम एल अग्रवाल 8. श्रीमती मीना सिंघल	फ्री होल्ड भूमि, खसरा नं. 406 का हिस्सा, एमई, 406KH,403,404,655 ME,656ME, 394 जोकि गाँव- मसूरी, एन एच-24, गाजियाबाद मे स्थित, क्षेत्रफल 4.1965 हैक्ट. साथ में भवन एवं संरचनाएं/उपकरण और फिक्चर्स एवं फिटिंग, यह सम्पत्ति माँ भगवती एजुकेशन सोसायटी के नाम पर है।	15.10.2014 रु. 30,86,04,552 दिनांक 15-10-2014 तक प्लस ब्याज संविदात्मक दर पर ब्याज तथा आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क इत्यादि	₹ 27.00 करोड़ ₹ 2.70 करोड़ ₹ 5.00 लाख	23-03-2020 को अपराह्न 01.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक	00950200000743 BARB0CONNAU (5TH Character is to be read as 'zero')	श्री यश पाल चावला मो. 9584317482

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट अर्थात **www.bankofbaroda.com** पर दिए गए लिंक को देखें।
धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय: 21.03.2020, **नोट: आरक्षित मूल्य से कम या उसके बराबर की बोली स्वीकार्य नहीं होगी।**

बिक्री नीचे वर्णित नियमों और शर्तों के अधीन होगी
1. ई-नीलामी का प्रस्ताव सांकेतिक कब्जा के आधार पर "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" प्रस्तावित किया जा रहा है। यह बोली लगाने वाले की जिम्मेदारी होगी कि वह परिसंपत्तियों और विशिष्टताओं के बारे में स्वंय निरीक्षण करे और स्वंय को संतुष्ट करे। यह ई-नीलामी विज्ञापन किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता नहीं करता है और इसे किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता या बैंक के किसी भी प्रतिनिधित्व की प्रतिबद्धता नहीं माना जाए।
2. नीलामी - सह बिक्री का आयोजन https://bob.auctiontiger.net के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ई-नीलामी पद्धति द्वारा होगी।
3. यहां ऊपर अनुसूची में प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के पर्याप्त विवरणों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, कमी अथवा गलत विवरणों के लिए प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे।
4. इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने से पूर्व ई-नीलामी के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए पोर्टल https://bob.auctiontiger.net देखें तथा उपरोक्त वर्णित संबंधित सम्पत्तियों के लिए संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें।
5. प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री आरक्षित मूल्य से नीचे या उसके बराबर की राशि में नहीं की जाएगी। नीलामी आरक्षित मूल्य से ऊपर एक इन्क्रीमेन्ट पर शुरू होगी तथा बोलीदाता यहां ऊपर वर्णित न्यूनतम बोली राशि से अपने प्रस्ताव में सुधार कर आपस में बोली करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
6. धरोहर राशि (ईएमडी) का भुगतान की अंतिम तारीख (दिनांक 21.03.2020) को अर्पा. 05.00 तक विनिर्दिष्ट खाता जिसका विवरण अधेलिखित है, प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार एनईएफटी/आरटीजीएस/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा (दिल्ली में देय होगा) उपर वर्णित तालिका के अनुसार, where 5th character of IFSC Code is '0' (Zero).
7. ईएमडी जमा किए होने वाले इच्छुक बोलीदाता पोर्टल में उपलब्ध कॉलम/फिल्ड्स के अनुसार आधिकारिक पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार निम्न दस्तावेजों दिनांक 21.03.2020 को या उससे पहले अपलोड करें:
   क) ईएमडी जमा करने का प्रमाण
   ख) पूर्ण रूप से भरें प्रस्ताव फार्म
   ग) इच्छुक बोलीदाता के फोटोग्राफ तथा आवासीय पते तथा पैन कार्ड से शामिल पहचान का प्रमाण की स्वः प्रमाणित प्रति। इन दस्तावेजों का ऑरिजिनल संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
   घ) बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लागिन आईडी तथा पासवर्ड जारी करने के लिए अनुरोध
8. इच्छुक बोलीदाता पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर लॉगईन आईडी तथा पासवर्ड बना सकते है। यदि लॉगईन आईडी, पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ईबोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि के लिए इच्छुक बोलीदाता को सहयोग की आवश्यकता हो तो वे मैसर्स ई-प्रक्योरमेन्ट टैक्नोलॉजीस लि., बी-704-5, वॉल स्ट्रीट-2, ओरिएंट क्लब के विपरीत, गुजरात कॉलेज रोड, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद, श्री राम शर्मा - 06351896834 ईमेल : delhi@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net, श्री नितिश झा, 7982880393, हैल्प लाईन : 079-61200595/520/548. हैल्प लाईन ईमेल: support@auctiontiger.net से सम्पर्क करें। ऑनलाईन अपलोडिंग के लिए वेबपोर्टल https://bob.auctiontiger.net तथा सम्पत्ति से सम्बंधित किसी भी पूछताछ के लिए आप उपर वर्णित सम्पत्ति के प्राधिकृत अधिकारी से किसी भी कार्य दिवस को कार्याविधि के दौरान सम्पर्क कर सकते है।
9. केवल ऐसे बोलीदाताओं को ही ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी जिनके पास वैध यूजर आईडी तथा पासवर्ड एवं एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा ईएमडी के भुगतान का निश्चित प्रमाण होगा।
10. प्राधिकृत अधिकारी को किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है। पुनः, प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताये बिना नीलामी प्रक्रिया की पूर्णता से पूर्व किसी भी समय नीलामी को निलंबित या रद्द या स्थगित या डिस्कंटीन्यू करने अथवा नीलामी की शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है तथा इस संदर्भ में उनका निर्णय अंतिम होगा।
11. यदि कोई बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो समापन का समय अगले 5 मिनट के लिए आगे बढ़ जाएगा।
12. यदि बोली प्रक्रिया की समाप्ति पर अन्य कोई बोली प्राप्त नहीं होती है तो उच्चतम राशि कोट करने वाले बोलीदाता (आरक्षित मूल्य से कम अथवा बराबर नहीं) को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। सफल बोलीदाता को तत्काल अथवा अधिकतम अगले कार्य दिवस तक) उनके पक्ष में बिक्री की घोषणा होने पर 25% क्रय मूल्य का भुगतान करना होगा, अन्यथा ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी।
13. केवल 25% बिक्री का भुगतान कर देने मात्र से ही सफल बोलीदाता अपने पक्ष में बिक्री की पुष्टि करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। यह बिक्री ई-नीलामी के नियमों एवं शर्तों तथा इस आशय के लिए प्रतिभूत क्रेडीटर की पुष्टि के अधीन होगी।
14. यहां ऊपर क्रम सं. 12 के अनुसार राशि के भुगतान के बाद सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकृत अधिकारी के पास शेष बिक्री मूल्य का भुगतान करना होगा। यदि वे उक्त राशि के भुगतान में विफल होते हैं तो उनके द्वारा जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी तथा प्राधिकृत अधिकारी सम्पत्ति के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार उन्हें उपलब्ध एक या अधिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
15. यदि सभी लागतों, चार्जेज तथा ऋणधारकों अथवा गारंटरों की ओर से बैंक द्वारा वहन किए गए खर्चे के साथ बैंक की बकाया का बिक्री के लिए निर्धारित तिथि को या उससे पूर्व किसी भी समय भुगतान कर दिया जाता है तो कोई बिक्री नहीं की जाएगी।
16. सभी सांविधिक देयताओं/एटेन्डेन्ट चार्जेज/पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, कर आदि सहित सभी बकाये का वहन सिर्फ क्रेता को ही करना होगा।
17. बिक्री प्रमाणपत्र उस नाम से जारी किया जाएगा जिसमें बोली जमा की गई हो।
18. बैंक ने उसे ज्ञात अधिभारों को प्रकट कर दिया है। प्राधिकृत अधिकारी अथवा बैंक ई-नीलामीकृत सम्पत्तियों के संदर्भ में किसी चार्ज, लियन अथवा सरकार या किसी अन्य के किसी बकाये के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि सांविधिक देयताओं, सम्पत्ति कर के बकाये, बिजली के बकाये आदि सहित सम्पत्ति के अधिभारों के संदर्भ में अपनी स्वतंत्र जांच कर लें।
19. बोलीदाता उपयुक्त इंटरनेट कनैक्टिविटी, पावर बैक अप आदि की व्यवस्था कर लें। इंटरनेट व्यवधान, पावर फैल्योर अथवा तकनीकी कारणों अथवा ई-नीलामी को प्रभावित करने वाले कारण/ आकस्मिकताओं के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
20. यदि उपयुक्त हुआ तो बैंक किसी भी एक या अधिक संपत्तियों को बोली लगा सकता है।

कर्जदार / गारंटर / बंधककर्ता के लिए 15 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना
कर्जदार/गारंटरों को एतद्द्वारा नीलामी की तिथि से पूर्व उपरिवर्णित राशि अद्यतन किए गए ब्याज और अनुषंगी व्ययों सहित अदा करने हेतु अधिसूचित किया जाता है, जिसमें विफल रहने पर सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और शेष देयताएं, यदि कोई, ब्याज और लागत सहित वसूल की जाएंगी।

दिनांक : 04-03-2020, स्थान : नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

www.readwhere.com

दंगों को लेकर प्रधानमंत्री से मिले मुख्यमंत्री केजरीवाल, बोले

दोषियों पर हो कड़ी कार्रवाई

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 मार्च।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया चाहे वे किसी भी दल के हों। तीसरी बार सत्ता में वापसी के बाद यह अरविंद केजरीवाल की प्रधानमंत्री के साथ पहली बैठक थी। यह मुलाकात संसद भवन स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई और करीब आधे घंटे चली।

बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली पुलिस ने अफवाहों पर लगाम लगाने में तत्परता से काम किया है और रविवार को स्थिति नियंत्रण रखने में काफी कामयाब रही। अगर दिल्ली इसी प्रकार से हिंसा के दौरान सजग रहती तो काफी लोगों को बचाया जा सकता था। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने भी इस बात पर सहमति व्यक्त की कि दिल्ली में ऐसी हिंसक घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार दंगों के दौरान भाजपा नेताओं के विवादास्पद बयानों के बारे में सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि

प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल।

बैठक में विशेष रूप से इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में हिंसा को लेकर फैली अफवाहों को रोकने में पुलिस की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री से अगले पांच साल दिल्ली का विकास करने और दिल्ली के लोगों के लिए काम करने के लिए उनका सहयोग मांगा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे दिल्ली का सहयोग करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि मैंने प्रधानमंत्री से अपील की है कि हमें यह कोशिश करनी है कि भविष्य में इस तरह की वारदात नहीं होनी चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी है। इस तरह के दंगे रोकने के लिए भविष्य में जो भी कदम उठाने की जरूरत है, वे कदम उठाए जाएंगे। इससे पूर्व अरविंद केजरीवाल 25 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात के लिए पहुंचे थे।

‘एफआइआर जरूर दर्ज कराएं’

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दंगा प्रभावित इलाकों में रहे रहे लोगों से अपील की है कि अगर उनका कोई नुकसान हुआ है तो इसकी पुलिस रिपोर्ट जरूर दर्ज कराएं। उन्होंने बताया कि जिस मामले में एफआइआर पुलिस के पास है उसमें आसानी से मदद हो रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने हर थाने में आम जनता की मदद के लिए दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) के वकीलों की टीम तैनात की है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को प्रमाण पत्र जल गए हैं वे उपायुक्त कार्यालय में जाकर सूचना दे सकते हैं। जहां से उसकी नकल के माध्यम से प्रमाणपत्र आसानी से मिल सकता है।

दंगा प्रभावित क्षेत्रों में अभिभावक शिक्षक बैठक आज

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 मार्च।

उत्तर पूर्व दिल्ली के दंगा प्रभावित क्षेत्रों में बुधवार को दिल्ली सरकार स्कूलों में अभिभावक-शिक्षक (पीटीएम) बैठक करेगी। राहत कार्यों की समीक्षा के बाद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि पीटीएम केवल उत्तर पूर्व जिले के स्कूलों के लिए होगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार पहले ही 7 मार्च तक सभी परीक्षाएं टाल चुकी है और दंगा प्रभावित क्षेत्रों में हालात की विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। रिपोर्ट एक सप्ताह के अंदर तैयार होगी।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उत्तर पूर्व दिल्ली के दंगा प्रभावित इलाकों का मंगलवार को दौरा किया और वहां पर चल रहे राहत अभियान की समीक्षा की। मनीष सिसोदिया शिव विहार व आसपास के इलाकों में पहुंचे और उन क्षेत्र के निवासियों से भी बात की। वहीं सामाजिक कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने गंगा विहार का दौरा किया और अधिकारियों को सहायता राशि बांटने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। मनीष सिसोदिया ने बताया कि जाफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर, चांद बाग, शिव विहार, भजनपुरा और मुस्तफाबाद के लोगों के साथ बैठकें कर रही है।

दिल्ली दंगे के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग

185 प्रदर्शनकारी छात्र हिरासत में लिए गए

यंग इंडिया की ओर से आयोजित मार्च में शामिल प्रदर्शनकारी

फोटो : अरुष चोपड़ा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 मार्च।

दिल्ली दंगों के खिलाफ संसद के बाहर भी लोग मंगलवार को लामबंद रहे। रामलीला मैदान से लेकर जंतर मंतर तक सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे। हालांकि पुलिस से इजाजत नहीं मिलने से इस बाबत रामलीला मैदान से जंतर मंतर तक ही रैली हो सकी। लेकिन रामलीला मैदान जा रहे करीब 185 प्रदर्शनकारी छात्र हिरासत में ले लिए गए। ये छात्र और युवा नागरिकता संशोधन कानून और उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन करने रामलीला मैदान पहुंच रहे थे। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों को दिल्ली के अलग-अलग स्थानों से हिरासत में लेकर कई थानों में ले जाया गया है।

यंग इंडिया कोओर्डिनेशन कमेटी के आह्वान पर तीन सौ से ज्यादा लोग जंतर मंतर पर जमा हो गए हैं, जिसमें पूर्व आइएएस अधिकारी और कार्यकर्ता के.गोपीनाथन भी मौजूद थे। इसमें विभिन्न छात्र संगठनों के विद्यार्थी शामिल हैं। कई प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि शहर के कई हिस्सों से सैकड़ों छात्रों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बताया कि बिना इजाजत संसद मार्ग तक मार्च करने की वजह से प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में लिया गया है। मार्च की अगुआई कर रहे जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष एनसाइ बालाजी ने कहा-हमने 27 फरवरी को अनुमति के लिए आवेदन किया था। हमें सोमवार को सूचित किया गया था कि इजाजत रद्द कर दी गई है। आखिरी मिनट पर सूचित किया गया है।

कई छात्रों ने पोस्टर और बैनर थामे हुए थे। जिन पर लिखा था- शांति, न कि दंगे। राजद्रोह कानून रद्द करो, सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता बंद करो। दिल्ली दंगों के लिए उन्होंने गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा। पूर्व आइएएस अधिकारी गोपीनाथन ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि अब भी ऐसे लोग हैं जो केंद्र सरकार से सवाल करने से डरते नहीं हैं। गोपीनाथन ने कहा-जब छात्र सरकार से सवाल करते हैं तो उन्हें टुकड़े-टुकड़े गैंग बताया जाता है। अगर कार्यकर्ता सवाल करते हैं तो उन्हें अर्बन नक्सल कहा जाता है। बालाजी ने भड़काऊ बयानों के लिए भाजपा नेताओं को गिरफ्तार नहीं करने पर दिल्ली पुलिस की आलोचना की।

फिलिप कोटलर पुरस्कार का आयोजन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 मार्च।

देश में पहले फिलिप कोटलर अवार्ड का आयोजन विज्ञान भवन में किया गया। विजन रूट्स की ओर से आयोजित कार्यक्रम में व्यवसाय के बदलते परिपेक्ष और चुनौतियों पर एक सत्र का भी आयोजन हुआ। इसमें हरुतो इवता (फुजी फिल्मस के प्रबंध निदेशक), विशेषज्ञ डोमिनिक हैन्सेंस, जर्मन प्रोफेसर, सादिया किबरिया, लेखक और शोधकर्ता मार्क ओलिवर एवं मार्केटिंग पुस्तकों के लेखक और विज्ञापन कंसल्टेंसी की सह-संस्थापक लौरा रीज से व्याख्यान दिए और व्यवसाय के गुर बताए।

एसपी मुखर्जी महाविद्यालय में वार्षिकोत्सव

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 मार्च।

दिल्ली विश्वविद्यालय के श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में अमरेन्द्र खतुआ, पूर्व सचिव, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में आशीष रावत, भारतीय वन सेवा तथा महाविद्यालय के गवर्निंग बॉडी की चेयरपर्सन प्रो कविता शर्मा उपस्थित रहीं।

महाविद्यालय के संगीत विभाग की छात्राओं द्वारा राग भैरवी में वीणा वादन किया गया, चैती एवं दादरी का गायन भी किया गया। नृत्य समिति द्वारा भरतनाट्यम, कुचीपुड़ी एवं मोहिनीअट्टम की मनमोहक प्रस्तुति दी गयी। प्राचार्या डॉ साधना शर्मा एवं नीलम गोयल द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि अमरेंद्र खतुआ ने महिलाओं की सकल घरेलू उत्पादन में भागीदारी को रेखांकित किया। आशीष रावत ने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने व सफलता का मूलमंत्र दिया। प्रो. कविता शर्मा ने अध्यापक की भूमिका को सूचना से ज्ञान में परिवर्तित करने वाला बताया। छात्राओं को शैक्षणिक उपलब्धि के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए।

नोएडा में बनाया जाएगा फैशन हब

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 3 मार्च।

दिल्ली-मुंबई की तर्ज पर नोएडा में एक फैशन हब बनाया जाएगा। इस हब में एक ही छत के नीचे बहुत सारे डिजाइनरों एवं ब्रांड के उत्पाद प्रदर्शित किए जा सकेंगे। जिससे उपभोक्ताओं को सहूलियत होगी। इससे पहले शहर में तैयार वस्त्र एवं कपड़ों के उत्पादों को नोएडा हाट में प्रदर्शित करने की योजना है।

नोएडा अपेरल एक्सपोर्ट क्लस्टर (एनएईसी) के अध्यक्ष ललित ठुकराल के नेतृत्व में संस्था के अन्य पदाधिकारियों ने मंगलवार को सीईओ रितु माहेश्वरी से मुलाकात की। ललित ठुकराल के मुताबिक नोएडा में रेडीमेड कपड़ों के निर्माण व निर्यात से जुड़ी अनेक महत्त्वपूर्ण इकाईयां हैं। यहां एक बहुत बड़ा अपेरल क्लस्टर भी स्थापित है लेकिन इन इकाईयों के परिधानों को प्रदर्शित किए जाने के लिए नोएडा में कोई विशेष प्रबंध नहीं हैं। सीईओ ने नोएडा में निर्मित वस्त्रों को सेक्टर-32 स्थित शिल्प हाट में प्रदर्शित किए जाने का प्रस्ताव दिया।

दिल्ली के चौक-चौराहों पर दिखेगा अमन समिति का नंबर

विधान सभा की अमन समिति की बैठक में फैसला

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 मार्च।

अमन समिति की बैठक में मंगलवार को फैसला लिया गया कि चौक-चौराहों तक अमन समिति का मोबाइल नंबर पहुंचाया जाएगा ताकि आसानी से लोग अशांति होने की स्थिति में सरकारी तंत्र व समिति को सूचित कर सकें। दिल्ली सरकार का मानना है कि इससे सभी क्षेत्रों में चौकसी बढ़ाने में मदद मिलेगी।

विधानसभा की अमन समिति की बैठक के बाद विधायक सौरभ भारद्वाज ने बताया कि इस प्रकार की शिकायत मोबाइल नंबर 8950000946 पर की जा सकती हैं। इस नंबर पर स्क्रीन शॉट लेकर जानकारी भेजी जा सकती है। इसके अतिरिक्त ईमेल आइडी डीवीएससीओएमएमआइटीटीईई@दिल्लीडॉटज ीओवीडॉटइन पर भी संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अफवाहों के मामले में तीन साल तक की सजा का प्रावधान है। यह जानकारी भी सरकारी तंत्र के माध्यम से प्रसारित की जाएगी। अमन समिति की बैठक में विधायक अजय महावर समेत अन्य प्रतिनिधि भी शामिल हुए। सौरभ भारद्वाज ने बताया कि समिति ने लोगों को जागरूक करने के लिए इस नंबर व ईमेल का व्यापक स्तर पर प्रचार करने का आदेश दिया गया है। उन्होंने बताया कि जो भी शिकायत सामने आएंगी उन मामलों को संबंधित विभागों को भेजा जाएगा और सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए जाएंगे।

5 मार्च को होगी सभी विधानसभाओं की बैठक : सौरभ भारद्वाज ने बताया कि बैठक में तय किया गया है कि आगामी 5 मार्च को अमन समिति के सदस्यों की पहल पर एक विशेष बैठक होगी। यह बैठक शुक्रवार से ठीक पहले रखी गई है ताकि कहीं भी नमाज के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी सामने नहीं आए। इस बैठक में प्रभावित विधानसभाओं के जन प्रतिनिधि, धर्म गुरु और अन्य जरूरी लोगों को बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि अमन समिति की बैठक में पुलिस आयुक्त को बुलाया जाएगा।

वाई श्रेणी की सुरक्षा पहले से है : मिश्रा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 मार्च।

भाजपा के चर्चित नेता कपिल मिश्रा को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया गया है। इसके तहत कपिल मिश्रा के साथ 24 घंटे छह सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे, जबकि कपिल मिश्रा का कहना है कि मुझे यह सुरक्षा हालिया हिंसक घटनाओं के बाद नहीं दी गई है बल्कि छह सुरक्षाकर्मी उनके साथ तभी से है जब ‘आप’ के कार्यकर्ता ने उनपर हमला किया था।

23 फरवरी को मिश्रा ने जाफराबाद क्षेत्र के मौजपुर चौक पर सीएए के समर्थन में एक सभा का नेतृत्व किया था। इसके बाद सीएए समर्थक और विरोधी आमने-सामने आए और इस इलाके में हिंसा भड़क उठी थी।

पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम

नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जयंती और नीतीश कुमार के जन्मदिन पर सरदार पटेल स्मारक ट्रस्ट जंतर-मंतर और जनता दल (एकी) कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी नितिनजय चौधरी के मुताबिक देसाई की 125 वीं जयंती पर पूरे देश में 125 जगहों पर कार्यक्रम किया गया। (जसं)

प्रपत्र सं. आईएनसी- 25ए
एक सार्वजनिक कम्पनी का प्राईवेट कम्पनी में रूपांतरण
क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय, मुख्यालय, नई दिल्ली के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41 के मामले में
तथा
मामले में:
कौटिल्य इन्फोटेक लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय आर-4, यूनिट-102, प्रथम तल, खिड़की एक्स्टेंशन, मैन रोड, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017 में है, के मामले में
- आवेदक
एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी उपरोक्त नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास एक आवेदन करने के लिये इच्छुक है तथा ऐसे रूपांतरण को प्रभावी करने के लिये कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए शनिवार, 22 फरवरी, 2020 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी को एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी में रूपांतरित करने के लिए इच्छुक है।
कंपनी की स्थिति में इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके नीचे वर्णित पते पर पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, (उत्तरी क्षेत्र), बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:
कौटिल्य इन्फोटेक लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय आर-4, यूनिट-102, प्रथम तल, खिड़की एक्स्टेंशन, मैन रोड, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017
कृत्ते एवं के लिये
कौटिल्य इन्फोटेक लिमिटेड
हस्ता./-
सोहन लाल
निदेशक
DIN No: 03322557
तिथि: 3.3.2020
स्थान: दिल्ली
पता: सी-4/511, राकेश मार्ग, गुलमोहर एन्क्लेव, नेहरू नगर-3, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001

मांग सूचना
जबकि, असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड (इसमें आगे 'आर्सिल' कही गई है), जो कम्पनी अधिनियम के अधीन निगमित एक प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण कम्पनी है तथा प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण चार्ट की धारा 3 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत है, के प्राधिकृत अधिकारी ने विभिन्न बैंकों से ऋण प्राप्त किया है और जबकि आर्सिल नीचे वर्णित चार्ट के कालम 2 में वर्णित ऋण खातों के संबंध में वित्तीय आस्तियों का धारक है और जबकि आर्सिल ने, अधिनियम के अधीन प्रतिभूत क्रेडिटर के रूप में तथा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 2 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कालम 2 में वर्णित कर्जदारों/सह-कर्जदारों को मांग सूचना जारी की थी, जिसमें उनसे सूचनाओं में वर्णित राशि उस पर आगे ब्याज के साथ सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी, परंतु विभिन्न कारणों से उनमें से कुछ को सूचनाएं सुपुर्द नहीं की जा सकीं।

क्र. सं.	कर्जदार का नाम/सह-कर्जदार का नाम ऋण खाता सख्या	कुल बकाया राशि (रू. में)/ नियत तिथि
1	अमन बाबू जायसवाल/ राम गोपाल जायसवाल / कमल श्रीवास्तव/ सतीश कुमार / 10469031601	रु. 16,51,369.82/- 05.02.2020
प्रतिभूत सम्पत्ति का पता : भूमि और संपत्ति प्लॉट नंबर 22 (माप 87.79 वर्ग मीटर) पर स्थित है। खसरा नंबर 385, 386, 387, 415 और 416, मां वैष्णो कुंज, दोहरा, परगना और तहसील और जिला बरेली, उत्तर प्रदेश। चौहद्दी : पूर्व - मार्ग, पश्चिम - प्लॉट नं. 21ए, उत्तर - वैष्णो कुंज की भूमि, दक्षिण - सड़क।		
2	श्री विवेक जैन / श्रीमती दीपाली जैन / श्री रोहित जैन/ 9600000594	रु. 1,66,14,801.43/- 26.09.2019
प्रतिभूत सम्पत्ति का पता : प्लॉट नं. सी-399, दूसरी मंजिल, योजना विहार, दिल्ली-110092 श्री विवेक जैन और श्री रोहित जैन के नाम पर, 182.20 वर्ग गज। चौहद्दी : पूर्व-प्लॉट नं. 400, पश्चिम-प्लॉट नं. 398, उत्तर - सर्विस लेन, दक्षिण-सड़क 30 फीट चौड़ा।		
3	जफर बेग / साबरा बेगम / भभूति प्रसाद / रहमत बेग / 10418123061	रु. 10,77,075.35/- 20.02.2020
प्रतिभूत सम्पत्ति का पता : प्लॉट न. / खेत नं. 42, चोक ग्राम-रहपुरा, परगना और तहसील और जिला-बरेली, उत्तर प्रदेश। चौहद्दी : पूर्व - मौलाना माजिद खान का खेत, पश्चिम - रास्ता 10 फीट चौड़ा, उत्तर - सहाउद्दीन का खेत, दक्षिण-अहमदयार खान का खेत।		

अतएव कालम नंबर 2 में वर्णित कर्जदारों/सह-कर्जदारों को सूचना दी जाती है तथा कालम 3 में संबंधित कर्जदार/सह-कर्जदार के सामने दर्शाई गई कुल राशि का भुगतान, इस सूचना के 60 दिन के भीतर करने की मांग की जाती है, क्योंकि उक्त राशि कालम नंबर 3 में दर्शित तिथि को संबंधित ऋण खातों के संबंध में देय पाई गई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कुल राशि, भुगतान की तिथि तक आगे ब्याज और और अन्य राशियों, जो देय हो सकती हैं, के सहित नहीं चुकाए जाने की स्थिति में आर्सिल उपरिवर्णित सम्पत्तियों पर प्रतिभूति हित के प्रवर्तन हेतु उपयुक्त कार्यवाही करने हेतु बाध्य होगा। अधिनियम और तदधीन विरचित नियमों के अधीन निर्धारित अन्य विधियों से सूचना प्रदान करने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं।
स्थान : उत्तर प्रदेश
तिथि : 04-03-2020
हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड
Arcil
असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड
सीआईएन : U65999MH2002PLC134884, वेबसाइट: www.arcil.co.in
पंजीकृत कार्यालय : दि रूबी, 10वां तल, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई-400028, फोन + 91 2266581300
शाखा पता : द्वितीय तल, सेठी चैम्बर्स, प्लॉट नंबर 2, डीडीए लोकल शॉपिंग सैन्टर, निकट विद्या भवन गर्ल्स सीनियर सेकण्ड्री स्कूल, एमओआर लैन्स, न्यू राजिन्दर नगर, नई दिल्ली-110060, फोन : 011-46370444

सार्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईंट, मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालयः तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि - 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाषः +91 484-2396478, 2394712, फैक्सः +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (31.12.2018 की अवधि तक NPA खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।
नीलामी की तिथि: 09.03.2020
Delhi - Paharganj: MUL-1846, 2310, 2945, 2978, Chawri Bazar: MUL-1211, Delhi - Azad Market: MSL-5730, Delhi - Sadar Bazar: MUL-582, 603, Delhi - Sadar Thana: MUL-1614, Pahari Dhiraj Sadar Bazar: MUL-1459
कम शुद्धता के गहनों की नीलामी (30.08.2019 की अवधि तक एनपीए खाते)
नीलामी की तिथि: 09.03.2020
Delhi - Chawri Bazar: MUL-3513
नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी।
हालाँकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी पूरी नहीं हो जाती तो ऐसी स्थिति में यह संबंधित नीलामी वहाँ दिनांक 11.03.2020 को क्रमशः नीलामी केंद्र Muthoot Finance Ltd., First Floor, Property No. 2/7, Desh Bandhu Gupta Road, Paharganj, New Delhi - 110055 में संचालित की जाएगी/जारी रहेगी। और ऐसी स्थिति में जहाँ इस सबके बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएँ नहीं दी जाएंगी।
कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट,
ए 59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली - 110024
नोटः ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडीः auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464,7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम
अधिशासी अभियंता (परियोजना) का कार्यालय
करोल बाग जोन, जखिरा फ्लाइओवर के नीचे,
नई दिल्ली-110035
नि.आ.सू. सं.14/ईई(पीआर)/टीसी/केबीजेड/19-20 दिनांक: 02.03.2020
ऑनलाइन निविदा डालने की समय सारणी के लिए कृपया www.tenderwizard.com/NORTHDMCETENDER देखें। उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा दि.न.नि. (सामान्य विंग) के साथ पंजीकृत अनुमोदित एवं पात्र संविदाकारों से निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन हेतु सीलबंद प्रतिशत/मद दर निविदाएं निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार आमंत्रित की जाती हैं। निविदाएं समय-सारणी के अनुसार प्राप्त की जाएंगी। निविदाओं को अधोहस्ताक्षरी द्वारा 13.03.2020 को अपराह्न 3.15 बजे वेबसाइट http://mcdetenders.com पर खोला जाएगा।
निविदा दस्तावेज के क्रय की प्रारंभ तारीख : 03.03.2020 अपराह्न 3.00 बजे
बोली जमा करने की अंतिम तारीख : 13.03.2020 अपराह्न 3.00 बजे
वित्तीय बोली खोलने की तारीख : 13.03.2020 अपराह्न 3.15 बजे
क्र.सं.1. कार्य का नाम: करोल बाग जोन में वाई-ब्लॉक, लोहा मंडी, वार्ड सं. 104एन में वाई-96 से वाई-107 और वाई-168 से वाई-144 तक सड़क और नाली का पुनर्निमाण। (राजेन्द्र नगर, एसी-39)।, अनुमानित राशि (रु. में): 11338300/-, निविदा राशि (रु. में): 10485850/-, धरोहर राशि (रु. में): 226800/-, लेखा शीर्ष: XL-VIII-S(d), निविदा लागत (रु. में): 1000/-, कार्य पूरा करने का समय: 4 महीने, दरें मान्य रहने की अवधि: 5 महीने।
क्र.सं.2. कार्य का नाम: करोल बाग जोन में जेड-ब्लॉक, लोहा मंडी, वार्ड सं. 104एन में जेड-143/3 से जेड-116 और जेड-42 से जेड-143/3 तक सड़क और नाली का पुनर्निमाण। (राजेन्द्र नगर, एसी-39)।, अनुमानित राशि (रु. में): 15561600/-, निविदा राशि (रु. में): 14391675/-, धरोहर राशि (रु. में): 311300/-, लेखा शीर्ष: XL-VIII-S(d), निविदा लागत (रु. में): 1000/-, कार्य पूरा करने का समय: 4 महीने, दरें मान्य रहने की अवधि: 5 महीने।
इस नि.आ.सू. के जारी करने की तारीख तक दि.न.नि./उत्तरी दि.न.नि. द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी परिपत्र लागू होंगे। निविदा का विवरण www.tenderwizard.com/NORTHDMCETENDER पर देखा जा सकता है।
हस्ता. -
ईई(पीआर)/केबीजेड
RO No. 237/NorthDMC/2019-20

"फॉर्म सं. आईएनसी-26"
(कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में)
कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
केन्द्र सरकार उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी के (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (क) के मामले में
तथा
रौकवूड एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
जिसका पंजीकृत कार्यालय सी-2/4, जनक पुरी, नई दिल्ली दि. 110046, भारत पर स्थित है के मामले में
...याचिकाकर्ता
एतदद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि करती है, जिसके तहत 24, फरवरी, 2020 को असाधारण आम सभा आयोजित की गई ताकि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' से 'उत्तराखंड राज्य' में स्थानांतरित करने में सक्षम बन सके।
कोई व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथ-पत्र भरकर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर सुपुर्द कर सकता है अथवा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2, विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ परिसर, नई दिल्ली-110003 के पते पर इस सूचना प्रकाशन की तारीख के चौदह (14) दिनों भीतर सुपुर्द कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकते हैं। साथ ही इसकी एक प्रति आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के निम्नलिखित पते पर भी भेजनी होगी:
पता: सी-2/4, जनक पुरी, नई दिल्ली, दि.110046, भारत
बोर्ड के लिए और उनकी ओर से
रौकवूड एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
राहुल मित्तल
(निदेशक)
DIN: 06742908
दिनांक: 04.03.2020
स्थान: दिल्ली

प्रपत्र सं. आइएनसी-26
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
केन्द्रीय सरकार/प्रादेशिक निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (अ) के मामले में
और
अमर रिप्लेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
CIN : U20296DL2011PTC304409
जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : हाउस नं 4, दूसरा फ्लोर, बीएलके-डीयू, पीतमपुरा नियर गुरुद्वारा एण्ड इन्कम टैक्स कॉलोनी दिल्ली - 110034 में स्थित है
याचिकाकर्ता
आम जनता को यह नोटिस दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए तारीख **30 जनवरी, 2020** को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।
कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।
हाउस नं 4, दूसरा फ्लोर, बीएलके-डीयू, पीतमपुरा नियर गुरुद्वारा एण्ड इन्कम टैक्स कॉलोनी दिल्ली - 110034
आवेदक की ओर से
अमर रिप्लेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./-
अनुज कुमार गर्ग
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन : 03466521
तिथि : 03.03.2020
स्थान : नई दिल्ली

COURT NOTICE
Criminal Courts, Ludhiana
In the court of Sh. Devnoor Singh
Judicial magistrate-1st class ludhiana
Publication notice for proclamation under Section 82 CR.PC
Complaint R/ w sec-138 N.I ACT
CNR NO: PBLD03-005504-2019
PESHI: 30-03-2020
M/s Des Raj Textiles And Garments
V/s
Virendra Kumar Mahto
Notice To: Virender Kumar Mahato, Prop. M/s K.k. Enterprises, 24, Trimurti, Dhanjay Bhattacharya, Sadnivi, Howrah, Calcutta, West Bengal
Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 30-03-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in default of your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. Given under my hand and the seal of the court. for details login to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
JMIC LUDHIANA

COURT NOTICE
Criminal courts, ludhiana
In the court of Sh. Devnoor singh
Judicial magistrate-1st class ludhiana
Publication notice for proclamation under section 82 CR.PC
Complaint R/w sec-138 of N.I ACT
CNR NO: PBLD03-000282-2019
PESHI: 30-03-2020
Ram Baran Singh
V/s
Shiv Kumar Singh
Notice To: Shiv Kumar Singh S/o Shri Shiv Partap Singh, R/o Village Lokahi, P.o. Hazurpur, District Bahraich, U.p
Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before the court on 30-03-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in default of your part to appear as directed above, the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. Given under my hand and the seal of the court. For details login to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
JMIC LUDHIANA

COURT NOTICE
Criminal Courts, Ludhiana
In the court of Sh. Gurdarshan Singh
Judicial magistrate-1st class ludhiana
Next date, purpose of case, orders and judgments as well as other
Case information is available on
http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana
CNR NO: PBLD03-037152-2017
NEXT DATE: 07-04-2020
Kotak Mahindra Bank
V/s
Vijender Singh
Notice To: Vijender Singh R/o 28, Bichpuri, Agra-282007 (uttar Pradesh)
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ / accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 07-04-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. For details logon to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
JMIC LUDHIANA

COURT NOTICE
In the court of Sh. Devnoor Singh
Judicial magistrate-1st class ludhiana
Publication notice for proclamation under section 82 CR.PC
Complaint R/w sec-138 of N. I ACT
CNR NO: PBLD03-005453-2019
PESHI: 31-03-2020
Avon Cycles Ltd
V/s
Ashalata Cycle & Motors
Notice To:1. M/s Ashalata Cycle And Motors, Sarbomangala Pally, Opp. Forest Office, Malda-732101, West Bengal. Through Its Prop. Pankaj Mandal 2. Pankaj Mandal, Prop. Of M/s Ashalata Cycle & Motors, Sarbomangala Pally, Opp. Forest Office, Malda-732101 West Bengal
Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 31-03-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in default of your part to appear as directed above, the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. Given under my hand and the seal of the court. For details login to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
JMIC LUDHIANA

सिख छात्र की पगड़ी उतारने की शिकायत पर शिक्षिका को ड्यूटी से हटाया गया

धार (मप्र), 3 मार्च (भाषा)।

मध्य प्रदेश में धार जिले के धामनोद में 12वीं कक्षा के एक सिख छात्र को स्कूल की परीक्षा के दौरान कथित तौर पर जांच के लिए अपनी पगड़ी उतारने के लिए कहा गया। घटना की शिकायत मिलने के बाद शिक्षिका को परीक्षा की ड्यूटी से हटा दिया गया है। यह घटना जिला मुख्यालय धार से लगभग 55 किलोमीटर दूर धामनोद कस्बे के परीक्षा केंद्र शासकीय कन्या विद्यालय में सोमवार को हुई। 12वीं की परीक्षा देने पहुंचे सिख छात्र हरपाल सिंह को जांच के दौरान महिला शिक्षक ने पगड़ी उतारने को कहा। छात्र ने शुरू में इससे इनकार कर दिया और केंद्र के प्रभारी से संपर्क किया। इस पर केंद्र प्रभारी ने भी उससे परीक्षा नियमों का पालन करने को कहा। छात्र हरपाल ने आरोप लगाया कि इसके बाद उसकी पगड़ी उतार कर जांच की गई और फिर उसे परीक्षा में बैठने दिया गया। आदिम जाति कल्याण विभाग के उपायुक्त बृजेश पांडेय ने बताया कि मामले की जानकारी मिलने के बाद शिक्षिका ममता चौरसिया को परीक्षा ड्यूटी से हटा दिया गया है।

दिल्ली दंगा पीड़ितों को 25 लाख की मदद करेंगे एएमयू के डॉक्टर

अलीगढ़, 3 मार्च (भाषा)।

अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय (एएमयू) स्थित जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों और सीनियर रेजीडेंट्स ने हाल में दिल्ली में हुए दंगों के पीड़ितों को 25 लाख रुपए की मदद का एलान किया है।

मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद हमजा ने मंगलवार को बताया कि जूनियर डॉक्टरों और सीनियर रेजीडेंट्स ने दिल्ली दंगों के सभी पीड़ितों, चाहे वे किसी भी मजहब के मानने वाले हों, की मदद के लिए अपना कम से कम एक दिन का वेतन देने का एलान किया है। उन्होंने बताया कि यह सहायता राशि दंगा पीड़ित लोगों को राहत और पुनर्वास उपलब्ध कराने के लिए एएमयू के वित्त अधिकारी द्वारा बांटी जाएगी।

हमजा ने बताया कि देश की राजधानी गंभीर मानवीय संकट के इस दौर से गुजर रही है और ये ही सही समय है कि सभी अमन पसंद नागरिक मदद के लिए एक

महिला को होता है छूने वाले की नीयत का अहसास

मुंबई, 3 मार्च (भाषा)।

बंबई हाई कोर्ट ने पूर्व अदाकारा से छेड़खानी के मामले में दोषी की सजा पर रोक लगाते हुए कहा कि महिला को भले ही कम जानकारी हो लेकिन जब एक पुरुष उसे स्पर्श करता है या देखता है तो उसे उसकी मंशा की जानकारी होती है।

न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण दिसंबर 2017 में एक घरेलू उड़ान में पूर्व अभिनेत्री के साथ छेड़छाड़ करने के अपराध में दोषी ठहराए गए व्यापारी विकास सचदेव की उस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें उन्होंने मामले में अपनी दोषसिद्धि और तीन साल की सजा को चुनौती दी है।

अदालत ने मंगलवार को सचदेव की याचिका स्वीकार करते हुए उसकी सजा पर मामले की सुनवाई व फैसला आने तक रोक लगा दी। सत्र अदालत ने 15 जनवरी, 2020 को विकास सचदेव को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला पर उसकी शीलता को भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) और बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया था। पीड़िता घटना के समय नाबालिग थी।

सचदेव को मामले में तीन साल की सजा सुनाई गई थी। सत्र अदालत ने उसी दिन सचदेव को जमानत दे दी थी और उसकी सजा को तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया था। इस व्यवसायी ने 20 फरवरी को हाई कोर्ट में दायर अपनी अपील में दावा किया था कि निचली अदालत ने उसे दोषी ठहराने में गलती की है। सचदेव के वकील अनीकेत निकम ने मंगलवार को हाई कोर्ट से कहा कि उनके मुवक्किल को गलत दोषी ठहराया गया है, अगर उसका पैर भी पीड़िता को लगा था तो भी यह गलती हो सकती है और इसमें उसको उत्पीड़ित करने की कोई मंशा नहीं थी। इस पर न्यायमूर्ति चव्हाण ने पूछा कि सचदेव के पैर और हाथ उसकी सीट से आगे क्यों थे। न्यायमूर्ति चव्हाण ने कहा, 'एक महिला को भले ही कम पता हो लेकिन उसे समझ में सब आता है। यह एक प्राकृतिक उपहार है, छूना–देखना ... एक पुरुष को यह समझ नहीं आता लेकिन एक महिला को उसके पीछे की मंशा समझ आ जाती है।' न्यायमूर्ति ने कहा कि केवल पीड़िता ही आरोपी व्यक्ति की मंशा के बारे में बता सकती है। एक आरोपी यह कभी नहीं मानेगा कि उसने गलत मंशा से छुआ था। उन्होंने कहा, 'सचदेव 'बिजनेस क्लास' में यात्रा कर रहे थे, जहां बहुत जगह होती है तो फिर अपने पैर और हाथ दूसरे की सीट पर क्यों रखे?' जब सचदेव के वकील ने तर्क दिया कि महिला ने इसकी शिकायत चालक दल के सदस्यों से नहीं की और मुस्कुराते हुए विमान से उतरी, इस पर अदालत ने कहा कि ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि महिला ऐसी घटनाओं पर कैसा व्यवहार करे या प्रतिक्रिया दे।

हालांकि, पीठ ने सचदेव की याचिका स्वीकार करते हुए उसे निचली अदालत से सुनाई गई सजा पर सुनवाई पूरी होने तक रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि निकट भविष्य में याचिका पर सुनवाई की गुंजाइश नहीं है और चूंकि याचिकाकर्ता को दी गई सजा की अवधि कम है, इसलिए यह सजा स्थगित रहेगी।

स्पर्श–संवेदनशीलता

- विमान में पूर्व अदाकारा से छेड़छाड़ का मामला आरोपी को अदालत ने लगाई कड़ी फटकार
- एक महिला को भले ही कम पता हो लेकिन उसे समझ में सब आता है। यह एक प्राकृतिक उपहार है, छूना ...देखना, एक पुरुष को यह समझ नहीं आता लेकिन एक महिला को उसके पीछे की मंशा समझ आ जाती है।' न्यायमूर्ति ने कहा कि केवल पीड़िता ही आरोपी व्यक्ति की मंशा के बारे में बता सकती है। एक आरोपी यह कभी नहीं मानेगा कि उसने गलत मंशा से छुआ था।

बेटे व पत्नी को जिंदा जलाया, आरोपी फरार

भागलपुर, 3 मार्च (जनसत्ता)।

शराबी पति ने अपनी पत्नी और मासूम बेटे को किरासन तेल छिड़क कर जिंदा जला देने की कोशिश की। इसके पहले रात में कमरा बंद कर बुरी तरह पीटा। ससुराल के दूसरे लोगों ने इलाज के वास्ते जवाहरलाल नेहरू भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाकर भर्ती कराया। मगर इतवार देर रात आग से झुलसे बेटा हिमांशु की इलाज के दौरान मौत हो गई और सोमवार रात उसकी मां रानी देवी ने भी प्राण त्याग दिए। वह भी पति की लगाई आग से बुरी तरह झुलस गई थी।

थाना बरारी की पुलिस मंगलवार को परिजनों का बयान दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम कराया है और मामला दर्ज करने झारखंड के महगामा पुलिस को भेज दिया है। यह गोड्डा जिले के तहत आता है। रानी देवी का मायका भागलपुर के गोराडीह है। इसकी शादी महगामा के कुंदन कामती से हुई थी। यह वारदात महगामा गांव की है। मृतक रानी देवी ने दम तोड़ने के पहले बरारी पुलिस को सारे वाकए की जानकारी दी। जिसमें पति के प्रताड़ित करने और हमेशा मारपीट करने व घासलेट छिड़क कर उसे और बेटे को जिंदा जलाने की पूरी दास्तान बताई है।

जानकारी मिलने पर सोमवार को रानी देवी के मायके वाले भी अपनी बेटी को देखने भागलपुर अस्पताल पहुंचे। इन लोगों ने भी शिकायत की कि नशे में वह रोजाना मारपीट करता था।

इस बात का जिक्र बेटी करती थी। मगर समझाने के बाद भी कुंदन में कोई बदलाव नहीं आया। आखिर मां–बेटे की जान लेकर ही उसे तसल्ली मिली। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। आरोपी फरार है।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईंट मैसर्स मुथूट फाईनान्स लि. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालय: तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि – 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाष: +91 484-2396478, 2394712, फैक्स: +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (31.12.2018 की अवधि तक NPA खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

नीलामी की तिथि: 11.03.2020

Kota - Mahavir Nagar: MWS- 180, 457, 470, 475, 506, 557, 578, 579, 592, 609, 639, 680, 682, 698, 706, 803, 810, 811, 829, 830, 862, 883, 984, 991, 1038, 1043, 1085, 1122, 1170, 1183, 1267, 1315, 1356, 1397, 1400, 1432, 1524, 1601, 1811, 1829, 1858, 1904, 1996, 2009, 2078, 2219, 2261, 2287, 2289, 2332, 2371, 2526, 2576, 2854, 2912, **Kota - Gumanpura:** MUL-2690, MWS-483, 531, 535, 546, 620, 674, 715, 740, 746, 747, 754, 755, 764, 766, 834, 847, 858, 920, 951, 971, 1025, 1026, 1029, 1038, 1044, 1096, 1124, 1128, 1147, 1148, 1253, 1258, 1277, 1337, 1431, 1434, 1469, 1497, 1528, 1536, 1539, 1540, 1541, 1578, 1579, 1580, 1634, 1640, 1645, 1656, 1685, 1697, 1744, 1789, 1850, 1896, 1960, 1976, 2045, **Kota - CAD Circle:** MUL-1970, 1976, 2000, 2037, 2038, 2084, 2118, 2169, 2194, 2384, 2396, 2398, 2412, 2420, 2496, 2561, 2677, 2689, 2722, 2725, 2767, 2774, 2777, 2799, 2803, 2841, 2871, 2878, 2880, 2912, 3056, 3318, **Kota - Nayapura:** MUL-1218, 1261, 1453, 1592, 1639, 1646, 1647, 1666, 1709, 1711, 1718, 1731, 1780, 1809, 1839, 1843, 1871, 1882, 1903, 1911, 1951, 1954, 1981, 2040, 2041, 2058, 2084, 2088, MWS-119, 266, 334, 343, **Kota - Aerodrome Circle:** MWS-201, 335, 348, 352, 401, 437, 449, 564, 578, 623, 638, 645, 767, 874, 919, 949, 1083, 1140, 1519, 1560, 1604, 1719, 1843, **Kota - Baran Road (Ra):** MUL-676, 691, 706, 710, 714, 715, 732, 750, 766, 797, 878, 897, 904, 913, 914, 920, 970, 981, 991

कम शुद्धता के गहनों की नीलामी (30.08.2019 की अवधि तक एनपीए खाते)

नीलामी की तिथि: 11.03.2020

Kota - Baran Road (Ra): MUL-1159, RGL-169

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी। हालांकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी पूरी नहीं हो जाती तो ऐसी स्थिति में यह संबंधित नीलामी वहीं दिनांक **12.03.2020** को क्रमशः नीलामी केंद्र **Plot No. 640, Dadabari Road, Shastri Nagar, Near Cad Circle, Kota - 324009** में संचालित की जाएगी/जारी रहेगी। और ऐसी स्थिति में जहाँ इस सबके बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएँ नहीं दी जाएंगी।

Date of Auction: 09.03.2020

Baran - (Ra): MUL-1166, 1199, 1208, 1226, 1233, 1243, 1286, 1290, 1307, 1310, 1321, 1323, 1339, 1340, 1390, 1395, 1407, 1416, 1420, 1453, 1461, 1494, 1507, 1539, 1541, 1543, 1594, 1621, 1658, 1685, 1851, MWS-33, 43, 50, 95

Date of Auction: 11.03.2020

Sawai Madhopur - (Ra): MUL-346, 413, 447, 470, 480, 505, 519, 545, 550, 582, 621, 649

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी। हालांकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएं नहीं दी जाएंगी।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर–II, नई दिल्ली - 110024

नोट: ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी: auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464, 7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

Brooks
LABORATORIES LIMITED

BROOKS LABORATORIES LIMITED

Corporate Identification Number of our Company: L24232HP2002PLC000267

Registered Office: Village Kishanpura, Nalagarh Road, Baddi, Nalagarh – 174101, Himachal Pradesh, India | **Tel:** +91 1795 236939

Corporate Office: *(Address where books of account and papers are maintained)*: 502, Kanakia Atrium-2, Andheri Kurla Road, Next to Hotel Courtyard Marriott, Andheri (East), Mumbai – 400093, Maharashtra, India | **Tel:** +91 22 6193 3100 | **Website:** www.brookslabs.net | **E-mail:** cs@brookslabs.net

Contact Person: Jyoti Sancheti, Company Secretary and Compliance Officer

PROMOTERS: MR. ATUL RANCHAL AND MR. RAJESH MAHAJAN

ISSUE OF UP TO 76,66,390 EQUITY SHARES WITH A FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 20.00 PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 10.00 PER RIGHTS EQUITY SHARE) FOR AN AMOUNT AGGREGATING UPTO ₹ 1,533.28 LAKHS ON RIGHTS BASIS IN THE RATIO OF 9 RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 20 FULLY PAID UP EQUITY SHARES) HELD BY THE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, I.E. FEBRUARY 12, 2020. THE ISSUE PRICE IS 2 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE RIGHTS EQUITY SHARES.

NOTICE TO ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

RIGHTS ISSUE PERIOD EXTENDED

ISSUE CLOSING DATE (OLD)
WEDNESDAY, MARCH 4, 2020

ISSUE CLOSING DATE (NEW)
THURSDAY, MARCH 12, 2020

ASBA*	Simple, Safe, Smart way of Application - Make use of it!!!	*Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same.	For further details check section on ASBA below.

Please note that in accordance with provisions of applicable circulars issued by SEBI, all QIBs, Non-Institutional Investors and Retail Individual Investors complying with the eligibility conditions prescribed by SEBI, shall only invest in the Issue through ASBA process, unless otherwise permitted by regulatory authorities or under applicable law. Accordingly, all Eligible Equity Shareholders who (a) hold Equity Shares in dematerialized form, (b) have not renounced their Rights Entitlement in part or in full, and (c) are not Renouncees, shall use the ASBA process to make an application in the Issue. Eligible Equity Shareholders who have renounced their Rights Entitlement in part, Renouncees and Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form are not eligible ASBA Investors and must apply for Rights Equity Shares only through the non-ASBA process, irrespective of the application amounts/applicant category.

ASBA Investors should note that the ASBA process involves application procedures that may be different from the procedure applicable to non-ASBA process. ASBA Investors should carefully read the provisions applicable to such applications before making their application through the ASBA process. For details, see "Terms of the Issue - Procedure for Application" on page 177 of the LOF.

This is to inform the Eligible Shareholders of the Company that the date of closure of the Rights Issue, which opened on Wednesday, February 19, 2020 and scheduled to close on Wednesday, March 4, 2020 has now been extended by the Company from Wednesday, March 4, 2020 to Thursday, March 12, 2020, vide the Board Meeting dated March 3, 2020 in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the Rights Issue.

Accordingly the last date of submission of the duly filled in CAF (along with the amount payable on application) is Thursday, March 12, 2020. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Rights Issue as mentioned above are requested to take note of the Issue Closure Date as Thursday, March 12, 2020. Accordingly there is no change in the LOF, CAF and ALOF dated February 7, 2020 except for modification in the Issue Closing date; resultant change in indicative time table of post issue activities on account of extension of issue closing date and to the extent stated in the ADDENDUM CUM CORRIGENDUM – NOTICE TO INVESTORS published in the advertisement dated February 14, 2020 which appeared in newspapers on February 15, 2020.

For **BROOKS LABORATORIES LIMITED**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Managing Director

Place : Mumbai
Date : March 3, 2020

Raka

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना (ई–नीलामी द्वारा)

वित्तीय सम्पत्तियों के सुरक्षा और पुनर्निमाण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के तहत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री नोटिस सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पढ़ा गया

इस प्रकार आम तौर पर जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटीकर्ता(ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति सुरक्षित बंधक को बंधक/चार्ज किया गया है, जिसका रचनात्मक कब्जा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है कार्पोरेशन बैंक (सुरक्षित लेनदार) के अधिकारी, नीचे बताए गए दिनांक पर 'जैसा है' और 'जो कुछ भी है' पर बेचा जाएगा, जैसा कि कार्पोरेशन बैंक से यहां उल्लिखित बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित उधारकर्ता(ओं) और गारंटीकर्ता(ओं)। रिजर्व प्राइस (न्यूनतम मूल्य) और कम से कम जमा किये जाने वाले अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट का भी यहां उल्लेख किया गया है।

क. सं0 1	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
शाहजहांपुर शाखा (1150) A/c No - 520101211956070 IFSC Code-CORP0001150	ऋणदाता – 1 (ए) मैसर्स आदित्य ओरनामेंटस प्रोप. दीपक कुमार रस्तोगी पता: मोहल्ला मतानी, ओ के खन्ना एडवोकेट की बगिया के पास, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश –242001. 1 (बी) श्रीमती विभा रस्तोगी पत्नी श्री दीपक कुमार रस्तोगी पता 138– मतानी, खन्ना जी की बगिया के पास, शाहजहांपुर –242001. 2 (ए) सोनावती देवी पत्नी स्वर्गीय बालक राम रस्तोगी पता: मकान नंबर 138, मौहल्ला मतानी, ओ के खन्ना एडवोकेट की बगिया के पास, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश –242001. 2 (बी) गणेश पुत्र बालक राम, पता: मकान नंबर 87, मौहल्ला मतानी जिया खेल, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश –242001. 2 (सी) विकाश रस्तोगी पुत्र गणेश प्रसाद रस्तोगी, पता: मकान नंबर 87, मौहल्ला मतानी, जिया खेल, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश –242001. 2 (डी) प्रकाश रस्तोगी पुत्र गणेश प्रसाद रस्तोगी, पता: मकान नंबर 87, मौहल्ला मतानी, जिया खेल, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश –242001	रुपये– **30,32,145.01** (रुपये तीस लाख बत्तीस हजार एक सौ पैंतालिस और एक पैसा केवल)

सम्पत्ति का विवरण :–सपंति के सभी भाग और पार्सल स्थित मौहल्ला मतानी, तहसील सदर, शाहजहांपुर संपत्ति दीपक रस्तोगी के नाम क्षेत्रफल 77.32 वर्ग मीटर संपत्ति की सीमायें:–पूर्व: सड़क पश्चिम: श्री राम नारायण तिवारी का मकान उत्तर: सड़क दक्षिण: सड़क

ई–ऑक्शन की दिनांक और समय: 21.03.2020, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक

रिजर्व मूल्य: 41,45,000/- (रुपये इकतालिस लाख पैंतालिस हजार केवल) जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: 4,14,500/- (रुपये चार लाख चौदह हजार पांच सौ केवल) बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें:
https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/aditya_ornaments_0.pdf

क. सं0 2	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
देवबंद शाखा A/c No - 520101265250230 IFSC Code-CORP0000786	**ऋणकर्ता:** –1 (ए) मूल चंद पुत्र रूकमन सिंह, पता: मकान नं. 241/4, मौहल्ला चकबंदी, खंड –2, देवबंद, सहारनपुर –24454 1 (बी) शकुंतला पत्नी मूल चंद, पता: मकान नं. 241/4, मौहल्ला चकबंदी, खंड –2, देवबंद, सहारनपुर –24454 **गारंटर:** 2 (ए) नरेश कुमार पुत्र श्याम सिंह, पता: मकान नं. 31/71 मौहल्ला और गाँव चकबाड़ी, देवबंद, सहारनपुर –247554	रुपये– **8,58,509.00** (रुपये आठ लाख अठावन हजार पांच सौ नौ केवल)

बेची जाने वाली अचल संपत्तियों का विवरण: मकान लाल वाला रोड, चकबदरी बैरन हलूक, (गांधी कॉलोनी), कैनरा बैंक के पास, परगना और तहसील देवबंद, संपत्ति श्रीमती शकुंतला देवी के नाम क्षेत्रफल 95.96 वर्गमीटर सीमायें:–पूर्व: रकम सिंह का घेर, पश्चिम: रास्ता, उत्तर: राजपाल का मकान और दक्षिण: रास्ता

ई–ऑक्शन की दिनांक और समय: 21.03.2020, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक **रिजर्व मूल्य: 20,96,000/-(रुपये बीस लाख छियानवे हजार केवल) जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: 2,09,600/- (रुपये दो लाख नौ हजार छः सौ केवल) बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें:** https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/mool_chand_.pdf

क. सं0 3	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
शाहजहांपुर शाखा A/c No - 520101211956070 IFSC Code-CORP0001150	**ऋणकर्ता:**– 1 (ए) मैसर्स पीपीएम इन्फ्राजोन प्राइवेट लिमिटेड, पता: 115, बृज विहार कॉलोनी, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश –242001 **निर्देशक:** 1. श्री प्रांशु कनौजिया, 2. श्री रजयपाल कनौजिया, फर्म का पता: बिसरात रोड, शेखर अस्पताल के पास, शाहजहांपुर –242001 **गारन्टर 2 :** (ए) श्री रजयपाल पाल कनौजिया पुत्र कन्हैया लाल, पता: मकान नंबर 115, बिजलीपुरा, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश –242001. 2 (बी) श्री प्रांशु कनौजिया, पता: 115, शाहजहांपुरा बृज विहार कॉलोनी, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश –242001	रुपये– **19,708,827.28** (रुपये एक करोड़ सत्तानवे लाख आठ हजार आठ सौ सत्ताईस और अठाईस पैसे केवल)

बेची जाने वाली अचल संपत्तियों का विवरण: आवासीय संपत्ति (भूमि) नंबर 2/35 के सभी भाग और पार्सल मौहल्ला आवास विकास कॉलोनी, स्थित गाटा संख्या 286, ग्राम रसकुपा बहादुरपुर, एन. एच0 24 के पास, तहसील सदर, जिला शाहजहांपुर। संपत्ति का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर संपत्ति श्री रजयपाल कनौजिया के नाम संपत्ति सीमायें:–पूर्व: 2/36 का प्लॉट, पश्चिम: 2/34 का प्लॉट, उत्तर: 9 मी. चौड़ी सड़क, दक्षिण: 18 मी. चौड़ी सड़क बिक्री विलेख विवरण: पुस्तक संख्या 1, वाल्यूम संख्या 8813, पृष्ठ संख्या 235–248, क्रमांक संख्या 6408 दिनांक 21.05.2014 को उप पंजीयक सदर, शाहजहांपुर में पंजीकृत

ई–ऑक्शन की दिनांक और समय: 21.03.2020, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक **रिजर्व मूल्य: 90,00,000/- (रुपये नब्बे लाख केवल) जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: 9,00,000/- (रुपये नौ लाख केवल) बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें:**
https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/ppm_infrazone_private_limited_0.pdf

क. सं0 4	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
शाहजहांपुर शाखा A/c No - 520101211956070 IFSC Code-CORP0001150	**ऋणकर्ता:**– 1 (ए) मैसर्स आर के एसोसिएट्स प्रो. प्रांशु कनौजिया, पता: 115, बृज विहार कॉलोनी शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश –242001, पंजीकृत कार्यालय का पता अंता बिसरात रोड, शेखर अस्पताल के पास जिला शाहजहांपुर –242001, फर्म का पता: ग्राम बिसरत रोड, शाहजहांपुर –242001. 2 (ए) श्री रजयपाल कनौजिया पुत्र कन्हैया लाल, पता: मकान नंबर 115, बिजलीपुरा, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश –242001. 2 (बी) श्रीमती सुनीता कनौजिया पत्नी आर पी कनौजिया, पता: 115, बृज विहार कॉलोनी, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश –242001. 2 (सी) प्रांशु कनौजिया, पता: 115, बृज विहार कॉलोनी, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश –242001	रुपये– **2,66,84,732.44** (रुपये दो करोड़ छियासठ लाख चौरासी हजार सात सौ बत्तीस और चौवालिस पैसे केवल)

बेची जाने वाली अचल संपत्तियों का विवरण: संपत्ति नंबर 1– प्लॉट फर्रुखाबाद शाहजहांपुर रोड, ग्राम–कंदोली, परगना और तहसील जलालाबाद, जिला– शाहजहांपुर, संपत्ति सुनीता कनौजिया के नाम क्षेत्रफल 6500 मी. सीमायें:– उत्तर: राम प्रकाश सिंह का खेत, दक्षिण: जगदीश का खेत, पूर्व: फर्रुखाबाद शाहजहांपुर रोड, पश्चिम: शिव नाथ सिंह का मकान, संपत्ति नंबर 2– व्यावसायिक संपत्ति सराय तालुका चटौना, परगना और तहसील– सदर, जिला– शाहजहांपुर, संपत्ति श्री प्रांशु कनौजिया के नाम, क्षेत्रफल 91.36 वर्ग मीटर, सीमायें:– उत्तर: डॉ शेखर का मकान, दक्षिण: पेंट की गई सड़क, पूर्व: जलील खान के कानूनी उत्तराधिकारियों का प्लॉट और पश्चिम: श्री जाबिर का प्लॉट, संपत्ति नंबर 3– अंता चौराहा पर मकान से डॉ0 वसीम हॉस्पिटल रोड, मौहल्ला चम्कानी कर्बला (जिसे बृज विहार कॉलोनी के रूप में जाना जाता है) शाहजहांपुर संपत्ति रजय कनौजिया के नाम क्षेत्रफल 279.37 वर्गमी. सीमायें:–उत्तर: कृपा शंकर अवस्थी का मकान, दक्षिण: अरुण कुमार सक्सेना का मकान, पूर्व: शेखर का मकान और पश्चिम: सड़क

ई–ऑक्शन की दिनांक और समय: 21.03.2020, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक

रिजर्व मूल्य: संपत्ति नंबर 1 – संपत्ति का आरक्षित मूल्य **रु. 34,20,000/–** (रुपये चौंतीस लाख बीस हजार केवल), संपत्ति नंबर 2 – संपत्ति का आरक्षित मूल्य **रु. 68,70,000** (रुपये अड़सठ लाख सत्तर हजार केवल), संपत्ति नंबर 3 – संपत्ति का आरक्षित मूल्य **रु. 1,10,00,000** (रुपये एक करोड़ दस लाख केवल) जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: संपत्ति नंबर 1 – **रु. 3,42,000/–** (रुपये तीन लाख बयालीस हजार केवल), संपत्ति नंबर 2 – **रु. 6,87,000/–** (रुपये छः लाख सतासी हजार केवल), संपत्ति संख्या 3– **रु. 11,00,000/–** (रुपये ग्यारह लाख केवल) बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें:
https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/r_k_associates_.pdf

क. सं0 5	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
देवबंद शाखा A/c No - 520101265250230 IFSC Code-CORP0000786	**ऋणकर्ता:**– 1 श्री शहजाद पुत्र शब्बीर, पता: मोहल्ला– ख्वाजा बख्शी, देवबंद, सहारनपुर, यूपी–247554 **गारंटर:**– 2 श्री मोहम्मद अशफाक पुत्र मोहम्मद इकबाल, पता: मौहल्ला अब्दुल हक देवबंद, सहारनपुर, यूपी 247554	रुपये– **1,24,098.06** (रुपये एक लाख चौबीस हजार अठानवे और छह पैसे केवल)

बेची जाने वाली अचल संपत्तियों का विवरण: अचल संपत्ति: ईएमजी आवासीय प्लॉट का क्षेत्रफल 30.3013 वर्ग मीटर एमबीसी 379 का हिस्सा स्थित मौहल्ला दीवान, देवबंद, सहारनपुर संपत्ति का मालिक श्री शहजाद पुत्र शब्बीर संपत्ति की सीमायें:– पूर्व: सड़क 7 फीट चौड़ी पश्चिम: दारुल उलूम देवबंद की संपत्ति उत्तर: शाहिद का मकान दक्षिण: श्री सलीम का मकान

ई–ऑक्शन की दिनांक और समय: 21.03.2020, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक

रिजर्व मूल्य: रु 6,50,000/–(रुपये छः लाख पचास हजार केवल) जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: मूल्य **रु. 65,000/–** (रुपये पैंसठ हजार केवल) बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें: https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/shahazad_0.pdf

क. सं0 6	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
आगरा शमशाबाद रोड शाखा A/c No - 510101006629279 IFSC Code-CORP0001746	**ऋणकर्ता:**– 1. मैसर्स शिवांगी एजेंसी प्रोप. – श्री अंकुश तोमर, पता: चंदन नगर, नाराइच, यमुना नगर, आगरा –282006, 2. श्री अंकुश तोमर पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह तोमर, पता: मकान नं. 11 सी/915 चंदन नगर नाराइच, यमुना नगर, आगरा –282006 **गारंटर:** 3. श्रीमती नीलम तोमर पत्नी श्री अंकुश तोमर, पता: मकान नं. 11 सी/915 चंदन नगर, नाराइच, यमुना नगर, आगरा–282,006	रुपये– **9,95,208.00** (रुपये नौ लाख पिचानवे हजार दो सौ आठ केवल)

बेची जाने वाली अचल संपत्तियों का विवरण: अचल संपत्ति निर्मित प्लॉट का क्षेत्रफल 77 वर्ग गज यानी 64.37 वर्ग मीटर खसरा नंबर 1498 का भाग पर स्थित चंदन नगर, शोभा विहार के पास, मौजा नाराइच, तहसील एतमादपुर, जिला आगरा यूपी

ई–ऑक्शन की दिनांक और समय:21.03.2020, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक

रिजर्व मूल्य: रु 16,00,000/–(रुपये सोलह लाख केवल) जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: मूल्य **रु. 1,60,000/–** (रुपये एक लाख साठ हजार केवल) बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें: https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/shivangi_agency_.pdf

क. सं0 7	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
आगरा शमशाबाद रोड शाखा A/c No - 510101006629279 IFSC Code-CORP0001746	**ऋणकर्ता:**–1 (ए) मैसर्स श्री दाऊजी फ्लोर मिल प्रोप. श्री अरविंद कुमार शर्मा, पता: 112, ग्राम बिचोला, पोस्ट– वाया फतेहाबाद, आगरा –283111 **गारंटर:** 2 (ए) दाऊ दयाल शर्मा, पता: 52 ए, ग्राम बिचोला, पोस्ट– वाया फतेहाबाद, आगरा –2831112 2 (बी) केशव देव पुत्र बाबूराम, पता: 113, गाँव और डाक लाली, फतेहाबाद, आगरा –283112	रुपये– **15,80,022.00** (रुपये पंद्रह लाख अस्सी हजार बाईस केवल)

बेची जाने वाली अचल संपत्तियों का विवरण: संपत्ति नंबर 1:– संपत्ति के सभी हिस्से और पार्सल अरविंद शर्मा के नाम [लीज डीड], लेकिन वास्तविक मालिक श्री दाउदयाल खसरा नंबर 438 क्षेत्रफल 418 वर्ग मीटर स्थित मौजा बिचोला, फतेहाबाद, आगरा। संपत्ति की सीमायें:–उत्तर: चक रोड, दक्षिण: खुली भूमि दाउदयाल, पूर्व: दामोदर की संपत्ति, पश्चिम– राकेश की खुली भूमि। **संपत्ति नंबर 2**– संपत्ति के सभी हिस्से और पार्सल केशव देव पुत्र बाबू राम के नाम पर, स्थित गाँव लाली फिरोजाबाद संपत्ति का एक एकल मंजिला आवासीय मकान का क्षेत्रफल 201.50 वर्ग मीटर सीमायें:– उत्तर: रस्ता, दक्षिण: रस्ता, पूर्व: गंगा प्रसाद की संपत्ति, पश्चिम: वीरेंद्र प्रसाद की संपत्ति

ई–ऑक्शन की दिनांक और समय: 21.03.2020, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक

रिजर्व मूल्य: संपत्ति नंबर 1– संपत्ति का आरक्षित मूल्य **रु. 6,60,000/–** (रुपये छः लाख साठ हजार केवल) **संपत्ति नंबर 2** – संपत्ति का आरक्षित मूल्य **रु 16,35,000/–** (रुपये सोलह लाख पैंतीस हजार केवल) जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: **संपत्ति नंबर 1 – रु. 66,000/–** (रुपये छियासठ हजार केवल) **संपत्ति नंबर 2 – रु.1,63,500/–** (रुपये एक लाख तरेसठ हजार पांच सौ केवल) बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें:
https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/shree_dauji_flour_mill_.pdf

क. सं0 8	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
देहरादून जाखन शाखा A/c No - 510251000444527 IFSC Code-CORP0003260	**ऋणकर्ता:**–1 (ए) श्री सिद्धार्थ एंटरप्राइजेज प्रोप. सिद्धार्थ, पता: लेन नंबर 9, दून विहार, जाखन, देहरादून –248001 1 (बी) सिद्धार्थ पुत्र इंदिरा सिंह, पता: 141, भागीरथी कुंज, तीसरी मंजिल, लेन नंबर 9, दून विहार, जाखन, राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड –248001	रुपये– **26,40,477.00** (रुपये छब्बीस लाख चालीस हजार चार सौ सत्तर केवल)

बेची जाने वाली अचल संपत्तियों का विवरण: खाता खतौनी संख्या 14, खसरा नं 81 और 82 के सभी भाग और पार्सल, मौजा यानी गाँव परगना पछवा दून तहसील सदर देहरादून क्षेत्रफल 267 वर्गमीटर। सम्पत्ति सिद्धार्थ के नाम संपत्ति की सीमायें:– पूर्व: साधु राम की भूमि, पश्चिम:–रास्ता, उत्तर: सरिता बिष्ट की भूमि, और दक्षिण– अन्य का भूमि

ई–ऑक्शन की दिनांक और समय: 21.03.2020, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक

रिजर्व मूल्य: संपत्ति का आरक्षित मूल्य **रु. 61,30,000/–** (इकसठ लाख तीस हजार) जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: **रु 6,13,000/–** (रुपये छः लाख तेरह हजार केवल) बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें:
https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/siddharth_enterprises_.pdf

क. सं0 9	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
शाहजहांपुर शाखा A/c No - 520101211956070 IFSC Code-CORP0001150	**ऋणकर्ता:**– 01. (ए) मैसर्स एस के एल एंटरप्राइजेज प्रो. सुनीता कनौजिया, अंता बिसरात रोड के पास डॉ. अनवर के सामने शाहजहांपुर –242001 (यू.पी.), (बी) सुनीता कनौजिया, मकान नंबर –115, शेखर अस्पताल के पास बृज विहार कॉलोनी, बीजलीपुरा, शाहजहांपुर –242001 (यू.पी.) **गारंटर:** 2. (ए) श्री रजयपाल कनौजिया, मकान नंबर –115, शेखर अस्पताल के पास, बृज विहार कॉलोनी, बीजलीपुरा, शाहजहांपुर –242001 (यू.पी.), (बी) सुनीता कनौजिया, मकान नंबर –115, शेखर अस्पताल के पास बृज विहार कॉलोनी, बीजलीपुरा, शाहजहांपुर –242001 (यू.पी.)	रुपये– **1,22,27,766.15** (रुपये एक करोड़ बाईस लाख सत्ताईस हजार सात सौ छियासठ और पंद्रह पैसे केवल)

बेची जाने वाली अचल संपत्तियों का विवरण: संपत्ति संख्या 1– गाटा संख्या 3267 और 3268 का हिस्सा और गाटा संख्या 244, 245 और 246 का हिस्सा शाहजहांपुर दक्किनी (साइड खुर्गी में) और सराय तालुका चराउना (अंतना चौराहा से हनुमत धाम रोड) शाहजहांपुर, संपत्ति श्रीमती सुनीता कनौजिया और श्री रजयपाल कनौजिया के नाम। क्षेत्रफल 481.49 वर्ग मीटर सीमायें– उत्तर: गुलजार तब्बसुम और श्रीमती नीता मेहरोत्रा का मकान दक्षिण: दीपक मेहरोत्रा का मकान, पूर्व: श्री रौनक खान का मकान और पश्चिम: निर्मित सड़क, **संपत्ति संख्या:** 2– गाटा संख्या 328, ग्राम– कुतुबापुर, ई–शेरामऊ, हरदोई रोड, तह.– सदर, जिला– शाहजहांपुर, संपत्ति श्रीमती सुनीता कनौजिया के नाम क्षेत्रफल 34.5 वर्गमीटर सीमायें:–उत्तर: श्री इमरान का खेत, दक्षिण: पूर्व: और पश्चिम: चक मार्ग

ई–ऑक्शन की दिनांक और समय: 21.03.2020, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक

रिजर्व मूल्य: संपत्ति का आरक्षित मूल्य **रु. 48,00,000/–** (रुपये अड़तालीस लाख केवल), संपत्ति नंबर 2 – संपत्ति का आरक्षित मूल्य रु. **20,00,000/–** (रुपये बीस लाख केवल) जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: संपत्ति संख्या 1 – **रु. 4,80,000/–** (रुपये चार लाख अस्सी हजार केवल)
संपत्ति संख्या 2 – **रु. 2,00,000/–** (रुपये दो लाख केवल) बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें:
https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/s_k_l_enterprises_0.pdf

क. सं0 10	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
आगरा शमशाबाद रोड शाखा A/c No - 510101006629279 IFSC Code-CORP0001746	**ऋणकर्ता:**–1 (ए) उन्नति ट्रेडर्स प्रोप. रामवीर, पता: नंगलालपुर, हाथरस रोड, आगरा–282006 **गारंटर:** 2 (ए) श्रीमती सावित्री देवी पत्नी रामवीर सिंह, पता: 11 सी/987, सुदामा पुरी, नाराइच, न्यू चंदन नगर, कुबेर पुर, यमुना ब्रिज, आगरा–282.006, पता: 11 सी/789, सुदामा पुरी, नाराइच, न्यू चंदन नगर, कुबेर पुर, यमुना ब्रिज, आगरा–282006	रुपये– **14,38,883.50** (रुपये चौदह लाख अड़तीस हजार आठ सौ तिरासी और पचास पैसे केवल)

बेची जाने वाली अचल संपत्तियों का विवरण: ईएमजी संपत्ति संख्या 11सी/932डी तथा 11सी/932ई क्षेत्रफल 153.26 वर्ग मीटर और 105.76 वर्ग मीटर शोभा विहार कॉलोनी, चंदन नगर, खसरा नं 1584,1594,1619,1620–1631 से 1637,1639 से 1644 छत्ता वार्ड, नाराइच, एत्मादपुर, आगरा। संपत्ति श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री राम वीर सिंह के नाम निवासी चंदन नगर, हाथरस रोड, नाराइच, एत्मादपुर, आगरा। संपत्ति का कुल क्षेत्रफल 259.02 वर्ग मीटर है। संपत्ति की सीमायें:–पूर्व: रास्ता 20' चौड़ा, पश्चिम: श्री ओम प्रकाश का मकान, उत्तर: महारानी देवी की संपत्ति, दक्षिण: श्रीमती बसंती देवी का प्लाट

ई–ऑक्शन की दिनांक और समय: 21.03.2020, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक

रिजर्व मूल्य: रु. 27,65,000/– (रुपये सत्ताईस लाख पैंसठ हजार केवल) जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि **रु. 2,76,500/–** (रुपये दो लाख छियात्तर हजार पांच सौ केवल) बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें:
https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/unnati_traders_1.pdf

दिनांक : 03.03.2020 स्थान: आगरा, शाहजहांपुर, देवबंद, देहरादून प्राधिकृत अधिकारी, कार्पोरेशन बैंक

www.readwhere.com

सौहार्द का तकाजा

पिछले हफ्ते राजधानी दिल्ली में हुए दंगों ने सभी संवेदनशील लोगों को झकझोर दिया होगा। हिंसा की जैसी घटनाएं सामने आईं, उसने निश्चित रूप से उन सभी लोगों को परेशान किया है, जो देश को लेकर फिक्रमंद रहते हैं और सौहार्द को समाज की ताकत के रूप में देखना चाहते हैं। दरअसल, इंसानियत के सारे ताने-बाने को टूटते देख कर किसी को भी दुख होगा। लेकिन ऐसे में सभी लोगों की कोशिश यह होनी चाहिए कि आपस में विचार-विमर्श से लेकर उन हर संभव तरीकों पर बात करें, उपाय निकालने की ओर बढ़ें, जिनसे चुनौतियों से पार पाया जा सके। केवल आक्रोश से शायद किसी हल तक पहुंचना मुश्किल होगा। लगभग यही स्थिति संसद के दोनों सदनों में उपस्थित हुई, जहां विपक्षी दल दिल्ली की हिंसा पर मंगलवार को ही चर्चा कराने पर जोर दे रहे थे और इस मसले पर सत्ता पक्ष के साथ जद्दोजहद के क्रम में हंगामे से लेकर धक्का-मुक्की तक की नौबत आई। हालत यह पैदा हुई कि जब सदन के सामान्य कामकाज में बाधा पैदा हुई तो लोकसभाध्यक्ष ने बैठक को बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी। सवाल है कि इस रास्ते किस हल तक पहुंचा जा सकेगा!

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि शासन और तंत्र के काम करने की एक प्रक्रिया होती है और उसी के मुताबिक किसी मामले में कदम उठाए जाते हैं। लेकिन क्या यह भी सही नहीं है कि जरूरत और अनिवार्यता के मद्देनजर स्थितियों का आकलन कर कार्रवाई की प्राथमिकता तय की जानी चाहिए? दिल्ली में पिछले दिनों की हिंसा के बाद उसके नतीजों की तस्वीर जैसे-जैसे साफ होती जा रही है, उससे इस त्रासदी की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। न केवल राजधानी होने के नाते, बल्कि देश के किसी भी इलाके में ऐसी घटना होती है तो वह सभी वर्गों की चिंता में शुमार होना चाहिए। खासतौर पर सरकार की यह जिम्मेदारी भी बनती है कि वह कानून-व्यवस्था से लेकर शांति बहाली के सामाजिक और राजनीतिक उपायों पर बिना देर किए विचार करे और ठोस कदम उठाए। इस संदर्भ में देखें तो संसद में दिल्ली की हिंसा पर चर्चा कराने पर सहमति तो बनी, लेकिन लोकसभाध्यक्ष ने यह चर्चा होली के बाद ग्यारह मार्च को कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि होली का त्योहार सौहार्द के बीच मनाया जाना चाहिए।

हो सकता है कि हफ्ते भर बाद भी इस मसले पर चर्चा या बहस का महत्त्व कम नहीं हो, लेकिन हालात की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए क्या इस पर तत्काल बातचीत की जरूरत नहीं लगती है? दिल्ली में जो हालात पैदा हुए, उससे सौहार्द की कड़ियां ही टूटी हैं। लेकिन दंगा और हिंसा करने वाले असामाजिक तत्त्वों के बरक्स तमाम जगहों पर अलग-अलग समुदायों के लोगों ने आपसी प्यार और सौहार्द की बेहतरीन मिसाल देकर चुनौतियों का सामना भी किया और मानवता को जिंदा रखा। तो जिस सौहार्द को दंगों और हिंसा के बावजूद लोगों ने बचाए रखा, वह जनप्रतिनिधियों की बातचीत या चर्चा से कैसे बाधित हो सकता है? बल्कि राजनीतिकों के बीच चर्चा के बाद अगर मौजूदा समस्या के हल के लिए रास्ते निकलते हैं तो वह भिन्न समुदायों के लिए और ज्यादा मददगार ही साबित होंगे। क्या यह वक्त का तकाजा नहीं है कि चर्चा के लिए हालात के सुधरने का इंतजार करने के बजाय उसमें सुधार लाने के लिए तत्काल पहलकदमी की जाए? अतीत की घटनाओं और नाकामियों का हवाला देकर क्या मौजूदा वक्त में अपनी जिम्मेदारियों से बचा जा सकता है?

अशांति का समझौता

कतर की राजधानी दोहा में पिछले शनिवार को जब अमेरिका और तालिबान ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तब लगा था कि लंबे समय से हिंसा की आग में झुलस रहे इस मुल्क के दिन अब फिरने वाले हैं और लोग अमन-चैन से रह पाएंगे। शांति समझौते के पहले तालिबान ने एक हफ्ते के लिए आंशिक संघर्ष विराम की बात भी कही थी। लेकिन सोमवार को जैसे ही इसकी अवधि खत्म हुई, तालिबान ने असली चेहरा दिखा दिया। पूर्वी अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में एक फुटबॉल मैच के दौरान बम विस्फोट में तीन लोग मारे गए और कई जख्मी हो गए। हालांकि हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली, लेकिन किसने किया होगा, यह भी किसी से छिपा नहीं है। जाहिर है, तालिबान ने अपना रुख साफ कर दिया है। इसलिए यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि तालिबान के लिए इस शांति समझौते का मतलब क्या रह गया! क्या उसके लिए यह समझौता सिर्फ अफगानिस्तान की सत्ता में भागीदारी के लिए रास्ता बनाने और अमेरिकी सेना की वापसी जैसी शर्तों तक ही सीमित है? जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, वे इस बात के संकेत हैं कि यह समझौता अफगानिस्तान के लिए नई मुश्किलें खड़ी करने वाला है।

समझौते में अमेरिका ने तालिबान को जिस तरह की शर्तों से बांधा है, वे इस करार को समस्या के समाधान की दिशा में कितना ले जा पाएंगी, इसमें अब किसी को संदेह नहीं रह गया है। तालिबान की सबसे बड़ी और पुरानी मांग अमेरिकी फौज और नाटो सेना की वापसी की थी, जो मान ली गई और इसके मुताबिक चौदह महीने में अफगानिस्तान से सभी विदेशी सैनिक लौट जाएंगे। तब मैदान में सिर्फ अफगानिस्तान की सरकारी फौज और तालिबान बचेंगे। अमेरिका ने तालिबान को अलकायदा से संबंध तोड़ने, अफगानिस्तान की जमीन से किसी भी विदेशी आंतकी गुट को उसके खिलाफ काम न करने देने जैसी कड़ी शर्तों से बांधा है। सवाल है कि तालिबान अमेरिका के सामने कितना झुकेगा? तालिबान का इतिहास बताता है कि विचारधारा से लेकर व्यवहार तक में वह कितना कट्टर और हिंसक है। अगर तालिबान सत्ता में आ जाता है तो अफगानिस्तान को फिर से आदिम युग आने में देर नहीं लगेगी।

शांति समझौता हुआ तो मुख्य रूप से दो पक्षों अमेरिका और तालिबान के बीच है। लेकिन अफगानिस्तान सरकार की इसमें जो भूमिका होनी चाहिए थी, उसे अमेरिका ने नजरअंदाज कर नए संकट को जन्म दे डाला है। समझौते में अफगानिस्तान की सरकारी जेलों में बंद पांच हजार तालिबान कैदियों की रिहाई बात कही गई है। यह एक ऐसा पेंच है जो शांति समझौते पर सवालिया निशान खड़ा करता है और समझौता खटाई में पड़ने का एकमात्र बड़ा कारण बनेगा। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने साफ शब्दों में न सिर्फ तालिबान कैदियों की रिहाई से साफ मना कर दिया है, बल्कि सवाल उठाया है कि अमेरिका इसका फैसला कैसे कर सकता है, यह उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है। दूसरी ओर तालिबान ने भी चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि वह अपनी सैन्य गतिविधियां बंद नहीं करेगा। अफगान राष्ट्रपति का सख्त रुख और तालिबान का रवैया बता रहा है कि आने वाले दिनों में इस तरह का टकराव और बढ़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में चेतावनी दी है कि अगर तालिबान ने समझौते का पालन नहीं किया तो अमेरिका अफगानिस्तान में इतनी फौज भेजेगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसी धमकियों और चेतावनियों से क्या यह नहीं लगता कि शांति समझौता अफगानिस्तान को नए संघर्ष में झोंकने का करार है!

कल्पमेधा

आनंद की पूर्ति सौंदर्य में दिखती है। आनंद बाहरी दशा पर नहीं, आंतरिक अवस्था पर निर्भर है।
– डेल कारनेगी

तुर्की-सीरिया का गहराता संकट

ब्रह्मदीप अलूने

सीरियाई संकट के हल में तुर्की की भूमिका बेहद महत्त्वपूर्ण है। एक तरफ वह इस्लामिक दुनिया का नेतृत्व करने का सपना देखता है और दूसरी ओर वह सीरिया सहित मध्य पूर्व में जातीय और नस्लीय असमानताओं को बढ़ावा देकर हिंसा फैला रहा है। कुर्दों को लेकर तुर्की की नीति समस्या बढ़ाने वाली है। असद का हिंसक विरोध छोड़ कर तुर्की को सीरिया में राजनीतिक स्थिरता बहाल करने कि कोशिश करनी चाहिए।

शुष्क जलवायु से जूझने वाला देश सीरिया लंबे समय से गृहयुद्ध से अभिशप्त रहा है और अब यह वैश्विक महाशक्तियों और शक्तिशाली सैन्य संगठनों के बीच युद्ध स्थल बन गया है। हाल में सीरिया की सरकारी सेना और तुर्की ने एक दूसरे के सैनिकों को निशाना बना कर इस इलाके की अस्थिरता को और बढ़ा दिया है। इस समूचे घटनाक्रम में रूस और नाटो के आमने-सामने आने से संकट और गहरा गया है। सीरिया के उत्तर पश्चिम के युद्ध ग्रस्त इलाके से प्रभावित लाखों लोग विस्थापित होकर तुर्की सीमा की ओर भाग रहे हैं, वहीं तुर्की ने यूरोपीय संघ (ईयू) को चेतावनी दी है कि यदि इस संकट से सही ढंग से नहीं निपटा गया, तो वह शरणार्थियों के लिए यूरोप के द्वार खोल देगा।

गौरतलब है कि एशिया और यूरोप महाद्वीप के मध्य स्थित तुर्की एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है। तुर्की का अनठानवे प्रतिशत भाग एशिया में और मात्र दो प्रतिशत भाग यूरोप में पड़ता है। मध्य पूर्व में अस्थिरता बढ़ने से लाखों प्रवासी तुर्की के रास्ते यूरोप की तरफ रुख करते हैं। इस समय तुर्की में करीब चालीस लाख से ज्यादा सीरियाई शरणार्थी हैं। यूरोप में ये प्रवासी अवैध घुसपैठ न करें, इसलिए यूरोपीय संघ ने साल 2016 में एक समझौता कर तुर्की को छह अरब यूरो दिए थे। लेकिन तुर्की नाटो का सहयोग लेकर बशर अल-असद को सीरिया की सत्ता से हटाना चाहता है और वह इसलिए यूरोपीय संघ पर दबाव बना रहा है।

रूस असद सरकार का सबसे बड़ा मददगार है और उसके सीरियाई संकट में असद के पक्ष में खड़ा होने के बाद सीरिया की सरकारी सेना मजबूत हुई है, जबकि अमेरिका और तुर्की सहित नाटो के प्रभाव में कमी आई है। साल 2013 में अलकायदा से अलग होकर इसलामिक स्टेट (आइएस) अस्तित्व में आया था और इससे मध्य पूर्व में संघर्ष का एक नया दौर शुरू हो गया था। आइएस ने ईसाइयों और उदार मुसलमानों के खिलाफ जेहाद की घोषणा कर मध्य पूर्व के राजनीतिक संघर्ष की दिशा बदल दी। आइएस ने इस इलाके के तेल कुओं पर कब्जा जमा कर महाशक्तियों को चुनौती दी और इसके बाद पश्चिमी देशों, अमेरिका, रूस, तुर्की जैसे देशों ने आइएस को मिल कर खत्म करने में अपनी भूमिका निभाई। लंबे समय से युद्ध ग्रस्त इस इलाके से आइएस समाप्त होने की कगार पर आया, तो तुर्की ने असद सरकार और कुर्दों के खिलाफ मोर्चा खोल एक नए संकट को जन्म दे दिया।

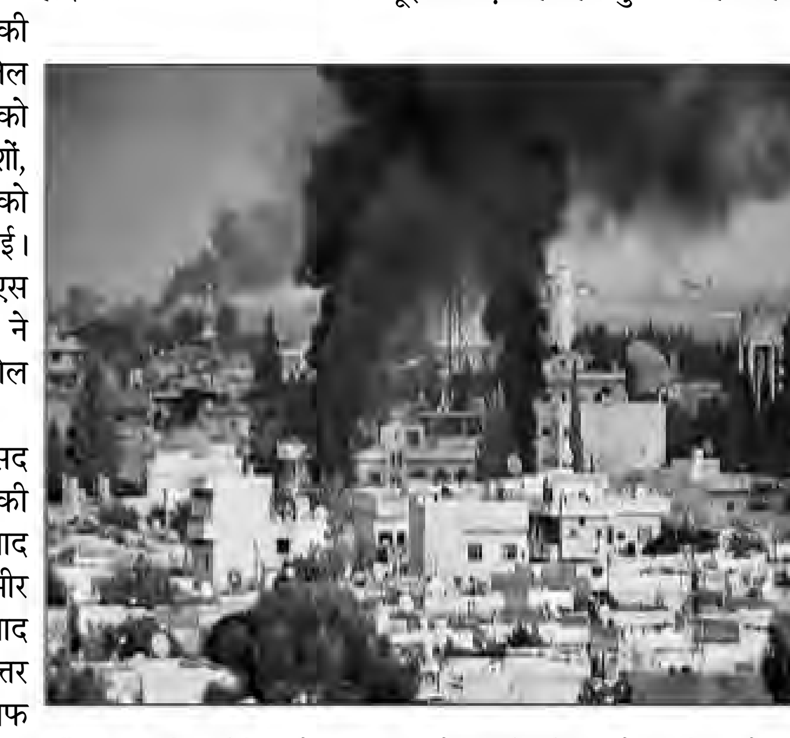

रूस किसी भी कीमत पर बशर अल-असद को बनाए रखना चाहता है। उसने सीरिया की सरकारी सेना पर तुर्की के हमलों के बाद नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इसके गंभीर परिणाम हो सकते है। इस समय बड़ा विवाद इदलिब को लेकर भी है। सीरिया के पश्चिमोत्तर प्रांत इदलिब में असद सरकार के खिलाफ अभियान चला रहे विद्रोहियों का कब्जा है। तुर्की इन विद्रोहियों का समर्थन करता है। इनको खदेड़ने के लिए सीरिया की सरकारी सेना ने रूस के समर्थन से बड़ा सैन्य अभियान चला रखा है। इदलिब में तुर्की के सैनिक भी मौजूद हैं। इनमें से अधिकांश चौकियों को सीरिया की सरकार समर्थित सेना निशाना बनाती रही है।

साल 2011 के बाद से सीरिया में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती गई और यह देश जातीय, नस्ल और वैश्विक महाशक्तियों के संघर्ष का केंद्र बन गया। सीरिया में सुन्नी मुसलमान बहुसंख्यक है जो देश की कुल जनसंख्या का चौहत्तर प्रतिशत हैं, जबकि शिया आबादी करीब तेरह प्रतिशत है। राष्ट्रपति असद शिया समुदाय से हैं और यह एक बड़ा कारण है कि असद का सुन्नी बहुल देश की सत्ता में बने रहना सऊदी अरब जैसी इस्लामी ताकतों को बर्दाश्त नहीं है। दूसरी ओर, ईरान असद को सत्ता में बनाए रखने के लिए सीरिया को हथियारों की आपूर्ति सहित सामरिक मदद करता रहा है। इस प्रकार सीरिया शिया और सुन्नी संघर्ष भी बड़ा केंद्र बन गया है, जिसके चलते शिया बहुल देश और कई शिया संगठन असद की खुल कर मदद कर रहे हैं। दूसरी ओर, सऊदी अरब सीरिया के विद्रोही संगठनों को सहायता देकर असद की सरकार को उखाड़ फेंक देना चाहता है। अमेरिका और फ्रांस जैसे देश भी असद के खिलाफ हैं और वे सीरिया के विद्रोहियों को मदद देते रहे हैं। तुर्की के लिए सीरिया पारंपरिक गढ़ रहा है और वह सीरिया की राजनीति पर अपना अधिकार मजबूत रखना चाहता है। सीरिया से विस्थापित लोग तुर्की में ही सबसे पहले प्रवेश करते हैं और इस कारण तुर्की को भी मानवीय संकट से जूझना पड़ रहा है। तुर्की चाहता है कि सीरिया के साथ लगने वाली सीमा को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए। इसके लिए वह अपनी सीमा से लगने वाले उत्तर-पूर्वी सीरिया में लगभग चार सौ अस्सी किलोमीटर लंबा और तीस किलोमीटर चौड़ा एक पट्टीनुमा क्षेत्र बना कर उसे संरक्षित करना चाहता है, ताकि सीरिया से तुर्की भाग कर आए करीब साढ़े तीन लाख से ज्यादा सीरियाई शरणार्थियों को रहने के लिए जगह मुहैया कराई जा सके। जबकि असद का कहना है कि तुर्की संरक्षित स्थान के बहाने इस इलाके में विद्रोहियों को बसा कर सीरिया की संप्रभुता के लिए बड़ा खतरा पैदा करने की साजिश रच रहा है।

सीरिया का संकट सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, सामरिक, कूटनीतिक और मानवीय संकट भी है। वर्ष 2011 के बाद इस देश में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होने से सीरिया के बड़े हिस्से में इस्लामिक स्टेट ने कब्जा जमा लिया था और फिर यहां लंबे समय खून-खराबे का दौर चला। पिछले साल अमेरिका ने दावा किया था कि सीरिया से आइएस को खदेड़ दिया गया है, लेकिन आइएस के लड़ाके अब भी यहां कई इलाकों में छिपे हुए हैं। सीरिया के कुछ इलाकों में शिविर और जेल बना कर आइएस के लड़ाकों को रखा गया है, जिसमें हजारों विदेशी महिलाएं और उनके बच्चे भी शामिल हैं। लड़ाकों की क्रूरता और कट्टरता में कोई कमी नहीं आई है और तुर्की के हमलों का फायदा उठा कर ये जेल से भागने मे कामयाब भी रहे हैं। ऐसे में सीरिया का भविष्य चुनौतीपूर्ण दिखाई देता है।

तुर्की जहां सीरिया से आए शरणार्थियों को सुरक्षित बसा कर सीरिया की समस्या सुलझाने में मदद की बात कहता रहा है, वहीं कुर्दों को लेकर उसकी पारंपरिक दुर्भावनापूर्ण नीति समस्या को बढ़ाने वाली है। सीरिया में कुर्द मुख्यतः उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रहते हैं जो तुर्की और इराक के सटे इलाके हैं। तुर्की कुर्दों के संगठन को आतंकवादी समूह मानता है और उसे अपनी संप्रभुता के लिए खतरा बताता रहा है। वहीं अमेरिका कुर्दों को लेकर उदार रवैया दिखाता रहा है। कुर्द पश्चिम एशिया की मुसलिम लड़ाकू जनजाति है और इसका प्रभाव सीरिया के उत्तरी इलाकों के साथ ही तुर्की, इराक और ईरान तक है। कुर्द तुर्की को अपने दुश्मन की तरह देखते है। यदि सीरिया की बात करें तो कुर्दों को लेकर असद भी सहज नहीं रहे हैं। लेकिन इस बात से भी इंकार नही किया जा सकता कि आइएस के खिलाफ कुर्दों के संघर्ष के कारण ही अमेरिका और सहयोगियों को सफलता मिली है। कुर्दों के प्रतिरोध का सीधा लाभ असद को मिला और सीरिया में उनकी सत्ता बनी रही।

सीरियाई संकट के हल में तुर्की की भूमिका बेहद महत्त्वपूर्ण है। एक तरफ वह इस्लामिक दुनिया का नेतृत्व करने का सपना देखता है और दूसरी ओर वह सीरिया सहित मध्य पूर्व में जातीय और नस्लीय असमानताओं को बढ़ावा देकर हिंसा फैला रहा है। कुर्दों को लेकर तुर्की की नीति समस्या बढ़ाने वाली है। असद का हिंसक विरोध छोड़ कर तुर्की को सीरिया में राजनीतिक स्थिरता बहाल करने कि कोशिश करनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ने तुर्की और सीरिया के संघर्ष को बड़ा मानवीय संकट बताते हुए कहा है कि अगर हमले नहीं रोके गए तो 2011 से चल रहा यह संघर्ष सबसे बुरे मानवीय त्रासदी में बदल सकता है।

अलमस्त, अल्हड़ फागुन

प्रभुनाथ शुक्ल

दुनिया मेरे आगे

मौसम का मिजाज फागुनी हो चुका है। ठंड अब ढल चली है। हल्की पछुवा सुबह-शाम जिस्म में चुभन और सिहरन पैदा करती है। गुनगुनी धूप थोड़ा तीखी हो गई है। घास पर पड़ी मोतियों सरीखी ओस की बूंदें सूर्य की किरणों से जल्द सिमटने लगी हैं। प्रकृति के इस बदलाव के साथ फागुन ने आहिस्ता-आहिस्ता कदम बढ़ा लिया था। जाहिर है, इसके साथ अब फसलों की रंगत बदल गई है। पूर्वांचल के गांवों में रंग-रंगीली होली के दिन करीब आ चले हैं। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि होली की कोई आहट नहीं दिखती। प्रकृति तो हमें वसंत का भरपूर एहसास दिलाती दिखती है।

सिवान की मेंड़ों से गुजरते वक्त फसलें उसी शिद्दत से पछुवा हवाओं के साथ झूम कर आलिंगन करती हैं। सरसों के खेत पीले-पीले फूलों और हरी फलियों से झुक गए हैं। अलसी और तीसी के नीले फूल झूम-झूम कर अब भी वसंत के स्वागत में लगे हैं। जौ की सुनहली बालियां बौराई-सी झूम रही हैं। मटर फूल और फली से लद गई है। टेंशू, गेंदा और गुलाब फागुन की मस्ती में खिलखिला रहे हैं। अमराइयों में आम में लगे बौरों की मादकता अजीब गंध फैला रहीं है। भौंरे कलियों का रसपान कर वसंत के गीत गुनगुना रहे हैं। इस बीच पेड़ों से पत्ते रिश्ते तोड़ वसंत के स्वागत में धरती पर बिछ जाने को आतुर दिखे। प्रकृति और उसका एहसास फागुन के होने की दस्तक देता है। पूर्वांचल में फागुन के गीत को फगुवा के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन अब यह गीत और उसे गाने वाले लोग गायब हैं।

दरअसल, आधुनिक विकास ने गांव की परिभाषा को निगल लिया है। अब गांव की असली तस्वीर केवल पुरानी हिंदी फिल्मों में कैद हो चुकी है। कभी गांव का नाम जेहन में आते ही खपरैल, घास-फूस और छप्पर की तस्वीर उभर आती थी। दिमाग में कोल्हू, हल-बैल, कुएं, तालाब, दुबला, रहट, नार-मोट, ढेकुली, मंदिर और लुका-छिपी का खेल नाचने लगता था। हुक्का गुड़गुडाते सुक्खु चाचा और टूटे चश्मे की फ्रेम आंखों पर चढ़ाई दादी गायब है। यहीं नहीं, उसकी डांट में छिपी मिठास और हाथों की छड़ी भी बदले दौर में गुम हो गई। अब तो नई पीढ़ी को गांव और दादी 'गूगल' पर ही मिलेगी।

इस मौसम में चरखी से निकले गन्ना के रस में दही मिला 'सीखरन' तैयार होता था। मटर की सलोनी के साथ उसे पीने का आनंद और स्वाद ही अलग था। अब गांवों से गन्ने की खेती गायब हो रही है। कड़ाहे गुड़ और खांड की सोंधी गंध नाक को तृप्त नहीं करती। वह वक्त भी था जब पकती खांड में हम आलू डालने जाते तो हमें पड़ोसी दादा की खूब डांट मिलती। अब गांव कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो चुके हैं। अब पुरानी बातें कहानियां हो गई हैं। डाकिया बाबू दिखाई नहीं पड़ते। अब कोई महिला किसी से पति को पाती लिखवाने की आरजू-मिन्नत नहीं करती दिखती। मोबाइल ने जीवन की सारी रसिकता को छीन लिया है। नई पीढ़ी के लिए गांव, वसंत और फागुन शोध का विषय बन गए हैं।

प्रकृति में अल्हड़ फागुन जीवंत है, लेकिन बदली परंपराओं और हमारी सोच में वह बूढ़ा हो चला है। फागुन में रास है, न रंग। बस होली के नाम पर औपचारिकता दिखती है। अब गुलाल मलने की सिर्फ रस्म निभाई जाती है, जबकि दिल नहीं मिलते। फाग गीतों की आड़ में द्विअर्थी गीतों ने दिमागों में गंदगी फैला दी है। होली का हुल्लड़ अब फूहड़ हो चला है।

जब कच्चे मकान होते थे तो उसमें माटी-गोबर लगाया जाता था, क्योंकि बारिश की वजह से छप्पर टपकने से घर की दीवारें कट जाती थीं। पतझड़ का मौसम आते ही पेड़ों की पत्तियों को पोतनी मिट्टी और गोबर के साथ मिला कर घरों की पुताई होती थी। पूर्वांचल में गांव की भाषा में इसे 'गोबरी' कहते हैं। इसे लगाते वक्त अगर कोई उधर से गुजरता था तो अक्सर दौड़ा कर सके मुंह और कपड़े में 'गोबरी' लगा दिया जाता था और इस तरह फागुन और होली के हुडदंग का आगाज हो जाता था। टोलियों के साथ होली मनती थी। वसंत लगते ही रंगत बदल जाती थी।

इन महीनों में होने वाली शादी में दूल्हा और बाराती रंगों में नहा उठते थे। होली के दिन गुड़ में भांग मिलाकर महजूम बनाए जाते थे। भांग मिश्रित ठंढई बनती थी। बचपन में हम लोग उसे पीकर होली के हुडदंग में शामिल हो जाते। यह सब वसंत लगते ही शुरू हो जाता था। लेकिन अब पूर्वांचल के गांवों में सौहार्द का समीकरण बिगड़ गया है। कोई किसी के घर नहीं जाना चहता है। त्योहारों का उत्साह भी गोलबंद हो चला है। वह दौर भी था जब वसंत पंचमी के दिन से होलिका संग्रह होने लगता। बचपन में युवाओं में होलिका को लेकर खास उत्साह होता। त्योहारों की मिठास खत्म हो चली है। आपसी प्रेम और सौहार्द गायब है। जबकि फागुन एक सोच है। वह जिंदगी को हसीन और रंगीन बनाने का संदेश है। वह उम्मीदों की नई कोंपल है।

बिन पानी

ऊंचाई की गणना समुद्र तल से की जाती रही है। रेलवे प्लेटफार्मों पर समुद्र तल से ऊंचाई लिखी होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम सब समुद्र तल से ऊंचाई पर हैं और हमारी नदियां भी ऊंचाई पर से बह कर समुद्र में मिलती हैं। पृथ्वी पर पचहत्तर फीसद जल है, बाकी भू-भाग है। यानी सारी नदियों का पानी समुद्र में जाकर खारा हो जाता है। अगर इस पानी को सहेजा जाए, यानी उदाहरण के तौर पर परियोजना, स्टॉपडेम, निस्तार, तालाब कुएं, बावड़ी आदि ज्यादा से ज्यादा बनाए जाएं तो वह बहता पानी इंसान के साथ-साथ पशु-पक्षियों और सिंचाई के लिए विषम परिस्थितियों में लाभकारी होगा। साथ ही खेती और जलस्तर बढ़ाने में पानी की आपूर्ति को एक नया बल देगा। इनके अलावा व्यर्थ ढोए जाने वाले पानी पर रोक के लिए पहल की जानी चाहिए, ताकि पानी की समस्या का सामना न करना पड़े।

आज जल वितरण की हालत यह है कि लोग पानी पाउच, बोतलों और टंकियों में खरीद कर रख और पी रहे हैं। अगर पानी को नहीं सहेजा गया तो एक दिन पानी की कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। ज्यादातर स्थानों पर दाह-संस्कार करके नदियों के तट पर पहले लोग नहाते थे, लेकिन अब सब घर आकर नहाते हैं। नदियों में पानी की कमी दिखाई देने लगी है। वैज्ञानिक लोग मंगल ग्रह पर पानी की खोज क्यों कर रहे हैं? उन्हें मालूम है कि पृथ्वी पर पानी की कमी हर साल बनी रहेगी। पानी सहेजेंगे तभी हम नदियों के पानी को व्यर्थ समुद्र में बहने से रोक कर उसका उपयोग कर पाएंगे और 'जल ही जीवन' की परिभाषा को सही तरीके से समझ पाएंगे। इसके लिए जल संरक्षण, जल संकल्प के साथ पानी सहेजने के स्रोतों का निर्माण आवश्यक है। नदियों के जल को प्रदूषित न करने का संकल्प लेना होगा। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपनी जगह सही है, लेकिन यह हर घर में होना चाहिए। इसके लिए जागरूकता लाना आवश्यक है।

● *संजय वर्मा 'दृष्टि', मनावर, धार*

अभिव्यक्ति की दिशा

संसार के सर्वाधिक स्नातक भारत में हैं। यह जानकर हैरानी होती है कि इसके बावजूद सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले लोग नेताओं की बयानबाजी से इस कदर प्रभावित हो जाते हैं कि एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं और फिर हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। दिलचस्प है कि न तो नेताओं के बयानों को परखा जाता है और न ही सोशल मीडिया नफरत फैलाने वाली सामग्रियों को, लेकिन दोष मढ़ दिया जा रहा है सोशल मीडिया पर। अपनी समझ को कोई दोष देने को तैयार नहीं है। आखिर हम इसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं या जाने-अनजाने हमसे दुरुपयोग हो रहा है? जो लोग संगठित रूप से सोशल मीडिया पर अफवाह, झूठ और नफरत फैलाते हैं, क्या उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई होती दिखती है। दरअसल, सोशल मीडिया के प्रयोग की एक उम्र सीमा और शैक्षिक स्तर के साथ-साथ उचित समय भी होना चाहिए। वर्तमान हालात देख कर कहा जा सकता है कि यह सब हमारे पास नहीं है। एक देहाती कहावत है जो हम सबने सुने होंगे- 'बंदर के हाथ में नारियल।' सोशल मीडिया पर नियंत्रण की जरूरत है, लेकिन मानवता के खिलाफ प्रत्यक्ष या परोक्ष अभियान चलाने वाले संगठित लोगों के रवैये पर।

● *मुकेश कुमार मनन, पटना*

वायरस का दायरा

सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट आगामी 11 अप्रैल से 18 अप्रैल तक मलेशिया में आयोजित होना था, लेकिन इसे कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते सितंबर तक के लिए स्थगित दिया गया है। सबसे बड़ा प्रश्न यहां उठ रहा है कि टोक्यो में प्रस्तावित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का क्या होगा, जो 24 जुलाई से 9 अगस्त तक आयोजित होना था? अभी तक मेजबान जापान ने किसी तरह की घोषणा नहीं की है, क्योंकि आयोजकों द्वारा ओलंपिक मशाल रिले को कोरोनो वायरस प्रकोप के कारण वापस लेने की तरफ इशारा किया जा चुका है। अगर यह हो जाता है तो यह समझा जाना चाहिए कि इस जानलेवा खतरनाक वायरस के चलते दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन को रोकना पड़ जाएगा। इतिहास में तीन बार 1916, 1940 और 1944 में प्रथम और दूसरे विश्व युद्ध के कारण ओलंपिक को स्थगित किया गया था। शायद पहली बार किसी बीमारी के विश्वव्यापी खतरे के कारण करना पड़ेगा। दुनिया भर के शेयर बाजारों को पहले ही खून का आंसू रुला चुका यह वायरस पता नहीं और कितना चोट आधुनिक विश्व को देने वाला है!

● *जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी, जमशेदपुर*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

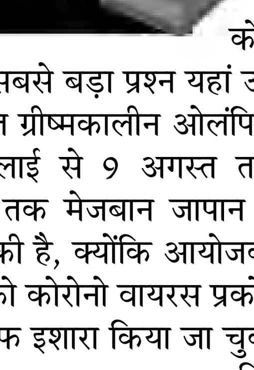

भविष्य का आईना

दिल्ली जैसे शहरों को जिस तरह आज भी सांप्रदायिक उन्माद की वैमनस्यकारी भावनाएं अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं, इससे यही लगता है मानो हमारी तमाम उपलब्धि, वैज्ञानिक प्रगति, समाज सेवा की भावना, शिक्षा व्यवस्था, कानून का शासन सब कुछ फेल हो गया हो। निर्दोष, निहत्थे लोग का अकस्मात बलि चढ़ जाना, अथाह निजी और सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुंचाया जाना किसी भी सभ्य मानव को झकझोर कर रख देता है। कबीर की उक्ति छह सौ साल बाद भी प्रासंगिक बनी हुई है कि 'पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय'।

हमारी शिक्षा व्यवस्था काफी प्रगतिशील अवस्था में है। बहुत सारे लोग आज पढ़े-लिखे हैं, लेकिन भौतिकवादी पढ़ाई में प्रेम की शिक्षा का कोई स्थान नहीं रह गया है। वे इर्ष्या और उन्माद के वातावरण में खुद भी जलते हैं और दूसरे को भी जलाते हैं। सबसे आवश्यक प्रेम की शिक्षा के अभाव में वे न तो खुद सही से रह सकते हैं और न ही दूसरे को रहने देते हैं। आज इंसान को इंसान बनने की जरूरत की याद दिलानी पड़े तो फिर आदिम सभ्यता और वर्तमान प्रगतिशील अवस्था में फर्क क्या रह जाएगा? समाज के अच्छे लोगों को आगे आने की जरूरत है और कानूनों का त्वरित क्रियान्वयन भी जरूरी है। नहीं तो आने वाली पीढ़ियों की नजर में हम लोग किसी बर्बर समुदाय के हिस्से के रूप में जाने जाएंगे।

● *मिथिलेश कुमार, भागलपुर*

www.readwhere.com

कनखल में योग स्वास्थ्य शिविर

प्राणायाम, योग, ध्यान और लोक सेवा जैसे उपाय हमें मानसिक तनाव से मुक्ति प्रदान करते हैं और यह शोध में भी पाया गया है कि जो व्यक्ति लोक सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं और ऐसे कार्यों में अपना समय लगाते हैं, उन्हें मानसिक तनाव कम होता है और उनका जीवन शांतिमय होता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए कनखल में छह दिन के योग स्वास्थ्य शिविर में खानपान और फिटनेट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

स्वाइन फ्लू को मात देने की तैयारी

राजीव जैन
जयपुर।

कोरोना वायरस की दहशत के बीच राजस्थान ने स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए कमर कस ली है। दरअसल पिछले कुछ साल में स्वाइन फ्लू यानी एन1एन1 बीमारी से हुई मौतों से लोगों में इस बीमारी के प्रति खौफ सा बन गया है। जानलेवा इस रोग के पाजिटिव मामलों में वर्ष 2019 में तो राजस्थान देश भर में पहले स्थान पर था।

बीते वर्ष 5092 पाजिटिव में से 208 लोगों की मौत होने से हड़कंप मच गया था। स्वाइन फ्लू की रोकथाम से जुड़े विशेषज्ञ डॉक्टरों ने इस मामले में माना था कि प्रदेश में इसकी जांच और उपचार केंद्रों की कमी के कारण लोगों की मौत हुई थी। राज्य में पिछले दस साल में इस बीमारी से डेढ हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसकी रोकथाम और जांच के लिए अब सरकार ने जिला स्तर पर ही इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं और उपचार के लिए अस्पतालों को भी चाक चौबंद करने की तैयारी कर ली है।

राज्य में स्वाइन फ्लू जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ने के लिए चिकित्सा विभाग ने एडवांस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत तैयारियां की है। स्वाइन फ्लू मरीजों को दी जाने वाली टेमीफ्लू की 15 लाख से ज्यादा दवाएं खरीद ली हैं और इन्हें उपजिला केंद्रों तक भिजवाया जा रहा है। मरीजों की स्क्रीनिंग से लेकर जांच और अन्य प्रकार की गाइडलाइन तक जारी कर दी गई है।

जिला अस्पतालों में स्वाइन फ्लू मरीजों के लिए अलग से वार्ड और गंभीर रोगियों के लिए स्पेशल आइसीयू तक के इंतजाम पूरे किए जा रहे हैं। प्रदेश के सभी बड़े सरकारी अस्पतालों में सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम शुरू करने की तैयारी कर ली गई है। कोटा के जेके लोन अस्पताल में बड़ी संख्या में शिशुओं की मौत के बाद ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए ही सभी अस्पतालों में अब एक जैसी व्यवस्था करने की योजना बनाई गई है। स्वाइन फ्लू के लक्षण सामने आते ही मरीज को अस्पताल पहुंचा कर उसके उपचार करने के साथ ही लोगों में जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। राजस्थान कुछ साल में स्वाइन फ्लू से मौतों का गढ़ बन गया है।

चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का कहना है कि स्वाइन फ्लू की रोकथाम और जांच व उपचार की अब जिला स्तर पर ही पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। टीबी की जांच वाली सीबी-नाट मशीनों का सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाएगा। इससे हर जिले में जांच सुविधा विकसित होगी। प्रदेश में 60 सीबी-नाट मशीने उपलब्ध है। जांच किट और स्टाफ की समुचित व्यवस्था होने पर स्वाइन फ्लू की जांच निचले स्तर पर ही उपलब्ध हो जाएगी और मरीजों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। सरकार निरोगी राजस्थान की दिशा में आगे बढ़ रही है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी भी तरह की कमी लोगों को महसूस नहीं होने देगी।

राज्य में मौत

2012 में 165, 2013 में 165, 2014 में 134, 2015 में 472,2016 में 146, 2017 में 263, 2018 में 221, 2019 में 208 स्वाइन फ्लू मरीजों की मौत हो गई थी।

(चिकित्सा विभाग के आंकड़े)

स्वाइन फ्लू के विशेषज्ञ डॉक्टर जीएल गुप्ता का कहना है कि यह कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। समय रहते इसकी पहचान कर इसका इलाज संभव है और मरीज को ठीक किया जा सकता है। स्वाइन फ्लू से हुई मौतों के ज्यादातर मामलों में सामने आया है कि मरीज अस्पताल देरी से पहंचता है। इस रोग में छोटे बच्चों और बुजुर्गों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। सरकार के अस्पतालों में सुविधाओं की कमी के कारण कुछ साल में हाहाकार मचा पर अब सरकार जिला स्तर पर ही जांच और उपचार की व्यवस्था को ठीक कर रही है तो आने वाले समय में इस पर काबू पाना संभव होगा। गुप्ता का कहना है कि स्वाइन फ्लू के लक्षणों में गले में दर्द, नाक बहना और तेज बुखार आना प्रमुख है। मरीज के ऐसे लक्षण दिखने पर उसे फौरन ही डॉक्टर से परामर्श लेकर उपचार शुरू कर देना चाहिए।

कोरोना : त्वरित प्रतिक्रिया दल बनेंगे

भाषा
जयपुर।

राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज को ध्यान में रखते हुए प्रदेश भर में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही यहां के एक अस्पताल में भर्ती कोरोनो वायरस के संदिग्ध मरीज और इटली के पर्यटक से संपर्क में आए लोगों की जांच कराने को कहा है।डॉ शर्मा ने संदिग्ध मरीज के राजस्थान की सीमा में प्रवेश से लेकर भ्रमण किए गए विभिन्न स्थलों पर चिकित्सा शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग की त्वरित प्रतिक्रिया टीम भेजकर जांच कराने के निर्देश दिए हैं। इस पर्यटक से संपर्क में आए सभी व्यक्तियों की जांच सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि इटली से 20 पर्यटकों का दल राज्य के मण्डावा, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर होते हुए जयपुर पहंचा था। यहां पहुंचने पर एक पर्यटक के बीमार होने पर उसे स्थानीय निजी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया था एवं वहां से रैफर होने के बाद एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।

तत्काल नागरिकता चाह रहे हैं मजनूं का टीला पहुंचे पाकिस्तानी सिख शरणार्थी परिवार

प्रियरंजन
नई दिल्ली।

सीएए के तहत नागरिकता पाने का पहला दावा सिखों की तरफ से किया गया है। इस समय पाकिस्तान से आए लगभग 160 शरणार्थी परिवार भारतीय नागरिकता की आशा में दिल्ली में मौजूद हैं। इनमें से 60 परिवार वे हैं जो 2 से 16 फरवरी 2020 के बीच नई दिल्ली पहुंचे हैं। यहां पहुंचा नया जत्था भारत की नागरिकता मिलने तक अपनी पहचान उजागर करना नहीं चाहता। दिल्ली के सिख नेताओं के मार्फत उन्होंने अपनी मांग केंद्र सरकार तक पहुंचाई है। ये परिवार यहां यमुना किनारे गुरुद्वारा मजनू का टीला के दक्षिण छोर पर अस्थायी ढांचा बनाकर रह रहे हैं। इनमें कुछ हिंदू भी हैं। पाकिस्तानी हिंदू सिख शरणार्थियों को तत्काल नागरिकता प्रदान करने का अनुरोध किया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इनकी मांगों को लेकर गृह मंत्रालय के साथ सूत्रधार बनी है। जब तक उन्हें स्थायी तौर पर नागरिकता नहीं मिल जाती, गुरुद्वारा कमेटी पाकिस्तान से आए हिंदू सिख शरणार्थी परिवारों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा आदि की सुविधा प्रदान करेगी। इसकी पुष्टि कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने की।

कमेटी के पदाधिकारियों व सिख नेताओं की मानें तो शरणार्थी परिवारों के कई सदस्य व्यवसायिक तौर पर कुशल पेशेवर हैं। वे अपनी सेवाओं के जरिए अपना यापन करने में सक्षम हैं। देश के विकास व अर्थवव्यवस्था में अपना योगदान देना चाहते हैं। उन्होंने नया जीवन शुरू करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह से उनको नागरिकता प्रदान कर भारतीय बनाने का अनुरोध किया। बकौल सिरसा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इस बाबत केंद्रीय गृह मंत्री से बात की। सरकार का रूख सकारात्मक है। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को इस सिलसिले में तत्काल वैधानिक विकल्प खोजने का निर्देश दिया है। आशा है पीड़ित शरणार्थियों को जल्द ही राहत मिलेगी।

क्या चाहते हैं पाक के शरणार्थी युवा

शरणार्थी परिवारों के युवक-युवतियों की ओर से भारतीय सेना तथा अर्धसैनिक बलों में अपनी सेवाएं देने की इच्छा जताई है। वे सीमा पर चौकसी को तैयार हैं। इन परिवारों ने वीजा शर्तों में छूट देने का अनुरोध किया है। इन परिवार के लोग खासकर युवक-युवतियों भारत के दूसरे हिस्सों में भी आने जाने की छूट चाहते हैं ताकि वे रोजगार-शिक्षा आदि के लिए अन्य जगह यात्रा कर सकें। इस समय उनकी वीजा शर्तों के अनुसार वे केवल दिल्ली या हरिद्वार में ही रह सकते हैं। पाक के ये लोग नागरिकता संशोधन एक्ट (सीएए) के लिए भारत के ऋणी हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। वे प्रधानमंत्री या गृहमंत्री से मिलना चाहते हैं। उनका कहना है कि सीएए की वजह से उनका भारत में रहने का सपना साकार होगा। वे चाहते हैं कि उन्हें सम्मानजनक जीवन यापन के लिए अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुरूप सुविधाएं तथा लाभ प्रदान किए जाए।

दिल्ली

नागरिकता दिलाने के लिए सिख समुदाय आगे आया, गृह मंत्री से मिला प्रतिनिधिमंडल।
कमेटी अपने स्कूलों में बच्चों के दाखिला को तैयार, सिसोदिया से ध्यान देने की अपील।

शरणार्थी की नौबत क्यों

बकौल सिरसा पाकिस्तान में हिंदू सिख अल्पसंख्यकों के मानवीय अधिकारों का बड़े पैमाने पर उल्लघंन किया जाता है। हिंदू-सिख परिवार में मौत पर पार्थिव शरीर को जलाने तक पर यह कहकर अड़चन लगाते हैं कि पार्थिव शरीर को जलाने से वातावरण में बदबू फैलेगी। वे लाश को दफनाने के लिए दबाव डालते हैं।

पाकिस्तान में युवा हिंदू और सिख लड़कियों का अपहरण करके उनकी जबरदस्ती विवाह किया जा रहा है। सारा तंत्र वहां के अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान में दो महीनों में 53 हिंदू सिख लड़कियों का अपहरण करके उनकी इच्छा के विरूद्ध जबरदस्ती विवाह करके उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने पर मजबूर किया गया है। हाल ही में सिंध प्रांत में 17 साल की हिंदू लड़की कोमल कुमारी का अपहरण किया गया। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय दबाव व अनेक मानवाधिकार संगठनों के पुरजोर विरोध के बावजूद जगजीत कौर और महक कुमारी के जबरन धर्म परिवर्तन और शादी के मामलों में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

यहां मौजूद सोना दास पाकिस्तान में सिंध प्रांत के हैदराबाद में रहते थे। वे कहते हैं कि हिंदू होने की वजह से उनके साथ भेदभाव किया गया। उन्हें परेशान किया गया। उनकी संपत्ति हड़प ली गई। अब उनका देश भारत ही है। एक अन्य शरणार्थी सुखनंद का मानना है कि भारत में आकर इनकी स्थितियां बेहतर हुई हैं। नागरिकता मिल जाने से वे तन से भी भारतीय हो जाएंगे।

सर्पदंश : जागरूकता व बेहतर इलाज से घटी दम तोड़ने वालों की संख्या

शंकर जालान
कोलकाता।

जहां बिहार, झारखंड, असम व ओड़िशा में सांप के काटने से मरने वालों की संख्या में साल-दर-साल इजाफा हो रहा है वहीं, पश्चिम बंगाल में 2014 के बाद से हर साल सांप के काटने से मरने वालों की संख्या में कमी आई है, जिसकी मुख्य वजह लोगों की जागरूकता व बेहतर इलाज को माना जा रहा है।

सर्पदंश से मौतों के मामले में पड़ोसी राज्यों की तुलना में बंगाल की स्थिति काफी बेहतर है। पांच साल (2014-2018) के दौरान बंगाल में 5300 से ज्यादा लोगों को सांप ने डंसा और केवल 17 लोगों की मौत हुई। इसी अवधि के दौरान बिहार में 35, झारखंड में 36, असम में 26 व ओडिशा में 43 लोग सर्पदंश से मरे, जबकि इन राज्यों में बंगाल की तुलना में सांप ने कम लोगों को काटा है। बिहार में 3388, झारखंड में 3763,असम में 2977 व ओडिशा में 4060 लोगों को सांप ने काटा। सूत्र बताते हैं कि बंगाल के विभिन्न जिलों में जागरूकता व सरकारी अस्पतालों में नई तकनीकी और पर्याप्त मात्रा में नई दवाओं के चलन के कारण सर्पदंश से मौत के मामलों में उल्लेखनीय रूप से कमी आई है। जानकारों के मुताबिक राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से सांपों की सही तरीके से पहचान करने और उनके डंसने पर प्राथमिक इलाज के बारे में जागरूकता फैलाने के सकारात्मक नतीजे मिल रहे हैं। लोगों को सांप का रंग-रूप देखकर पहचानने के बारे में बताया जा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रत्येक सरकारी अस्पताल में सांपों के बारे में दीवारों पर लिखित रूप से विस्तृत जानकारी दी गई है। करैत, कोबरा, चंद्रगोड़ा समेत अन्य विषधर सांपों की जानकारी देने वाली किताबें भी हरेक सरकारी अस्पताल में रखी गई हैं। इतना ही नहीं, जिला स्तर पर लोगों को विषधर सांपों को पहचानने की जानकारी दी जा रही है। नतीजतन जागरूकता बढ़ी है और सही समय पर सही कदम उठाकर जिंदगियां बचाई जा रही हैं। सभी सरकारी अस्पतालों में हरेक तरह के सांप के विष को निष्क्रिय करने के लिए एंटी-वेनम इंजेक्शन मौजूद हैं। सर्पदंश के शिकार लोगों को अस्पताल ले जाने में देर करने या ओझा के पास ले जाने के कारण ज्यादातर मौतें होती हैं। इस बाबत सूबे की स्वास्थ्य राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने जनसत्ता को बताया कि यह तृणमूल सरकार के सकारात्मक प्रयास और लोगों व चिकित्सकों के बीच सांपों को लेकर बढ़ी जागरूकता का ही नतीजा है।

बंगाल

जागरूकता व सरकारी अस्पतालों में नई तकनीकी और पर्याप्त मात्रा में नई दवाओं के चलन के कारण सर्पदंश से मौत के मामलों में उल्लेखनीय रूप से कमी आई है।

योग शिविर का मूलमंत्र : जीवन शैली में बदलाव ही सबसे बड़ी औषधि

सुनील दत्त पांडेय
देहरादून।

अगर मनुष्य अपनी जीवन शैली में परिवर्तन कर दे तो उसके लिए उससे बड़ी कोई औषधि नहीं है। मनुष्य का आहार, विचार और व्यवहार सही हो तो मनुष्य का हर प्रकार के रोगों से विशेषकर ह्रदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक और कैंसर जैसी जानलेवा रोगों से बचाव होगा। भारत में आज जिस तेजी के साथ लोगों का आहार, विचार और व्यवहार बदल रहा है और जो जीवन शैली अपनाई जा रही है, उससे आने वाले समय में भारत में ह्रदय, ब्रेन स्ट्रोक और कैंसर के रोगियों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और इन रोगों से मरने वालों की तादाद सबसे ज्यादा होगी, इसीलिए मनुष्य को अभी से अपनी जीवनशैली में बदलाव लाना चाहिए ताकि इन रोगों से बचा जा सके।

उत्तराखंड

मनुष्य की जीवन शैली में परिवर्तन लाने के लिए आजकल हरिद्वार के रामकृष्ण मिशन मठ व रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम कनखल में छह दिवसीय स्वास्थ्य योग शिविर चल रहा है जो 6 मार्च तक चलेगा। इसमें चिकित्सकों को जीवनशैली में परिवर्तन लाने की कई महत्त्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हैं।

अमेरिका से आए वरिष्ठ ह्रदय रोग चिकित्सक डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा इस शिविर में शिरकत कर रहे हैं। मनुष्य अपनी जीवन शैली में किस तरह से बदलाव करे, इस बारे में डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा ने कहा कि मनुष्य को इन रोगों से बचाव के लिए विभिन्न तरह के फल-सब्जियां, विभिन्न प्रकार की दालें, चोकर वाला ब्राउन आटा, ब्राउन चावल जैसे खाद्य पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। दूध और दूध से बने पदार्थों, चीनी, नमक, सफेद आटा, सफेद चावल, मैदा, नूडल्स, तली हुई चीजों से परहेज करना चाहिए। यदि हम इस तरह के खाद्य पदार्थों का सेवन करेंगे तो उससे हमारी खून को प्रवाहित करने वाली नलिया अवरुद्ध हो जाएंगी और ह्रदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। खानपान का मनुष्य के स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। सबसे अच्छी औषधि जीवन शैली ही है। हमारी जीवनशैली ही हमारे स्वास्थ्य पर सबसे अधिक असर डालती है/डॉक्टर शर्मा के मुताबिक योग, ध्यान, प्राणायाम, सुबह शाम पैदल घूमने से हमारे शरीर में मोटापा कम होगा और हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा। उन्होंने कहा कि हमें शाकाहारी भोजन को अपनाना चाहिए और सिगरेट, मांस-मदिरा के सेवन से बचना चाहिए। इनकी जगह हमें नट्स, चना, मटर, राजमा, लोबिया, छोले इत्यादि लेना चाहिए जिनसे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और हमें प्रोटीन की मात्रा भी भरपूर मिलेगी।

उन्होंने कहा कि हरिद्वार तो योग के लिए जाना जाता है। यहां स्वामी रामदेव जैसे योगाचार्य हैं, जो योग के बारे में रात दिन बताते रहते हैं। योग से मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। उन्होंने कहा कि जितना हम प्रकृति से जुड़ेंगे, उतना ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहगा।`हरिद्वार की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ सरोज नैथानी का कहना है कि मिशन में चल रहे छह दिवसीय स्वास्थ्य योग शिविर को जनता से जोड़ने के लिए हमारा विभाग कई स्तर पर कार्य कर रहा है और मैंने खुद ही शिविर में हिस्सा लेकर मिशन की इस अनुपम-अभिनव पहल को जाना समझा है।

श्री रामकृष्ण मठ एवं सेवाश्रम के सचिव स्वामी नित्यशुद्धानंद महाराज का कहना है कि छह दिन के स्वास्थ्य योग शिविर के जरिए वर्तमान आपाधापी के दौर में मनुष्य को उसकी जीवनशैली में कैसे बदलाव लाया जा सकता है, इसके सरल उपाय बताए जा रहे हैं और डॉक्टर शर्मा इस बारे में बेहतर उपाय आमजन और चिकित्सकों को बता रहे हैं।

डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा ने कहा कि मनुष्य को इन रोगों से बचाव के लिए विभिन्न तरह के फल-सब्जियां, विभिन्न प्रकार की दालें, चोकर वाला ब्राउन आटा, ब्राउन चावल जैसे खाद्य पदार्थों का उपयोग करना चाहिए।

*छह दिवसीय स्*वास्थ्य योग शिविर के संयोजक स्वामी दयाधिपानंद डॉ शिवकुमार महाराज का कहना है कि इस शिविर की थीम है- स्वस्थ जीवन, समृद्ध जीवन और साकार जीवन।

एक ओर महिला सशक्तिकरण, दूसरी ओर बाल विवाह का अभिशाप

तमन्ना अख्तर
खारोडा (गुरुग्राम)।

कहा जाता है कि अकेला गुरुग्राम ही पूरे हरियाणा की अर्थव्यवस्था को तो संभालता ही है, साथ ही देश की आर्थिकी को भी काफी मजबूती देता है। ऐसे अत्याधुनिक और आत्मनिर्भर जिले के गांवों की तरफ निगाह दौड़ाई जाए तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। शहर में महिला उद्यमियों और इंजीनियरों को देख जहां महिला सशक्तिकरण के नारे बुलंद होते हैं, वहीं इसके साथ ही सटे गांवों में बाल विवाह, लड़कियों के घरों के काम तक ही सीमित रहने, किसी भी महत्त्वपूर्ण फैसले में उनकी न के बराबर भागीदारी की घटनाएं हर घर-परिवार में स्पष्ट दिखाई देती हैं। शहर और इसके गांवों के बीच में इतनी बड़ी खाई नजर आती है जिसे भर पाना आसान नजर नहीं आता।

हरियाणा

जिले के सोहना तहसील के तहत खारोडा में 2011 के जनगणना के मुताबिक कुल साक्षरता दर 65 प्रतिशत है, जिसमें महिला साक्षरता दर 26.3 फीसद है। लड़की घर की इज्जत, जातिवाद, परंपरा, लोग क्या कहेंगे, जैसे वाक्य यहां आज भी उतने ही मजबूत है जितने की बरसों पहले थे।

गांव में कक्षा नौंवी में पढ़ने वाली स्नेहा (बदला हुआ नाम) महज 14 साल की है। उसकी शादी को एक साल हो गया है। वह बताती है, 'मेरी शादी को एक साल हो गया है। मेरे पति 12वीं में पढ़ते है। फिलहाल मैं अपने मां-पापा के साथ रहती है। बाकी मेरी 12वीं होने के बाद की कहानी मेरे ससुराल वाले तय करेंगे।' स्नेहा से जब शादी के मायने पूछे गए तो जवाब मिला, 'शादी मतलब ढेर सारे नए कपड़े...मैं जितना मर्जी जब मर्जी मेकअप कर सकती हूं। चूंकि शादी मेरी है तो मेरे घर वाले उस दिन सजने-संवरने के लिए टोकेंगे नहीं। यह कितनी बड़ी आजादी है।' उसी की सहपाठी शमा (बदला हुआ नाम), जो फिलहाल पढ़ाई छोड़ चुकी है, की शादी एक मार्च को है। उसका पति एक कंपनी में कार्यरत है। शमा ने शादी को लेकर कहा, 'मेरे घर में सिर्फ मेरे भाई की चलती है। मेरा सोचना किसी के लिए मायने नहीं रखता। घर वालों ने तय कर दिया तो मैं भी खुश हूं।'

मेकअप, नए कपड़े, जेवर, पर्स जैसे चीजों की चमक ही है जो इनकी मर्जी से इनकी आंखों में है बाकी जिंदगी की डोर पहले पिता/भाई और बाद में ससुराल वालों को सौंप दी जाती है। एक ही जैसे विचारधारा के साथ वहां बैठी सभी लड़कियां बोली, 'हमारे यहां ऐसा होता है और हमें इससे कोई आपत्ति भी नहीं है।

खट्टर सरकार सिर्फ कानून बनाकर खानापूरी करने में विश्वास नहीं करती बल्कि उन्हें अमली रूप देने के लिए ठोस कदम भी उठाती है। इसी का परिणाम है कि हरियाणा में लिंगानुपात कम हुआ है। बाल विवाह आदि समस्याओं को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं और इसमें किसी भी तरह की कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी।
-कमलेश डांढा, हरियाणा महिला एवं बाल विकास (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री

समाज की कुरीतियों को जड़ से उखाड़ने के लिए आयोग प्रयासरत है। हमने इस बाबत राज्य आयोग बना रखे हैं। इस संदर्भ हम दो तरह से काम करते है- पहला निवारक उपाय और दूसरा रोकथाम उपाय। निवारक उपाय में हम कानून की मदद ले ऐसी घटनाओं को रोकते हैं और शादियों के सीजन में हम जगह-जगह अध्यादेश जारी करते हैं। दूसरी ओर रोकथाम में हम कार्यशालाएं आयोजित कर लोगों को जागरूक करते हैं ताकि वह निजी स्तर पर ऐसा न होने दें।
-प्रियंक कानूनगो, अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

'*बदलाव* एक दिन में तो आता नहीं। धीरे-धीरे कुरीतियों से लड़ना होगा। एक के साथ जब कई आवाज मिलेंगी तो बदलाव भी आएगा और लोग जागरूक भी होंगे।', सेल्फी विद डॉटर के संस्थापक ***सुनील जागलान***, जो इन किशोरियों को अपने लिए खड़े होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, का कहना है कि एकदिन खड़े होकर अगर आप बरसों से चली आ रही किसी रीत रिवाज को गलत कह दोगे तो जाहिर है लोग आपको चुप करा देंगे।

www.readwhere.com

संरा मानवधिकार उच्चायुक्त के कदम पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया जताई

पेज 1 का बाकी

की रक्षा व उसे बढ़ावा देने और उस संबंध में जरूरी वकालत करने के लिए मिले अधिदेश के आधार पर न्यायमित्र (तीसरे पक्ष) के तौर पर हस्तक्षेप करना चाहती हैं।

भारत ने ओएचसीएचआर की तीखी आलोचना करते हुए कहा है कि सीएए भारत का आंतरिक मामला है और भारतीय संसद के पास कानून बनाने की ताकत है। हमें विश्वास है कि कोई बाहरी पार्टी इस भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि सीएए संवैधानिक रूप से वैध है और उसमें सभी संवैधानिक मूल्यों का समावेश है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, 'जेनेवा स्थित हमारे मिशन को जानकारी दी गई कि संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त की ओर से सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन अधिनियम पर हस्तक्षेप याचिका दायर की गई है। यह भारत का आंतरिक मामला है और इसमें कोई बाहरी पार्टी हस्तक्षेप नहीं कर सकती।' संरा की संस्था ने सीएए के घोषित उद्देश्य का स्वागत किया, लेकिन प्रताड़ित मुसलमानों के विभिन्न संप्रदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखने का मुद्दा उठाया।

उसने अपनी अर्जी में कहा, 'अनियमित हालात में सीएए शरणार्थियों सहित उन हजारों आव्रजकों को लाभ पहुंचा सकता है जिन्हें सामान्य स्थिति में अपने मूल देश में मुकदमों से बचने और नागरिकता प्राप्त करके कार्रवाई से बचने में समस्या हो सकती थी। यह प्रशंसा योग्य उद्देश्य है। लेकिन उन देशों में धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, विशेष रूप से मुसलमान समुदाय से जुड़े, जैसे... अहमदिया, हजारा और शिया मुसलमान, जिनके हालात ऐसे हैं कि उन्हें भी समान आधार पर सुरक्षा की जरूरत है, जिनके आधार पर सीएए में अन्य की सुरक्षा की गई है।'

पिस्तौल तानने वाला शाहरुख गिरफ्तार

पेज 1 का बाकी

अतिरिक्त आयुक्त अजीत कुमार सिंगला ने पुलिस मुख्यालय में पत्रकारों को बताया कि सोमवार को दिल्ली पुलिस के एएसआई इस्माइल और अब्दुल बरकत को सूचना मिली कि दस बजे से 12 बजे दोपहर के बीच शाहरुख उत्तरप्रदेश के शामली बस स्टेंड पर अपने जानकार से मिलने के लिए आने वाला है। पुलिस ने एक टीम का गठन करके उसे बताए गए ठिकाने पर तैनात किया गया। जैसे ही शाहरुख बस स्टेंड पर आया, उसे दबोच लिया गया। कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर उसे मंगलवार को गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया। पुलिस का कहना है कि उस पिस्तौल को बरामद करने की कोशिश की जा रही है जो शाहरुख ने इस्तेमाल की थी। पूछताछ में शाहरुख ने कहा कि उसने गुस्से के कारण विरोध प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी की। उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। उसने दो साल पहले अपने एक कर्मचारी के नाम से 7.65 एमएम की पिस्तौल ली थी। उसके पिता के खिलाफ किसी प्रकार के मामले दर्ज है या नहीं इसकी भी जांच पुलिस कर रही है। दंगा प्रभावित जाफराबाद-मौजपुर रोड पर 25 फरवरी को उसने प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मी दीपक दहिया पर पिस्तौल तान दी थी। दहिया ने हालांकि उसे उलझाए रखा लेकिन इसी का फायदा उठाते हुए शाहरुख फरार हो गया। कुछ देर के बाद जब उसने टीवी पर अपनी तस्वीर देखी तो वह दिल्ली से भाग खड़ा हुआ। दिल्ली से भागने के बाद वह बरेली और शामली इलाके में रुका।

प्रेरक महिलाओं की गाथाएं साझा करें

पेज 1 का बाकी

को प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था, 'सोच रहा हूं कि इस रविवार को फेसबुक, ट्विटर, इंस्ट्राग्राम व यूट्यूब पर अपना सोशल मीडिया अकाउंट छोड़ दूं। आप सभी को जानकारी दूंगा।' आज उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'इस महिला दिवस (8 मार्च) पर, मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट ऐसी महिलाओं को सौंप दूंगा जिनका जीवन और कार्य हमें प्रेरित करते हैं। इससे लाखों लोगों को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी।' उन्होंने आगे लिखा, 'क्या आप इस तरह की महिला हैं या आप इसी तरह की किसी प्रेरणास्पद महिला को जानते हैं? 'हैशटैग शीइन्सपायरअस' (वह हमें प्रेरित करती हैं) के साथ ऐसी गाथाएं साझा करिए।' प्रधानमंत्री ने सोमवार रात को यह ट्वीट कर सोशल मीडिया में हलचल पैदा कर दी थी। मोदी के इस ट्वीट को एक घंटे के भीतर करीब 26 हजार बार रीट्वीट किया गया।

दरअसल

चर्चा से भाग रही है केंद्र सरकार : अधीर रंजन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 मार्च।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को सदन में घोषणा की कि दिल्ली में पिछले दिनों हुए दंगों के दौरान हुई हिंसा के मुद्दे पर होली के बाद सदन में चर्चा होगी। अध्यक्ष ने कहा कि सभी इस बात पर सहमत हुए हैं कि दिल्ली हिंसा पर चर्चा के लिए आसन के निर्णय को स्वीकार किया जाएगा। लेकिन उनकी इस व्यवस्था से विपक्षी सदस्य एकदम से बिफर पड़े। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि असल में सरकार इस मुद्दे पर चर्चा से भागना चाहती है क्योंकि उसके पास बताने के लिए कोई जवाब नहीं है।

कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी व के जी सुरेश ने संवाददाताओं से कहा कि असल में सरकार चर्चा से भगना चाह रही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष के साथ बैठक में यह तय किया गया था कि दोपहर बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सदन पटल पर आवश्यक दस्तावेज रखने के बाद कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। लेकिन हुआ यह कि सरकार इसी बहाने अपने विधेयक पारित कराने में जुट गई। यह गलत बात हुई।

कांग्रेस नेता ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है। पूरी हुकूमत यहां बैठी है फिर भी यहां इतनी व्यापक हिंसा हुई। इस पर संसद में चर्चा नहीं होनी चाहिए तो कहा होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि सच बात तो यह है कि सरकार चर्चा से भागना चाहती है। उसकी दिक्कत यह है कि उसके पास जवाब नहीं है। इससे पहले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी संवाददाताओं से कहा कि सरकार दिल्ली के मुद्दे पर चर्चा से भाग रही है।

भारत ने ईरान के राजदूत को तलब किया

विदेश मंत्रालय ने ईरानी विदेश मंत्री के बयान को 'चुनिंदा और पक्षपातपूर्ण' बताया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 मार्च।

भारत ने मंगलवार को ईरान के राजदूत अली चेगेनी को तलब किया और दिल्ली हिंसा के बारे में ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ द्वारा की गई टिप्पणी पर कड़ा एतराज जताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि ईरान के राजदूत को यह बताया गया कि दिल्ली की घटनाओं पर जरीफ का 'चुनिंदा और पक्षपातपूर्ण' बयान अस्वीकार्य है।

जरीफ ने सोमवार को ट्वीट किया था कि ईरान भारतीय मुसलिमों के खिलाफ संगठित रूप से की गई हिंसा की भर्त्सना करता है और वह भारतीय अधिकारियों से निरर्थक हिंसा नहीं होने देने की अपील करता है। रवीश कुमार ने कहा कि भारत ईरान जैसे देश से ऐसे बयान की उम्मीद नहीं करता है। उन्होंने बताया, 'दिल्ली में ईरान के राजदूत को मंगलवार को तलब किया गया और ईरान के विदेश मंत्री द्वारा अवांछनीय टिप्पणी किए जाने पर कड़ा विरोध जताया गया। यह बताया गया कि दिल्ली की हाल की घटनाओं पर उनके चुनिंदा एवं पक्षपातपूर्ण बयान स्वीकार्य नहीं हैं। हम ईरान जैसे देश से ऐसे बयान की उम्मीद नहीं करते हैं।'

ईरान पर अमेरिका की पाबंदियों के बावजूद भारत उसके साथ मधुर संबंध बनाए हुए है और वह इस खाड़ी देश में सामरिक रूप महत्त्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह के विकास में सक्रियता से शामिल है।

जरीफ अमेरिकी सैन्य हमले में शीर्ष ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी के मारे जाने को लेकर ट्रंप प्रशासन के साथ ईरान के बढ़ते तनाव के बीच जनवरी में भारत आए थे।

जरीफ ने सोमवार को ट्वीट किया था, 'भारतीय मुसलिमों के खिलाफ संगठित रूप से की गई हिंसा की ईरान भर्त्सना करता है। सदियों से ईरान भारत का मित्र रहा है। हम भारतीय अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि वे सभी भारतीयों की सलामती सुनिश्चित करें और निरर्थक हिंसा को फैलने से रोकें। आगे बढ़ने का मार्ग शांतिपूर्ण संवाद और कानून का पालन करने से प्रशस्त होगा।'

दिल्ली दंगों पर चर्चा को लेकर संसद में फिर हंगामा, गतिरोध कायम

पेज 1 का बाकी

विपक्ष के हंगामे के चलते प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो पाया। इस मुद्दे पर दोनों सदनों में सोमवार को भी गतिरोध रहा था। लोकसभा में हंगामे के बीच ही सरकार ने बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित कराने का प्रयास किया। इससे विपक्षी सदस्यों का विरोध और तेज हो गया।

लोकसभा में इस मुद्दे पर चर्चा कराए जाने के मामले में अपनी व्यवस्था देते हुए अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा-देशहित को ध्यान में रखते हुए मैं व्यवस्था देता हूं कि होली के बाद 11 मार्च को इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। होली सौहार्दपूर्ण तरीके से मननी चाहिए। सरकार इस विषय पर चर्चा को तैयार है। इस दौरान विपक्ष के सदस्य असंतोष प्रकट करने लगे। अध्यक्ष बिरला ने कहा कि सदन चर्चा के लिए होता है, वाद-विवाद के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि हम सभी होली अच्छी तरह से मनाएं और उसके बाद सौहार्दपूर्ण चर्चा करें।

हंगामे के बीच ही अध्यक्ष ने बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020 पेश कराया। विधेयक की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हंगामा कर रहे विपक्ष के सदस्यों की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये लोग उन छोटे निवेशकों की मांग दबा रहे हैं जिन्होंने कठिनाइयों का सामना किया है। हंगामे के बीच ही सरकार ने विधेयक से संबंधित कुछ संशोधन पारित कराए।

उधर कांग्रेस, द्रमुक, तृणमूल कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी और वाम दलों समेत अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने आसन के समीप नारेबाजी तेज कर दी। वे आसन के पास पहुंचकर विधेयक को हंगामे के बीच पारित कराने के प्रयासों का कड़ा विरोध कर रहे थे। इसी बीच सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी सत्ता पक्ष की सीटों की तरफ से होते हुए आसन के समीप पहुंच गए। उन्हें रोकने के लिए भाजपा की लॉकेट चटर्जी आ गईं। हालांकि भाजपा के कुछ सदस्यों ने चटर्जी को रोक दिया।

इस बीच भाजपा की कुछ और महिला सदस्य बीच में आकर खड़ी हो गईं और कांग्रेस की राम्या हरिदास, ज्योतिमणि समेत अन्य विपक्षी सदस्यों को सत्तापक्ष की तरफ बढ़ने से रोकने लगीं। हंगामा और तेज हो गया तथा सत्तापक्ष और विपक्ष के कुछ सदस्यों के बीच धक्कामुक्की की स्थिति बन गई।

इटली के 21 पर्यटकों को आइटीबीपी कैंप लाया गया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 मार्च।

नोवेल कोरोना वायरस की स्थिति पर कैबिनेट सचिव ने मंगलवार को मंत्रालयों के सचिवों, राज्यों के मुख्य सचिवों व स्वास्थ्य सचिवों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। इसमें बताया गया कि जयपुर गए 21 इतावली पर्यटकों और तीन बस कर्मचारियों को आइटीबीपी के कैम्प में लाया गया है। उनकी स्थिति को देखने के बाद आगे निर्णय किए जाएंगे।

बैठक के दौरान राज्यों से पृथक वार्ड बढ़ाने के लिए कहा गया।

सरकार ने श्रम विभाग, सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, मेडिकल कॉलेजों और सार्वजनिक उपक्रमों को अपने यहां पृथक वार्ड बनाने के लिए भी कहा है।

बैठक में यह तय किया गया जिला कलेक्टर अपने जिलों में कलस्टर प्रबंधन के कार्य में लगेंगे। ये जिला, खंड और गाव के स्तर पर संयोजन की बैठक करेंगे और मानक संचालन प्रक्रियाओं का लागू कराएंगे।

चार देशों के नागरिकों को तीन मार्च तक जारी वीजा निलंबित

शंघाई और हांगकांग की सीधी उड़ानें रोकी गईं

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 मार्च।

भारत में कोरोना वायरस के ताजा मामले सामने आने के बाद सरकार ने मंगलवार को एक यात्रा परामर्श जारी करके तीन मार्च को या उससे पहले इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया, जापान के उन नागरिकों को जारी नियमित वीजा या ई-वीजा निलंबित कर दिया, जिन्होंने अभी तक भारत में प्रवेश नहीं किया है। परामर्श के बाद भारत सरकार ने कई देशों की उड़ानें रद्द कर दी हैं। शंघाई और हांगकांग के लिए सीधी उड़ानें रोक दी गई हैं। सियोल, तोक्यो, मिलान, सिंगापुर, बैंकाक की उड़ानें कम कर दी गई हैं।

साथ ही परामर्श में तीन मार्च तक जापान और दक्षिण कोरिया के नागरिकों को जारी आगमन पर वीजा (वीओए) निलंबित कर दिया है, जिन्होंने अभी तक भारत में प्रवेश नहीं किया है। परामर्श में कहा गया है कि जिन लोगों के भारत की यात्रा करने के न टाल सकने वाले कारण हैं वे निकटतम भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास से संपर्क कर सकते हैं।

इससे पहले चीन के नागरिकों को पांच फरवरी या उससे पहले जारी नियमित (स्टिकर) वीजा या ई-वीजा को निलंबित किया गया था। यह अभी भी लागू रहेगा। जिन लोगों के भारत की यात्रा करने के न टाल सकने वाले कारण हैं वे नजदीकी भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास से संपर्क कर सकते हैं।

परामर्श में कहा गया है कि उन सभी विदेशी नागरिकों को जारी नियमित (स्टिकर) वीजा या ई-वीजा अब तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाते हैं जिन्होंने चीन, ईरान, इटली, दक्षिण कोरिया और जापान की एक फरवरी या उसके बाद यात्रा की है और जिन्होंने अभी तक भारत में प्रवेश नहीं किया है। इन देशों से वाले संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सदस्यों को भारत आने दिया जाएगा, हालांकि इन सभी की स्क्रीनिंग होती रहेगी। अधिकारियों के मुताबिक, जो भी नागरिक कुछ देशों की यात्रा कर आ रहे हैं, फिर चाहे वो भारतीय हों या फिर विदेशी- उनकी जांच हवाई अड्डे पर जरूर की जाएगी। इन देशों में चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, ईरान, इटली, हांगकांग, मकाऊ, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल, थाईलैंड, सिंगापुर, ताइवान जैसे देश हैं।

अधीर रंजन चौधरी के कर्मचारी से मारपीट

पेज 1 का बाकी

दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि वे मामले की जांच कर साक्ष्य जमा कर रहे हैं।

बता दें कि चौधरी ने लोकसभा में मंगलवार को दिल्ली दंगों के मामले को बहुत मुस्तैदी से उठाया और इस मुद्दे पर होली के बाद चर्चा कराए जाने संबंधी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की व्यवस्था का पुरजोर विरोध किया। बाद में संसद परिसर में चौधरी ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा से भाग रही है। इस बीच कांग्रेस ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और कहा है कि दिल्ली पुलिस को त्वरित कार्रवाई करते हुए हमलावरों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए।

लोकपाल : सरकार ने शिकायत दाखिल करने के प्रारूप जारी किए

पेज 1 का बाकी

मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायत करने पर उसके 15 दिनों के अंदर उसकी प्रति जमा करनी होगी। आदेश में कहा गया है, 'अगर शिकायत हर पहलू से पूर्ण होगा तो लोकपाल इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त उक्त शिकायत को लंबित नहीं रखेगा। आदेश के अनुसार शिकायत में जनसेवक के जरिए किए गए किसी भी अपराध के आरोपों का ब्योरा होगा। जनसेवक में प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। आदेश के मुताबिक लोकपाल हिंदी, गुजराती, असमी, मराठी समेत संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 में से किसी भी भाषा में की गई शिकायत पर गौर कर सकता है। आरोप संबंधी विधिवत हस्ताक्षरित बयान के अलावा शिकायतकर्ता के पास निर्धारित प्रारूप में पहचान संबंधी सबूत की प्रति और संगठन के पंजीकरण या इनकॉरपारेशन का प्रमाणपत्र होना चाहिए।

पुलवामा हमले में एनआइए ने पिता-पुत्री को गिरफ्तार किया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 मार्च।

पुलवामा आतंकवादी हमले की जांच में मंगलवार को उस वक्त बड़ी सफलता मिली, जब राष्ट्रीय जांच एजंसी (एनआइए) ने एक व्यक्ति और उसकी बेटी को गिरफ्तार किया, जो कथित रूप से इस हमले की साजिश के चश्मदीद हैं। इस व्यक्ति के घर में पुलवामा के आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार का वीडियो बनाया गया, लेकिन उन लोगों ने इसकी जानकारी छुपाए रखी। इन लोगों के मकान में आतंकी रहे और वहां से अपनी कारगुजारियों को अंजाम देते रहे।

आदिल का अंतिम वीडियो आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान से जैश-ए-मोहम्मद ने जारी किया था। जांच के दौरान एनआइए को जानकारी मिली कि वीडियो दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के हदकीपोरा स्थित एक मकान में बनाया गया है। यह मकान गिरफ्तार किए गए पिता-पुत्री तारिक अहमद शाह और इंशा जान का है।

दोषियों को फांसी की सारी तैयारियां कर ली थीं : तिहाड़ अधिकारी

नई दिल्ली, 3 मार्च (भाषा)।

दिल्ली की तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड के चार दोषियों को फांसी पर लटकाने के लिए सभी जरूरी तैयारियां कर ली थीं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। चारों दोषियों को मंगलवार सुबह फांसी होनी थी, हालांकि सोमवार की शाम शहर की एक अदालत ने अगले आदेश तक फांसी पर रोक लगा दी थी।

सजा को टालते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने कहा कि राष्ट्रपति के समक्ष लंबित दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका के निस्तारण तक फांसी नहीं दी जा सकती। न्यायाधीश ने कहा कि किसी भी दोषी के मन में अपने रचयिता से मिलते समय ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि देश की अदालत ने उसे कानूनी उपायों का इस्तेमाल करने की इजाजत देने में निष्पक्ष रूप से काम नहीं किया।

जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि चारों दोषियों को फांसी की सजा देने का वक्त मंगलवार सुबह छह बजे निर्धारित था, इसके लिए हमने सभी जरूरी इंतजाम कर लिए थे।

देश में छह मामले, आगरा से छह अन्य के नमूने पुणे भेजे

पेज 1 का बाकी

कोरोना वायरस के लक्षण विकसित होने पर नमूने लिए गए। नमूने की जांच में उसमें कोरोना वायरस के लक्षण पाए जाने पर नमूने को पुष्टि के लिए पुणे की राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान भेजा गया है।

सोमवार को राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने बताया था कि जयपुर में एक इतालवी पर्यटक के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। मंत्री ने बताया कि 29 फरवरी को पहले नमूने में पुष्टि नहीं हुई थी लेकिन पर्यटक की स्थिति बिगड़ने के बाद दूसरा नमूना लिया गया और सोमवार को संक्रमण की पुष्टि हुई।

मंत्रालय के मुताबिक आगरा में नमूना परीक्षण के दौरान 'तेज बुखार' के छह मामलों का पता चला जिसके बाद इन लोगों को पृथक वार्ड में रखा गया है। ये सभी छह लोग दिल्ली के उस मरीज के संपर्क में आए थे जिसका मामला सोमवार को सामने आया था। इन लोगों में उसके परिवार के सदस्य भी हैं। इन छह लोगों को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पृथक वार्ड में रखा गया है और उनके नमूने बीमारी के सत्यापन के लिए पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआइवी) में भेजे गए हैं।

मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि साथ ही साथ समेकित निगरानी कार्यक्रम नेटवर्क के माध्यम से यह भी पता लगाया जा रहा है कि इन छह लोगों के संपर्क में कौन-कौन लोग आए हैं। सूत्रों ने बताया कि उसके परिवार के अन्य सदस्यों को चौकन्ना रहने को कहा गया है और संबंधित लक्षण आने पर सूचित करने को कहा गया है। इस व्यक्ति के संपर्क में आए एक लेखाकार व उसके परिवार के कुछ सदस्यों को भी अलग रखा गया है।

नोएडा में कुछ दिनों के लिए दो स्कूल बंद

पेज 1 का बाकी

बताया गया है कि पिछले शुक्रवार को दिल्ली के मयूर विहार में एक बच्चे का जन्मदिवस समारोह बनाया गया था, जिसमें करीब 25 लोग शामिल हुए थे। इसमें नोएडा के दो परिवार के छह लोग शामिल हुए थे। जिनमें तीन बच्चे और तीन बड़े थे। इस समारोह में शामिल कारोबारी को कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। जिसने सभी परिवार वालों को इसकी सूचना दे दी।

स्कूल प्रबंधन के मुताबिक कोरोना वायरस की पुष्टि किसी बच्चे में नहीं हुई है। हालांकि पुष्टि स्कूल के एक बच्चे के परिजन में हुई है। स्कूल की तरफ से सभी अभिभावकों और बच्चों को कोरोना वायरस को लेकर संदेश भेजा जाएगा। वाट्सएप ग्रुप के जरिए भी इसकी पुष्टि की जाएगी कि शहर में कोरोना वायरस को लेकर कोई भ्रामक सूचना ना जारी हो। वहीं, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा की करीब एक हजार कंपनियों को नोटिस जारी कर विदेश यात्रा पर जाने और उसके भारत लौटने की सूचना स्वास्थ्य विभाग को देने का नोटिस जारी किया है। दूसरी ओर ईरान, सिंगापुर, चीन समेत 13 देशों से लौटने वाले लोगों को स्क्रीनिंग का आदेश दिया है। कोरोना वायरस के चलते सभी स्कूलों को बंद करने के निर्देश जारी करने का संदेश वायरल होने पर मंगलवार शाम डीएम बी. एन. सिंह ने प्रेसवार्ता में स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने बताया कि अभी तक किसी बच्चे में कोरोना वायरस की पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही स्कूल बंद करने का भी कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। स्कूल प्रशासन यदि बंद रखना चाहे, तो रख सकते हैं लेकिन उनकी तरफ से ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। संदेह होने पर आम जनता हेल्पलाइन नंबर 8076623612 व 6396776904 पर फोन कर सकते हैं। इलाज के लिए ग्रेटर नोएडा में 10 बिस्तर और सेक्टर-30 स्थित सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय में नौ बिस्तरों का आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं।

पुख्ता नहीं थर्मल स्क्रिनिंग से कोरोना की जांच

पेज 1 का बाकी

वायरस के संक्रमण का नहीं। उन्होंने बताया कि स्क्रिनिंग के दौरान जिन लोगों का तापमान अधिक होता है, उनकी विशेष रूप से जांच की जाती है। मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक इसलिए अब तक जो भी लोग संक्रमित सामने आए हैं, उन्होंने खुद ही अपने संक्रमण के बारे में बताया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सोमवार को बताया था कि दिल्ली और तेलंगाना में मिले कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के सभी संपर्कों को ढूंढ़ा जा रहा है। इसके बाद उनकी जांच की जाएगी। जांच में नेगेटिव पाए जाने पर भी इन लोगों को 14 दिन तक घर में अलग रहने के लिए कहा जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह भी बताया था कि केरल में पाए गए एक संक्रमित व्यक्ति के हमने 162 संपर्कों को ढूंढ़ा था और उन्हें भी निगरानी में रखा गया था।

नोवेल कोरोना वायरस क्या है?

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक नोवेल कोरोना वायरस जानवरों से मनुष्यों में आया है। इससे संक्रमित लोगों को सांस लेने में परेशानी, तेज बुखार, श्वसन तंत्र में संक्रमण आदि होता है। संक्रमण के अधिक बढ़ने पर व्यक्ति को निमोनिया, गंभीर श्वसन संबंधी बीमारी और गुर्दा तक खराब हो सकता है। यह संक्रमण चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ है और अब तक यह वायरस 65 देशों तक पहुंच गया है।

विकास है हमारा मंत्र : मोदी

पेज 1 का बाकी

सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब दिल्ली हिंसा को लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है।

भाजपा संसदीय दल की बैठक के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर परोक्ष निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक पूर्व प्रधानमंत्री को भारत माता की जय बोलने को लेकर 'बू' आती है और वे इसे संदेह से देखते हैं, जो दुखद है। सूत्रों के अनुसार मोदी ने कहा कि भारत माता की जय के नारे को लेकर उसी प्रकार की आपत्ति उठाई जा रही है जिस प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन के समय वंदे मातरम को लेकर उठाई गई थी।

दरअसल कांग्रेस के अधिवेशन में एक वर्ग राष्ट्रगीत वंदे मातरम के दौरान मौजूद रहता था जबकि एक अन्य वर्ग वाकआउट कर जाता था और वंदे मातरम को गुनाह के रूप में देखता था। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के 70 साल बाद भारत माता की जय के उद्घोष को भी गुनाह बताने का प्रयास किया जा रहा है और एक पूर्व प्रधानमंत्री ऐसा कह रहे हैं।

गौरतलब है कि हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह ने एक समारोह में कहा था कि राष्-ट्रवाद और भारत माता की जय के नारे का दुरुपयोग किया जा रहा है। सिंह ने कहा था कि इस नारे का इस्तेमाल कर भारत के बारे में भावनात्मक व उग्र राष्ट्रवाद का विचार पैदा किया जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह देशहित बनाम दल हित की लड़ाई है और पार्टी सांसदों को देश में सौहार्द, शांति व एकता का माहौल बनाने का प्रयास करना चाहिए।

बकौल संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में कहा कि अब भी कुछ दलों द्वारा पार्टी हित को राष्ट्रीय हितों से ऊपर रखा जाता है, लेकिन हमारे लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है।

प्रधानमंत्री ने बैठक में 'सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास' पर जोर देते हुए कहा कि पार्टी नेताओं को देश के विकास कार्य में 'मनसा वाचा कर्मणा' के साथ लगना चाहिए। मोदी ने कहा कि हम सभी को देश को बदनाम और अस्थिर करने के प्रयासों को विफल बनाने की जरूरत है व दल हित से बड़ा देश है ।

उन्होंने कहा कि हमें देश हित की लड़ाई लड़नी है, हमें देशहित को बड़ा रखना है, दल हित को पीछे रखना है। बैठक में प्रधानमंत्री ने जन औषधि केंद्र के फायदों को रेखांकित किया। जहां सबसिडी आधारित दरों पर दवाएं बेची जाती हैं।

उन्होंने कहा कि वे सात मार्च को इसके लाभार्थियों से संवाद करेंगे। बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत, विदेश मंत्री एस जयशंकर और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सहित अन्य मंत्री एवं पार्टी सांसद मौजूद थे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की पुस्तिका भी सांसदों को वितरित की गई।

www.readwhere.com

केंद्र ने कहा, दिल्ली दंगा मामले में 120 से ज्यादा प्राथमिकी दर्ज

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 मार्च।

केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली हिंसा के बाद कानून व व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने और विश्वास बहाली के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं और 120 से अधिक प्राथमिकी दर्ज करने के साथ काफी संख्या में उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है।

लोकसभा में रीता बहुगुणा जोशी व दिनेश चंद्र यादव के प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा– केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 76 कंपनियों समेत पर्याप्त पुलिस बल एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया किया गया। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय शांति समितियों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशनों, सिविल सोसाइटी समूहों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित की गईं।

गृह राज्य मंत्री ने कहा कि 120 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और सैकड़ों उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच अधिकारी सीसीटीवी फुटेज एकत्र कर रहे हैं और लोगों से वीडियो प्राप्त किए जा रहे हैं ताकि दोषियों पर कार्रवाई की जा सके। राय ने कहा कि दंगा प्रभावित क्षेत्रों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई। उन्होंने बताया कि पुलिस बलों ने लोगों में विश्वास बहाल करने के लिए इन क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया है।

उन्होंने कहा कि उन मीडिया मंचों पर गहन निगरानी रखी जा रही है जो अफवाहें व बेबुनियाद खबरें फैला सकते हैं। मंत्री ने कहा कि लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर विश्वास नहीं करने की अपील की गई है।

कोरोना का खौफ : नौसेना ने स्थगित किया 42 देशों के साथ साझा अभ्यास

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 मार्च।

कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में होने वाले 'मिलन 2020' नौसैन्य अभ्यास को स्थगित कर दिया है। इस साझा अभ्यास में दुनिया भर के 43 से ज्यादा देशों की नौसेनाएं हिस्सा लेने वाली थीं। विशाखापत्तनम में 18 से 28 मार्च के बीच यह बड़ा नौ सैन्य अभ्यास होना तय था।

नौसेना की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि कोविड–19 संक्रमण के कारण दुनिया भर में लागू प्रतिबंधों के चलते यह संयुक्त अभ्यास स्थगित किया जा रहा है। भारतीय सेना उन सभी नौसेनाओं का तहे दिल से शुक्रिया करती है, जिसने 'मिलन 2020' में भाग लेने के निमंत्रण को स्वीकार किया।

मिलन युद्धाभ्यास की शुरुआत 1995 में हुई थी। इससे पहले अंडमान–निकोबार में इसे आयोजित किया गया था। इस युद्धाभ्यास में हिंद महासागर क्षेत्र (आइओआर) के देश हिस्सा लेते हैं। अब संयुक्त युद्धाभ्यास के लिए नई तारीखों पर भी विचार किया जा रहा है। कोरोना वायरस का प्रकोप कम होने पर इस युद्धाभ्यास की तैयारियां की जाएंगी।

चुनावी हलफनामा मामले में फडणवीस की याचिका खारिज

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 मार्च।

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चुनावी हलफनामे से जुड़े मामले में झटका देते हुए 2019 के अपने फैसले की समीक्षा करने से इनकार कर दिया। फडणवीस पर 2014 के चुनावी हलफनामे में कथित रूप से अपने खिलाफ लंबित दो आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं देने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 2019 में फडणवीस के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया था, जिसकी समीक्षा के लिए फडणवीस ने याचिका दायर की थी।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन जजों के पीठ ने कहा कि पिछले साल सुनाए गए आदेश की समीक्षा का कोई आधार नहीं है। पीठ ने कहा– याचिकाओं की समीक्षा का कोई आधार नहीं है। इन्हें खारिज किया जाता है। आदेश 18 फरवरी को पारित किया गया था और मंगलवार को इसे शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर डाला गया।

हवाई–अड्डों को कोरोना से निपटने के लिए विशेष निर्देश

नई दिल्ली, 3 मार्च (भाषा)।

देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के मद्देनजर डीजीसीए ने मंगलवार को सभी एअरलाइन और हवाई–अड्डों को चालक दल के सदस्यों और यात्रियों को सर्जिकल मास्क और दस्तानें देने और टर्मिनल पर हाथ धोने के कई स्थान बनाने जैसे विशेष कदम उठाने का आदेश दिया।

विमानन नियामक डीजीसीए ने सभी हवाई अड्डों और एअरलाइनों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि दक्षिण कोरिया, जापान और इटली से आने वाले विमान विसंक्रमण की प्रक्रिया से होकर गुजरें। यह प्रक्रिया दूसरी यात्रा के लिए यात्रियों के उसमें चढ़ने से पहले पूरी की जाए।

मुझे 25 करोड़ में खरीदने की कोशिश : बैजनाथ

भोपाल, 3 मार्च (भाषा)।

मध्य प्रदेश की तीन राज्यसभा सीटों के लिए 26 मार्च को होने वाले चुनाव से पहले सबलगढ़ से कांग्रेस विधायक बैजनाथ कुशवाह ने मंगलवार को दावा किया कि भाजपा ने उन्हें खरीदने के लिए 25 करोड़ रुपए की पेशकश की। कुशवाह का यह बयान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के जरिए भाजपा नेताओं शिवराज सिंह चौहान व नरोत्तम मिश्र पर कमलनाथ के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश की कांग्रेस नीत सरकार को गिराने के लिए पार्टी विधायकों को 25 से 35 करोड़ रुपए की पेशकश करने का आरोप लगाने के एक दिन बाद आया है।

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 सीआरपीसी

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **मो. साबिर खान**, पुत्र मो. समशुल, पता– मकान नं. ए–91, चौथा मंजिल, दुग्गल कॉलोनी, खानपुर, नई दिल्ली ने **एफ आई आर नं 1108/14 दनांक 30/11/2014 धारा 27 दिल्ली चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1997, पुलिस थाना नेब सराय, दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है की उसने किया है) और उस पर जारी किये गए गिरफ्तारी के वारंट को यह कह कर लौटा दिया गया है कि उक्त **मो. साबिर खान** मिल नहीं रहा और मुझे समाधानप्रद रूप से दर्शित कर दिया गया है की उक्त अभियुक्त **मो. साबिर खान** फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)। इस लिए इस के द्वारा उद्घोषणा कि जाती है दिल्ली के उक्त अभियुक्त **मो. साबिर खान, एफ आई आर नं 1108/14 दनांक 30/11/2014 धारा 27 दिल्ली चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1997, पुलिस थाना नेब सराय, दिल्ली** न्यायालय के समक्ष या मेरे समक्ष उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **25/04/2020** को या उससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
श्री अनुज कुमार सिंह,
एमएम साउथ, साकेत कोर्ट कॉम्प्लेक्स,
कमरा नं 212
नई दिल्ली

DP/14/SD/2020

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

सर्किल कार्यालय : उत्तरी, शाखा कार्यालय : एआरएमबी, मयूर विहार फेज–II, पॉकेट इ, कामर्शियल शॉपिंग काम्पलेक्स, नई दिल्ली–110091
ई–मेल : bo8075@pnb.co.in | दूरभाष : 011–22779758.22785289

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन नियम) 2002 का नियम 8(1)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की वित्तीय अस्तियों एवं प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में पंजाब नैशनल बैंक का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते नीचे उल्लिखित कर्जदारों/बंधककर्ताओं/जमानतियों को प्रत्येक खाते के सम्मुख उल्लिखित तिथि पर नीचे वर्णित राशि का कथित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए माँग सूचना जारी की थी।
नीचे वर्णित कर्जदारों के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदारों/बंधककर्ताओं/जमानतियों को तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में नीचे तालिका में उल्लिखित तिथियों पर नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर कब्जा कर लिया है।
प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय–सीमा के विषय में कर्जदारों/जमानतियों/गिरवीकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है। विशेष रूप से कर्जदारों एवं जमानतियों तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्तियों से किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार भावी ब्याज एवं अन्य प्रभारों/व्ययों सहित नीचे उल्लिखित राशि के लिए पंजाब नैशनल बैंक के प्रभार का विषय होगा। यदि कर्जदार/जमानती प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर बकाया अदा नहीं करते हैं तो बकायों की वसूली के लिए निर्धारित के अनुसार सम्पत्ति की बिक्री की जायेगी।

क्र. सं.	कर्जदार/बंधककर्ता, जमानती का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	माँग सूचना की तिथि तथा बकाया राशि [धारा 13(2) के तहत सूचना में उल्लिखित के अनुसार]	सांकेतिक कब्जे की तिथि
1.	मैसर्स महारानी मोल्डिंग, श्रीमती रेखा चौहान (मृत), इसके विधिक उत्तराधिकारी श्री संजय चौहान पुत्र श्री शिव राम सिंह के माध्यम से, श्री लक्ष्य चौहान (श्रीमती रेखा चौहान के नाबालिग पुत्र) विधिक संरक्षक श्री संजय चौहान के माध्यम से, श्री दक्ष्य चौहान (श्रीमती रेखा चौहान के नाबालिग पुत्र) विधिक संरक्षक श्री संजय चौहान के माध्यम से एवं जमानती श्री संजय चौहान पुत्र श्री शिव राम सिंह एवं श्री ऋषि राणा पुत्र श्री शिव राम सिंह।	खसरा नं. 578/1, 2 मिन, ग्राम जटवाड़ा कला, नेहरू नगर, गाजियाबाद, उ.प्र. में स्थित सम्पत्ति का इक्विटेबल बंधक। क्षेत्रफल 265.00 वर्ग गज, श्री ऋषि राणा पुत्र शिव राम सिंह के नाम से। इकाई सं. 04, भूतल, टॉवर–ए, प्रतीक फेडोरा, प्लाट सं. ई–11, सेक्टर–61, नोएडा, उ.प्र. पर स्थित सम्पत्ति का इक्विटेबल बंधक, माप क्षेत्रफल 194.53 वर्ग मीटर, श्रीमती रेखा चौहान पत्नी श्री संजय चौहान के नाम पर।	17–10–2019 Rs. 1,27,20,304.56 (रुपये एक करोड़ सत्ताईस लाख बीस हजार तीन सौ चार एवं छप्पन पैसे मात्र) एवं 01.01.2018 से पूर्ण भुगतान की तिथि तक भावी ब्याज एवं अन्य व्यय।	02–03–2020

दिनांक : 03.03.2020 स्थान : दिल्ली,
ह./– अधिकृत प्राधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

India's International Bank
असालतपुर शाखा, फारुख नगर, गाजियाबाद, यू.पी. फोन: 0120-2682223 ईमेल : trdasa@bankofbaroda.com

नियम–8 कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन **बैंक ऑफ़ बड़ौदा**, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित **कर्जदारों** को **निम्नांकित दिनांको को मांग नोटिस जारी किया था** जिसमें उल्लेखित **राशि प्रत्येक खाते के आगे वर्णित है** उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था।
कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार और गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमो के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **सम्पत्ति का कब्जा नीचे प्रत्येक खाते के सामने अंकित** के अनुसार लिया है।
विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **बैंक ऑफ़ बड़ौदा, के प्रभार वास्ते निम्नलिखित राशि और अनापेक्षित ब्याज लागत और चुकौती की तिथि तक संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्चे, लागत, प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।**
उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

चल/अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं.	कर्जदार/गारंटरों के नाम	सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना की तारीख / कब्जा सूचना की तारीख	बकाया राशि (रू. में)
1	श्री करम इलाही पुत्र इस्लामुद्दीन	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पत्ति क्षेत्रफल 75 वर्ग गज, खसरा नं. 323 मी, असालतपुर, तहसील – लोनी, गाजियाबाद, यू.पी में स्थित, चौहद्दी : पूरब में – श्री हाजी मकसूद की सम्पत्ति, पश्चिम में – 12फीट रास्ता, उत्तर में – श्री सलीम का प्लॉट, दक्षिण में – श्री मुन्ना का प्लॉट	05-12-2019 / 27-02-2020	₹ 4,81,378/- दिनांक 13.05.2019 से भविष्य का ब्याज प्लस अनापेक्षित ब्याज
2	श्री करम इलाही पुत्र इस्लामुद्दीन और श्री अब्दुल रहीम पुत्र इस्लामुद्दीन	1. सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पत्ति क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, खसरा नं. 324, असालतपुर, तहसील – लोनी, गाजियाबाद, यू.पी में स्थित, यह सम्पत्ति **श्री करम इलाही पुत्र इस्लामुद्दीन के नाम पर है। चौहद्दी : पूरब में – श्री** हाजी रफीक की सम्पत्ति, पश्चिम में – श्री करम इलाही की सम्पत्ति, उत्तर में – अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण में – 15फीट रास्ता 2. सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पत्ति क्षेत्रफल 17 वर्ग गज, खसरा नं. 324, असालतपुर, तहसील – लोनी, गाजियाबाद, यू.पी में स्थित, यह सम्पत्ति श्री करम इलाही पुत्र इस्लामुद्दीन के नाम पर है। चौहद्दी : पूरब में – श्री करम इलाही की अन्य सम्पत्ति, पश्चिम में – श्री अब्दुल रहीम की सम्पत्ति, उत्तर में – अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण में – 15फीट रास्ता 3. सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पत्ति क्षेत्रफल 83 वर्ग गज, खसरा नं. 324, असालतपुर, तहसील – लोनी, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित, यह सम्पत्ति श्री अब्दुल रहीम पुत्र इस्लामुद्दीन के नाम पर है। चौहद्दी : पूरब में – श्री करम इलाही का प्लॉट, पश्चिम में – गुलजार का प्लॉट, उत्तर में – अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण में – 15फीट रास्ता	05-12-2019 / 27-02-2020	₹ 4,99,844.50 दिनांक 30-06-2019 से भविष्य का ब्याज प्लस अनापेक्षित ब्याज

दिनांक : 27.02.2020, स्थान : असालतपुर
प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

कार्पोरेशन बैंक

सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक
अंचल कार्यालय: दिल्ली उत्तर, द्वितीय तल, फैज रोड–1, नई दिल्ली–110005,
फोन : 011-28754615, 28754642, ईमेल : dlirec@corpbank.co.in, वेबसाईट : www.corpbank.com

शुद्धिपत्र

दिनांक 29.02.2020 को दिल्ली संस्करण में इस समाचार पत्र में छपे विज्ञापन मेगा ई–नीलामी बिक्री सूचना के संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक शाखा गाजियाबाद वसुंधरा शाखा के खाते के कर्जदार : श्री मेहराजुद्दीन की सम्पत्ति जिसकी ई–नीलामी दिनांक **30-03-2020** को होनी है, के मामले में संशोधित बकाया राशि रु. 20,41,934.34 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि और (मैसर्स सेहनाज कलेक्शन) में संशोधित बकाया राशि रु. 4,06,409.82 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि सहित पढ़ा जाए। अन्य सभी खातों / विवरण उपरोक्तानुसार अखबार में छपे ई–नीलामी सूचना के अनुसार रहेंगी।

प्राधिकृत अधिकारी, कार्पोरेशन बैंक

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

शाखा : मानेसर, कासना रोड,
मानेसर जिला, गुरुग्राम, हरियाणा–122050

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) [अधिनियम के तहत परिशिष्ट IV–नियम 8(1)]

जबकि, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम 54) के प्रवर्तन के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में सिंडीकेट बैंक (शाखा : मानेसर, कासना रोड, मानेसर जिला, गुरुग्राम, हरियाणा–122050) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने कर्जदार(रों) : श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह एवं श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री गनपत सिंह एवं जमानती(यों) श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र श्री राम प्रकाश शर्मा को सूचना में लिखित राशि रु. 28,74,632.46 (रुपये अट्ठाईस लाख चौहत्तर हजार छः सौ बत्तीस एवं छियालीस पैसे मात्र) का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए दिनांक 04.11.2019 को एक माँग सूचना निर्गत की थी।
ऋणकर्ता(ओं)/जमानती(यों) द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण ऋणकर्ता(ओं)/जमानती(यों) तथा जनसामान्य को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर 27 फरवरी, 2020 को कब्जा कर लिया है।
व्यक्तिगत रूप से कर्जदार(रों)/जमानती(यों) और जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन–देन नीचे रु. 28,74,632.46 (रुपये अट्ठाईस लाख चौहत्तर हजार छः सौ बत्तीस एवं छियालीस पैसे मात्र) तथा 01.11.2019 से उस पर भावी लागत, ब्याज आदि के लिए सिंडीकेट बैंक (शाखा : मानेसर, कासना रोड, मानेसर जिला, गुरुग्राम, हरियाणा–122050) के अभियोग का विषय होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

वाणिज्यिक सम्पत्ति इकाई सं. एसएफ 07, द्वितीय तल, वी स्क्वेयर मॉल, निकट रॉयल एवियन हाउसिंग सोसाइटी, अलवर बाईपास रोड, ग्राम सैदपुर के निकट, तहसील–तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान। स्वामिनी : श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री राजिन्दर सिंह। **सीमाएँ** : उत्तर : इकाई सं. एसएफ–06, दक्षिण : इकाई सं. एसएफ–08, पूर्व : खुला आसमान, पश्चिम : सार्वजनिक गलियारा।

तिथि : 04.03.2020 स्थान : अलवर
अधिकृत प्राधिकारी, सिण्डीकेट बैंक

Punjab & Sind Bank

(A Govt. of India Undertaking)
Where service is a way of life
बी–136, प्रीत विहार दिल्ली–110092
फोन कार्यालय: 011–22520506
ई–मेल: do878@psb.co.in

[नियम 8 (1)] कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजाब एंड सिंध बैंक, प्रीत विहार शाखा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 5.12.2019 जारी कर 1) मै. भाव्या क्रिएटर्स (पी) लि. द्वारा उसके निदेशक श्री अम्बरीश तिवारी (ऋणधारक), 2) श्री अंशुमन तिवारी, 3)श्री अम्बरीश तिवारी, 4) श्री गोल्डमैन डेवलपर्स (पी.) लि. द्वारा उसके निदेशक श्री अम्बरीश तिवारी, 7, मै.तिवारी ब्रदर्स एवं 8) श्रीमती उर्मिला पाण्डेय (गारन्टरों) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 4,04,13,664 (ओडीपी लिमिट) + रु. 32210558.85 (टीएल–बीजीआई एनवी) रद्द की गई बैंक गारंटी की जगह जिसमें 30.11.2019 तक ब्याज शामिल हैं तथा गारन्टरों/ ऋणधारक की ओर से बैंक गारंटी में स्थित 28553855/– कुल बकाया राशि रु. 101178077.85 (रुपये दस करोड़ हग्यारह लाख अठहत्तर हजार सतहत्तर तथा पैसे पचासी मात्र) 30.11.2019 को तथा उपरोक्त राशि पर अनुबंधित दर पर 1.12.2019 से आगे का ब्याज तथा अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज एवं अन्य खर्चे आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक/ गारंटर्स इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 2 मार्च, 2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित सरफैसी अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 30.11.2019 को रु. 101178077.85 (रुपये दस करोड़ ग्यारह लाख अठहत्तर हजार सतहत्तर एवं पैसे पचासी मात्र) के साथ उक्त राशि पर 1.12.2019 से आगे के ब्याज तथा अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज एवं अन्य खर्चे आदि के लिये पंजाब एंड सिंध बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

गिरवी सम्पत्ति का विवरण

अधोलिखित में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।
क) उसके पत्र सं. आरओसी/ एप्रूवल/ 21/ 5564475/ 1640 तिथि 29.8.2003 के माध्यम से आरओसी रिजॉल्यूशन्स द्वारा मै. भाव्या क्रिएटर्स (पी) लि. में बाद में रूपांतरित मै. भाव्या क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेन्ट (पी) लि. के स्वामित्व में एंजेल मेगा मार्ट, कौशाम्बी, गाजियाबाद के निकट स्थित आवासीय सम्पत्ति सं. ए–162, एरिया माप 167.34 वर्ग मी.। **सम्पत्ति की चौहद्दी:** पूर्वः प्लॉट नं. ए–117, पश्चिमः 12 मी चौड़ा रोड, उत्तरः प्लॉट नं. ए–161, दक्षिणः प्लॉट नं. ए–163, पंजीकृत बिक्री प्रलेख सं. 2363 तिथि 4.1.2003, उप–रजिस्ट्रार–IV, गाजियाबाद के समक्ष।
ख) मै. गोल्डमैन डेवलपर्स (पी) लि. के स्वामित्व में औद्योगिक सम्पत्ति सं. बी–4, साइट II, यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, मोहन नगर, लोनी रोड, साहिबाबाद, गाजियाबाद, एरिया माप 5574.28 वर्ग मी.। **सम्पत्ति की चौहद्दी:** पूर्वः प्लॉट नं. बी–5, पश्चिमः प्लॉट नं. बी–3, उत्तरः 80 फीट रोड, दक्षिणः प्लॉट नं. 22 एवं 23, लीज डीड तिथि 17.3.2007 जो सं. 8120, तिथि 22.3.2017 के माध्यम से सब–रजिस्ट्रार–IV, गाजियाबाद के पास पंजीकृत है।

स्थानः गाजियाबाद, तिथिः 2.3.2020
प्राधिकृत अधिकारी

एबीएम इन्टरनेशनल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 10/60, इंडस्ट्रियल एरिया, कीर्ति नगर, नई दिल्ली– 110015
फोनः 25927878, 25927699, 41426055,
Web Site: www.abmintl.in
E mail: vkgandhi@abmintl.in
CIN No. L51909DL1983PLC015585

पोस्टल बैलॅट परिणामों की घोषणा की सूचना

कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 22 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के अनुपालन में सेबी (इक्विटी शेयरों का असूचीकरण) विनियमन, 2009 के लागू होने वाले विनियमनों तथा उसके परवर्ती संशोधनों के अनुसार पोस्टल बैलॅट प्रपत्रों/ ई–वोटिंग द्वारा कम्पनी के सदस्यों की स्वीकृति मांगी गई थी। कम्पनी ने पोस्टल बैलॅट सूचना तिथि 24 जनवरी, 2020 में प्रस्तावित विशेष प्रस्ताव पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान करने में उन्हें सक्षम बनाने के लिये सदस्यों को ई–वोटिंग सुविधा अथवा पोस्टल बैलॅट प्रपत्र की सुविधा उपलब्ध कराई थी।
पोस्टल बैलॅट का संचालन करने के लिये निदेशक मंडल ने श्री मोहित मेहता, कार्यरत कम्पनी सचिव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। पर्यवेक्षक ने उसकी प्राप्ति की अंतिम तिथि अर्थात 1 मार्च, 2020 के 5.00 बजे अप. तक प्राप्त की गई पोस्टल बैलॅट प्रपत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक मतों की जांच की तथा 2 मार्च, 2020 को अध्यक्ष के पास अपना रिपोर्ट जमा किया।
पर्यवेक्षक के रिपोर्ट तिथि 2 मार्च, 2020 के आधार पर अध्यक्ष ने पोस्टल बैलॅट परिणामों की घोषणा की जो इस प्रकार हैः

प्रस्तावों का विवरण	समेकित (ई–वोटिंग तथा प्रपत्रों द्वारा मतदान) पोस्टल बैलॅट				
	किये गये मतों की संख्या	पक्ष में मतों की संख्या	विरोध में मतों की संख्या	पक्ष में मतों का %	विरोध में मतों का %
सेबी (इक्विटी शेयरों का असूचीकरण) विनियमन, 2009 के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से कम्पनी की इक्विटी शेयरों का असूचीकरण	2334096	2330471	3625	99.85	0.15

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का असूचीकरण) विनियमन, 2009, समय– समय पर यथा-संशोधित के विनियमन 8 (1) (बी) के प्रावधानों के अनुसार मतों का विवरणः

विवरण	पोस्टल बैलॅट प्रपत्रों की सं.	रु. 10/– प्रति की नॉमिनल मूल्य के इक्विटी शेयरों की सं. (मतों)	मतों का %
प्राप्त कुल वैध पोस्टल बैलॅट्स तथा ई–वोट्स	61	2334096	100
घटाकरः प्रत्येक शेयरधारिता	–	–	–
पोस्टल बैलॅट तथा ई–वोटिंग द्वारा सार्वजनिक शेयरधारिता	61	2334096	100
सार्वजनिक शेयरधारिता में से प्रस्ताव पर सहमति	59	2330471	99.85
सार्वजनिक शेयरधारिता में से प्रस्ताव पर असहमति	2	3625	0.15

पर्यवेक्षक के उक्त रिपोर्ट के आधार पर पोस्टल बैलॅट सूचना तिथि 24 जनवरी, 2020 में निर्दिष्ट प्रस्तावों को सदस्यों द्वारा वांछित बहुमत से स्वीकृत कर दिया गया है।

बोर्ड के आदेश से
एबीएम इन्टरनेशनल लिमिटेड के लिये
हस्ता./–
(वीरेन्दर कुमार गांधी)
प्रबंध निदेशक
DIN: 00244762

तिथिः 3.3.2020
स्थानः नई दिल्ली

SBI

एनीटाइम चैनल्स विभाग, एयर इंडिया बिल्डिंग, कॉरपोरेट सेन्टर, नरीमन पॉइन्ट, मुंबई - 400 021.

शुद्धिपत्र

कृपया टोटल आउटसोर्स्ड मॉडल (टीओएम) फेस XIV (वर्ष 2020) के अंतर्गत 6,000 एटीएम्स संस्थापित करने के लिए आरएफपी सं. SBI/AC/2019-20/006 दिनांक 07.02.2020 देखें. 10,000 एटीएम्स संस्थापित करने के लिए संशोधित आरएफपी जारी की जाएगी. अतः बोलीकर्ताओं के साथ 05.03.2020 को दोपहर 3.00 बजे से शाम 5.00 बजे को निर्धारित की गई बोली-पूर्व बैठक को स्थगित किया गया है. इसके तथा आरएफपी के बारे में आगामी सूचना को यथा समय प्रकाशित किया जाएगा.

स्थान: मुंबई
दिनांक: 04/03/2020
हस्ताक्षर
उप महाप्रबंधक
(एटीएम–आई एंड एल)

Shivalik Mercantile Co-operative Bank Ltd.

Regd. Office: 13/1207, Ansari Road, Saharanpur – 247001, (U.P.)

NOTICE

Notice is hereby given that a Special General Meeting of the members of **Shivalik Mercantile Co-operative Bank Limited** will be held on **Sunday, 15th March, 2020 at 11:00 am at Hotel Royal Residency, Ambala Road, Saharanpur - 247001, Uttar Pradesh,** to transact the following business:

1. To confirm quorum of the meeting.
2. To grant leave of absence to members of the Bank other than those whose names appear in the attendance register of this Special General Meeting.
3. To consider and approve amendment in Byelaws of the Bank by inserting new clause for "Allotment, Transfer and Redemption of shares at face value"
4. To consider and approve amendment in Byelaws of the Bank by inserting new clause for constitution of Board of Management (BoM).
5. To Consider and approve transfer of Contingency Reserve to Bad and Doubtful Debt Reserve.
6. To consider and approve the delegation of authority for doing all things necessary for execution of the voluntary transition of Shivalik Mercantile Co-operative Bank to a Small Finance Bank in line with the terms of the in-principle approval from the RBI including, but not limited to the signing and execution of a slump sale agreement for transfer of assets and liabilities between the two entities.
7. To consider and approve transfer of shareholders of the Bank to Public Limited Banking Company 'Shivalik Small Finance Bank Limited', proposed to be incorporated under Companies Act, 2013.
8. To consider and approve ratification of shares forfeited by the bank as per approval of General Body of the Bank in its meeting held on 15th September, 2019.

Regd. Office: 13/1207, Ansari Road, Saharanpur – 247001, UP
Date: 15th February, 2020
By Order of the Board of Directors
(Suveer Kumar Gupta)
MD & CEO

इण्डियन ओवरसीज बैंक (रजौरी गार्डन शाखा)

एफ–105, बाली नगर, नई दिल्ली–110015, फोनः 011–25432494

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत बैंक के पास गिरवी रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री।

जैसा कि यहां नीचे वर्णित विवरणों के अनुसार बैंक के बकाए तथा ब्याज की वसूली के लिए "जैसा है जहां है" तथा "जो भी वहां है आधार" पर उसकी बिक्री करने के अधिकार के साथ प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी सूचना के अनुपालन में इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने निम्नलिखित सम्पत्तियों का कब्जा कर लिया है तथा जैसा कि बकाए के भुगतान में विफलता के बाद उक्त नियमावली की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी उक्त सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा बैंक के बकाए की वसूली का प्रस्ताव करते हैं। अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह बिक्री वेब पोर्टल http://auctions.magicbricks.com पर उपलब्ध ई–नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से की जाएगी।

ऋणधारक का नाम एवं पता	मै. इन्टरनेशनल क्वॉयल लिमिटेड पंजी. कार्यालयः ए–21/24, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–II, नई दिल्ली–110028, कॉर्पोरेट कार्यालयः 7वाँ तल, बिल्डिंग 9बी, सायबर सिटी, डीएलएफ फेज 3, गुड़गाँव, हरियाणा–122002
मॉर्टगैजर/गारंटरों का नाम एवं पता	1. मै. यूनीऐरे प्रा.लि. (मार्टगैजर/कॉर्पोरेट गारन्टर) नं. 21/24, ब्लॉक–ए, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–II नई दिल्ली–110028 2. मै. शुरकुट हीट ट्रान्सफर प्रा.लि. (मार्टगैजर/कार्पोरेट गारन्टर) नं. जे–9/55सी, रजौरी गार्डन, नई दिल्ली–110027 3. श्री जगत सिंह (पर्सनल गारंटर/मार्टगैजर) विला नं. 17, तत्वम विला, जेड ब्लॉक, सोहना रोड, गुड़गाँव–122004 4. श्री अमरदीप सिंह (पर्सनल गारन्टर/मार्टगैजर, विला नं. 18, तत्वम विला, जेड ब्लॉक, सोहना रोड, गुड़गाँव–122004 5. श्री परमजीत सिंह (पर्सनल गारन्टर) विला नं. 26, तत्वम विला, जेड ब्लॉक, सोहना रोड, गुड़गाँव–122004 6. श्री सूचा सिंह (पर्सनल गारन्टर) विला नं. 26, तत्वम विला, जेड ब्लॉक, सोहना रोड, गुड़गाँव–122004 7. मै. क्वॉयल कम्पनी लि. (कॉर्पोरेट गारन्टर) नं. 21/24, ब्लॉक–ए, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–II, नई दिल्ली–110028
अचल सम्पत्ति का विवरण	उसके एसोसिएट कम्पनी मै. यूनिऐरे प्रा.लि. के नाम में ए–21/24, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली में भूमि एवं भवन, एरिया 575.00 वर्ग यार्ड्स का इक्विटैबल मार्टगैज (सम्पत्ति बैंक के सांकेतिक कब्जे में है)
आरक्षित मूल्य	रु. 975.20 लाख (आईटी अधिनियम की धारा 1941ए के अनुसार 1% टीडीएस आरक्षित मूल्य में शामिल है।
नीलामी की तिथि एवं समय	19.3.2020 को 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. तक बिक्री की पूर्णता तक पांच मिनट के असीमित विस्तार के साथ।
ईएमडी	रु. 97.52 लाख
बोली गुणक	रु. 1.00 लाख
स्वतः विस्तार समय	5 मिनट
ज्ञात अधिभार यदि कोई हो	कोई नहीं
निरीक्षण तिथि एवं समय	बैंक की पूर्व अनुमति के साथ व्यावसायिक अवधि के दौरान
धरोहर राशि जमा करने की आरंभिक तिथि	4.3.2020 से
ईएमडी के साथ बोली के लिये आन लाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	18.3.2020 (5.00 बजे अप. तक)

* बैंक के बकाए को अन्य सांविधिक बकाए पर वरीयता दी जाएगी।
* इस सूचना को ऋणधारक/ गारन्टरों/ मार्टगेजरों के लिए प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली–2002 के नियम–8 (6) के अंतर्गत 15 दिनों की सूचना मानी जाए।
नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया देखेंः https://www.iob.in/e-Auctions.aspx
https://www.publishtenders.gov.in, https://auctions.magicbricks.com
सम्पत्ति के निरीक्षण/ ई–नीलामी से सबंधित विस्तृत विवरणों के लिये इच्छुक बोलीदाता शाखा प्रबंधक, इंडियन ओवरसीज बैंक, रजौरी गार्डन शाखा, एफ–105, बाली नगर, नई दिल्ली–110015 से कार्यालय अवधि के दौरान सम्पर्क करें अथवा श्री क्रिस्टुबराज एम (मुख्य प्रबंधक) मो. नं. 9884036103; श्री राजेन्द्र कुमार मोरवालः 9818344514, 011–25105131 अथवा बैंक के स्वीकृत सेवा प्रदाता मै. मैजिकब्रिक्स रिअलिटी सर्विसेस लि., नीलामी हेल्पलाइन नं. 9212346000, श्री मोहित शर्माः 9837778407, नीलामी हेल्पलाइन ईमेलः auction@magicbricks.com तथा mohit.sharma5@magicbricks.com से सम्पर्क करें।

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 3.3.2020
प्राधिकृत अधिकारी
इंडियन ओवरसीज बैंक

www.readwhere.com

वोडाफोन आइडिया ने 3,043 करोड़ का स्पेक्ट्रम बकाया चुकाया

नई दिल्ली, 3 मार्च (भाषा)।

संकट में फंसी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने दूरसंचार विभाग को 3,043 करोड़ रुपए के विलंबित स्पेक्ट्रम बकाया का भुगतान किया है। भारती एयरटेल ने दूरसंचार विभाग को स्पेक्ट्रम की किस्तों के बकाए का 1,950 करोड़ रुपए चुकाए हैं। रिलायंस जियो ने भी 1,053 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

आकांक्षी जिलों के विकास पर ध्यान देने की जरूरत : नीति आयोग

नई दिल्ली, 3 मार्च (भाषा)।

नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमिताभ कांत ने मंगलवार को कहा कि 115 आकांक्षी जिलों के विकास के लिए सरकार और केंद्रीय लोक उपक्रमों को साथ मिलकर मिशन के रूप में काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र देश को पीछे रखे हुए हैं। जब तक सरकार इन जिलों के विकास के लिए काम नहीं करती, निजी क्षेत्र इनमें निवेश नहीं करेगा। इसका मुख्य कारण इन जिलों का भौगोलिक रूप से कठिन क्षेत्रों में स्थित होना है।

कांत ने यहां एक कार्यक्रम में कहा- कुल 115 जिले देश को पीछे रखे हुए हैं। इन जिलों के पिछड़ेपन का कारण इनका पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम नहीं करना है और भौगोलिक रूप से दुर्गम इलाकों में स्थित होना है। उन्होंने कहा- जब तक सरकार और सीपीएसई इन जिलों के विकास के लिए साथ मिलकर काम नहीं करते, निजी क्षेत्र की यहां कुछ भी करने में दिलचस्पी नहीं होगी। नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि जब तक सरकार और सीपीएसई इन जिलों को गरीबी से उबारने के लिए 'मिशन' के रूप में काम नहीं करते, देश में वृद्धि, प्रगति और समृद्धि मुश्किल होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जनवरी 2018 को आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) शुरू किया था। इसका मकसद अहम सामाजिक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पीछे रह गए देश के 115 जिलों में तेजी से बदलाव लाते हुए इन्हें विकास के रास्ते पर लाना है। पश्चिम बंगाल के तीन पिछड़े जिले कार्यक्रम में शामिल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि देश के सतत और समावेशी विकास के लिये इन जिलों को विकास के रास्ते पर लाना जरूरी है। उन्होंने कहा- हम चाहते हैं कि कंपनी सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत आने वाले कोष का उपयोग इन जिलों के विकास में किया जाए।

शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला थमा, सूचकांक 480 अंक चढ़ा

मुंबई, 3 मार्च (भाषा)।

वैश्विक बाजारों के सकारात्मक रुख के बीच शेयर बाजारों में मंगलवार को सात दिन से जारी गिरावट थम गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने भरोसा दिलाया है कि वह कोरोना वायरस के आर्थिक प्रभाव को थामने के लिए नीतिगत उपाय करेगा। इससे शेयर बाजारों में गिरावट थम गई।

बेहद उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सूचकांक 479.68 अंक की बढ़त के साथ 38,623.70 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 170.55 अंक की बढ़त के साथ 11,303.30 अंक पर पहुंच गया।

सूचकांक की कंपनियों में सनफार्मा का शेयर 6.64 फीसद चढ़ गया। सरकार ने स्थानीय स्तर पर आपूर्ति बेहतर करने के लिए 26 तरह की दवा सामग्रियों और औषधियों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। टाटा स्टील, ओएनजीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, एनटीपीसी, पावरग्रिड, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचसीएल टेक के शेयर भी लाभ में रहे। वहीं आइटीसी और एचडीएफसी बैंक के शेयर में गिरावट आई। रिजर्व बैंक ने दिन में कहा कि वह वैश्विक के अलावा जानलेवा कोरोना वायरस की वजह से बनी घरेलू स्थिति पर नजर रखे हुए है और वित्तीय बाजारों में सुगमता से कामकाज सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाने को तैयार है।

जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा- केंद्रीय बैंक के अधिकारियों ने वैश्विक स्तर पर वायरस के आर्थिक प्रभावों से निपटने को नीतिगत उपायों की घोषणा की है। इससे बाजार का रुख सकारात्मक बना रहा। धातु और फार्मा कंपनियों के शेयरों में अच्छी तेजी देखी गई। मजबूत डॉलर की वजह से आईटी शेयर भी लाभ में रहे। दुनिया भर के देश वायरस को लेकर ऐहतियाती कदम उठा रहे हैं। इससे दीर्घावधि में वायरस के आर्थिक प्रभाव की आशंका कम हुई है।

सरकार ने कुछ जरूरी दवाओं के निर्यात पर लगाया प्रतिबंध

नई दिल्ली, 3 मार्च (भाषा)।

चीन से शुरू हुए कोरोना वायरस का असर अब देश के दवा उद्योग में दिखना शुरू हो गया है। सरकार ने 26 तरह की दवा सामग्री और पैरासेटामोल, विटामिन बी1 और बी12 सहित कुछ दवाओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

सरकार के इस कदम के बाद अब कुछ सक्रिय औषधि सामग्री (एपीआइ) और फार्मुलेशंस के निर्यात के लिये वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) से लाइसेंस लेने की जरूरत होगी। अब तक इन दवा सामग्रियों के निर्यात पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं था। डीजीएफटी ने एक अधिसूचना में कहा कि एपीआइ से तैयार कुछ खास तरह के एपीआइ और फार्मुलेशंस का निर्यात तुरंत प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। यह प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेगी। एपीआइ विभिन्न प्रकार की दवाओं के निर्माण में कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।

सरकार की तरफ से की गई यह घोषणा कोरोना वायरस के दुनिया के कई देशों में फैलने के बाद उपजी चिंता को देखते हुए काफी अहम है। भारत हालांकि, एपीआइ का भारी मात्रा में चीन से आयात करता है लेकिन सीमित मात्रा में यह इसका निर्यात भी करता है। पिछले साल देश से 22.50 करोड़ डालर का एपीआइ का निर्यात किया गया।

NOTICE FOR SALE OF ASSETS
S3 ELECTRICALS & ELECTRONICS PRIVATE LIMITED (IN LIQUIDATION)
(A company under liquidation process vide Hon'ble NCLT order dated 26th November, 2019)
Office of the company: 101, Jagdamba Apartment, Sec-13, Rohini, Delhi -110085
Production Unit: B-62, Sector-83, Phase -II, Distt -Gautambudh Nagar, Noida, UP - 201305
Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016
Last Date to apply and submission of Documents: 16th March, 2020
Date and Time of E-Auction: 19th March, 2020, 10.30 am to 4.30 pm
(With unlimited extension of 5 minutes each)
Sale of Assets owned by S3 Electricals & Electronics Private Limited (In Liquidation) forming part of Liquidation Estate by the Liquidator, appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal Delhi.
The sale will be done by the undersigned through the e-auction platform
https://www.eauctions.co.in
Basic Description of Assets and Inventories for sale:

Asset/Category	Description of Assets	Reserve Price (INR)/EMD
Machinery, Equipment and Inventory	**Machinery :** Control Panel for heating and cooling machine, Cable bunching machine, Preheater, Injection moulding machine, PVC wire stripping machine, Testing machine, Wire tapping and twisting machine, Plastic moulding machine, Extruder with cooling tank, Digital high voltage tester, Tools Various Tip & Die, DG Set, Control Panel, Air Conditioner, Office Equipments etc **Inventories :** Moulding Granule, Thick diameter cable, Raw wire (steel, copper, aluminum), USB points, silicon sprays, socket plastic covers, HDMI points plastic and cardboard packing etc	Reserve Price : Rs.58.50 lac (in aggregate) EMD : Rs. 5.6 lac

The terms and conditions of E-Auction and other details of assets are uploaded at the website i.e. http://www.eauctions.co.in
Any serious and interested buyer can check out and submit a bid for the same.
Contact person on behalf of E-Auction Agency (Linkstar): Mr. Dixit Prajapati Email id- admin@eauctions.co.in, Mobile No.: +91 7874138237
Contact person on behalf of Liquidator : CA. Pooja Garg
Email id.- cagargpooja@gmail.com Mobile. No.: +91 9811991533

Sd/-
Pooja Garg, Liquidator
Date: 03rd March, 2020
Place: Delhi
IBBI Reg. No: IBBI/IPA-001/IP-P01355/2018-19/12100
Regd. Address: IIIrd Floor, 25/4, East Patel Nagar, Delhi-110008

टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड
TATA सम्पर्क का पताः 7वाँ तल, विडियोकॉन टावर, झण्डेवालान एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110055, भारत

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 ("नियमावली") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13 (2) के अंतर्गत

सेवा में
1. विजय मिश्रा, एच.नं. बी-33, सेक-33, नोएडा-201301
2. प्रेम चन्द मिश्रा, एच.नं. बी-33, सेक-33, नोएडा-201301
3. श्रीमती दीपा मिश्रा, एच.नं. बी-33, सेक-33, नोएडा-201301
4. मै. महालक्ष्मी ट्रेडर्स द्वारा उसके प्रॉप. विजय मिश्रा, एच.नं. बी-33, सेक-33, नोएडा-201301

प्रिय महोदय/ महोदया,

03.08.2018 को टीसीएफएसएल द्वारा आपको स्वीकृत होम इक्विटी (एलएपी) ऋण के अंतर्गत आगे के ब्याज के साथ 28 फरवरी 2020 को टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. (यहां के बाद टीसीएफएसएल वर्णित) के लिये ऋण खाता सं.21055398 में रु. 8706002.79 (रुपये सत्तासी लाख छः हजार दो एवं पैसे उन्यासी मात्र) की राशि बकाया हो गया है। हमारी बार-बार की गई मांगों के बावजूद आपने अपनी खाता में बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है जिसे टीसीएफएसएल के बकाये के पुनर्भुगतान में आपकी चूक के कारण भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार 3 जनवरी, 2020 को एनपीए खाता के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. के प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैंने उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना तिथि 28 फरवरी, 2020 जारी कर आपको सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर आगे के ब्याज एवं लागतों के साथ रु. 87,06,002.79 (रुपये सत्तासी लाख छः हजार दो एवं पैसे उन्यासी मात्र) की उक्त ऋण राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जिसमें विफल होने पर टीसीएफएसएल नीचे वर्णित संपत्ति पर टीसीएफएसएल के पक्ष में आपके द्वारा निर्मित प्रतिभूति हित के प्रवर्त्तन सहित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत वर्णित किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा।

संपत्ति की अनुसूची

प्लॉट नं. 33, ब्लॉक-बी सेक्टर-33, नोएडा जिला गौतम बुध नगर, एरिया माप 112.5 वर्ग मी.जिसका कवर्ड एरिया 70.8 वर्ग मी. है, नोएडा, उत्तर प्रदेश- 201301 में स्थित अंतरण सह बिक्री प्रलेख तिथि 16 जून, 2003 के अनुसार में प्रेम चन्द्र मिश्रा के नाम में। **चौहद्दी**: उत्तरः प्लॉट नं. बी-44, सेक्टर 33, दक्षिणः 9.0 मी. चौड़ा रोड, पूर्वः प्लॉट नं. बी-32, सेक्टर-33, पश्चिमः प्लॉट नं. बी-34, सेक्टर-33

चूंकि सूचना 28 फरवरी, 2020 आपके उस पते जिसमें आप मूल रूप से निवास/ व्यवसाय/ व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करते हैं, पर भेजी गई जो सर्व नहीं हो सकी अतः हम इस सूचना को प्रकाशित करने के लिए बाध्य हैं। एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत आपको निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना के 60 दिनों के भीतर ऊपर वर्णित अपनी देयताओं को निष्पादित करें, अन्यथा टीसीएफएसएल उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार आप बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से उक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों का अंतरण नहीं करेंगे।

स्थानः नई दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी**
तिथिः 4.3.2020 **टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि.**

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा
[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत]
मै. हिन्ट पब्लिकेशन प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

क्रम सं.	विवरण	विवरण
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	**मै. हिन्ट पब्लिकेशन प्राईवेट लिमिटेड**
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	8 अप्रैल, 1985
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार, कानपुर
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	U22110UP1985PTC007124
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालयः मै. हिन्ट पब्लिकेशन प्राईवेट लिमिटेड 18-ए, राजनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	27 फरवरी, 2020 (आदेश 2 मार्च, 2020 को प्राप्त हुई)
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	25 अगस्त, 2020 (दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू होने की तिथि से 180वां दिन)
8.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल के रूप में कार्यरत है	नामः श्री गौतम सिंघल पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP/P-01437/ 2018-2019/12240
9.	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल का पता एवं ईमेलः	पताः सी-35, भूतल, विवेक विहार, फेज-1, नई दिल्ली-110095, ई-मेलः gautam@klfindia.com
10.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	पताः कुमार लॉ फर्म 3रा एवं 4था तल, डीए-9, एन्के हाउस, वीर सावरकर ब्लॉक, नाथू स्वीट्स के सामने, मेट्रो पिलर नं. 54, शकरपुर, दिल्ली-110092 ईमेलः hppl.cirp@gmail.com
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	16 मार्च, 2020 (आदेश प्राप्ति की तिथि अर्थात् 2 मार्च 2014 से 14वां दिन)
12.	क्रेडीटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल द्वारा सुनिश्चित किया गया	लागू नहीं
13.	किसी वर्ग में क्रेडीटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेश्नल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) संबंधित प्रपत्र तथा (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है	क) https://ibbi.gov.in/ home/downloads ख) एनए

1. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, इलाहाबाद पीठ, उत्तर प्रदेश ने 27.02.20 की तिथि के आदेश जो 2.3.2020 को प्राप्त हुई, के माध्यम से मै. हिन्ट पब्लिकेशन प्राईवेट लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।
2. एतद्द्वारा मै. हिन्ट पब्लिकेशन प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के पास 16 मार्च, 2020 को (आदेश प्राप्ति की तिथि अर्थात् 2 मार्च 2020 से 14वाँ दिन) या उससे पूर्व प्रमाण के साथ अपने दावे जमा करें।
3. फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते हैं।
4. दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

हस्ता/-
श्री गौतम सिंघल
अंतरिम प्रस्ताव प्राफेश्नल
मै. हिन्ट पब्लिकेशन प्राईवेट लिमिटेड के लिये
IBBI/IPA-001/IP/P-01437/2018-2019/12240
तिथिः 3.3.2020
स्थानः दिल्ली

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL
ALLAHABAD BENCH
COMPANY PETITION NO.89/ALD/2020
Connected with
COMPANY APPLICATION NO. 346/ALD/2019
In the matter of Companies Act, 2013
And
In the matter of Sections 230-232, read with Section 66 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Companies (Compromises, Amalgamations, and Amalgamations) Rules, 2016
And
IN THE MATTER OF
JUBILANT CHEMSYS LIMITED
...Petitioner Co. No. 1/ "Transferor Company"
And
JUBILANT BIOSYS LIMITED
... Petitioner Co. No. 2/Transferee Co./Demerged Co.
And
JUBILANT THERAPEUTICS INDIA LIMITED
... Petitioner Co. No. 3/"Resulting Company"
And
their respective Shareholders and Creditors
Petitioner Company Nos. 1 to 3 have their registered office at1A, Sector 16A, Noida, Gautam Budh Nagar – 201301, Uttar Pradesh, India

NOTICE OF HEARING OF PETITION

Take notice that a Company Petition No.89/ALD/2020 connected with Company Application No. 346/ALD/2019 under Sections 230-232, read with Section 66 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Companies (Compromises, Amalgamations, and Amalgamations) Rules, 2016 was presented by the abovementioned Petitioner Companies for the purpose of considering and if thought fit, approving with or without modification(s) the proposed scheme of Arrangement amongst Jubilant Chemsys Limited, Jubilant Biosys Limited and Jubilant Therapeutics India Limited and their respective shareholders and creditors.

The said petition was presented before the National Company Law Tribunal, Allahabad Bench ("Hon'ble NCLT") on 24.02.2020 and the order in the said petition was pronounced by the Hon'ble NCLT on 28.02.2020.

The said petition is now fixed for final hearing on 20th March, 2020.

Any person desirous of supporting or opposing the said Petition should send notice of such intention, signed by him/ her or his/her advocate, with his full name and address, to the Petitioner Companies' Advocate (undersigned) so as to reach the Petitioner Companies' Advocate not later than 10 (ten) days before the date fixed for hearing of the Petition. Where he/she seeks to oppose the Petition, the grounds of opposition or a copy of his/her affidavit intended to be used in opposition to the Petition, shall be furnished with such notice. A copy of the Petition will be furnished by the undersigned to any person requiring the same on payment of the requisite charges for the same.

Sd/-
Place: Allahabad (Rahul Agarwal)
Date: 02 March, 2020 Counsel for the Petitioner Company Nos.1 to 3
Chamber No. 42 (New Building), High Court, Allahabad - 211 001
Mobile: 9453091100, E-mail: agarwal.agarwal@gmail.com

OFFER OPENING PUBLIC ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS OF
ALAN SCOTT INDUSTRIESS LIMITED
(CIN: L99999MH1994PLC076732)
("ASIL" / TARGET COMPANY"/"TC")
Registered Office: 39, Apurva Industrial Estate, Makwana Road, Off. Andheri Kurla Road, Mumbai-400 059
Phone No. +91-96532 38501 Email: alanscottindustrieslimited@gmail.com; Website: www.alanscottind.com

This Advertisement is being issued Navigant Corporate Advisors Limited, on behalf of Mr. Sureshkumar Pukhraj Jain (Acquirer) along with Mr. Pranav Dangi (PAC) pursuant to regulation 18(7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended (**"SEBI (SAST) Regulations"**) in respect of Open Offer (**"Offer"**) for the acquisition up to 1,78,199 Equity Shares of Rs. 10/- each representing 26.00 % of the total equity and voting share capital of the Target Company. The Detailed Public Statement (**"DPS"**) pursuant to the Public Announcement ("PA") made by the Acquirer have appeared in Financial Express (English Daily) all editions, Jansatta (Hindi Daily) all editions and Mumbai Lakshadeep (Marathi Daily) on 30th December, 2019.

1. The Offer Price is Rs. 25/- (Rupees Twenty Five Only) per equity share payable in cash (**"Offer Price"**).
2. Committee of Independent Directors ("IDC") of the Target Company of the opinion that the Offer Price of Rs. 25/- (Rupees Twenty Five Only) offered by the Acquirer is in accordance with the relevant regulations prescribed in the Takeover Code and prima facie appear to be justified. The recommendation of IDC was published in the aforementioned newspapers on 3rd March, 2020
3. There has been no competitive bid to this Offer.
4. The completion of dispatch of The Letter of Offer (**"LOF"**) to all the Public Shareholders of Target Company was completed on 27th February, 2020.
5. Please note that a copy of the LOF is also available on the website of Securities and Exchange Board of India (SEBI), www.sebi.gov.in and also on the website of Manager to the Offer, www.navigantcorp.com and shareholders can also apply on plain paper as per below details:
Eligible Person(s) may participate in the Offer by approaching their respective Broker/Selling Broker and tender Shares in the Open Offer as per the procedure along with other details.
6. In terms of Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations, the Draft Letter of Offer had been submitted to SEBI on 6th January, 2020. We have received the final observations in terms of Regulation 16(4) of the SEBI (SAST) Regulations from SEBI vide its Letter No. SEBI/HO/CFD/DCR1/OW/P/2020/6161 dated 14th February, 2020 which have been incorporated in the LOF.
7. **Any other material change from the date of PA**: Nil
8. **Schedule of Activities:**

Activity	Original Date	Original Day	Revised Date	Revised Day
Public Announcement	20.12.2019	Friday	20.12.2019	Friday
Publication of Detailed Public Statement in newspapers	30.12.2019	Monday	30.12.2019	Monday
Last date of filing draft letter of offer with SEBI	06.01.2020	Monday	06.01.2020	Monday
Last date for a Competing offer	20.01.2020	Monday	20.01.2020	Monday
Receipt of comments from SEBI on draft letter of offer	27.01.2020	Monday	14.02.2020	Friday
Identified date*	29.01.2020	Wednesday	18.02.2020	Tuesday
Date by which letter of offer be dispatched to the shareholders	05.02.2020	Wednesday	27.02.2020	Thursday
Last Date by which the committee of the independent directors of the Target Company shall give its recommendation	10.02.2020	Monday	03.03.2020	Tuesday
Last date for revising the Offer Price	11.02.2020	Tuesday	04.03.2020	Wednesday
Advertisement of Schedule of activities for open offer, status of statutory and other approvals in newspapers and sending to SEBI, Stock Exchanges and Target Company	11.02.2020	Tuesday	04.03.2020	Wednesday
Date of Opening of the Offer	12.02.2020	Wednesday	05.03.2020	Thursday
Date of Closure of the Offer	27.02.2020	Thursday	19.03.2020	Thursday
Payment of consideration for the acquired shares	13.03.2020	Friday	07.04.2020	Tuesday

** Identified Date is only for the purpose of determining the names of the shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. All owners (registered or unregistered) of equity shares of the Target Company (except the parties to the SPA including persons deemed to be acting in concert with such parties) are eligible to participate in the Offer any time before the Closure of the Offer.*

Capitalized terms used in this announcement, but not defined, shall have the same meaning assigned to them in the PA, DPS and LOF.

ISSUED BY THE MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRER:
Manager to the Offer:
NAVIGANT CORPORATE ADVISORS LIMITED
423, A Wing, Bonanza, Sahar Plaza Complex, J B Nagar, Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai-400-059 **Tel No.** +91 22 4120 4837 / 4973 5078 **Email id:** navigant@navigantcorp.com
Website: www.navigantcorp.com **SEBI Registration No:** INM000012243
Contact person: Mr. Vikas Chhangani
Place: Mumbai
Date: 03.03.2020

उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0
ई-निविदा आमंत्रण सूचना अनुभवी कार्यदायी संस्थाओ/फर्मो से विद्युत पारेषण मंडल, मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत निम्न कार्यो/आपूर्ति हेतु ई-निविदायें ई-पोर्टल etender.up.nic.in पर दो भागो मे निविदा खोलने की दिनांक को 12.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निर्धारित निविदा शुल्क आर0टी0जी0एस0/ एन0ई0एफ0टी0 तथा धरोहर राशि आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0/बैंक गारन्टी के माध्यम से (निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि पृथक-पृथक हस्तांरित की जानी है) Executive Engineer] Electy Tr. Division] Muzaffarnagar के पक्ष में पंजाब नैशनल बैंक की शिव **चौक मुजफ्फरनगर** शाखा में संचालित चालू बैंक खाता संख्या 0332002100027440 (IFSC Code PUNB0033200) में जमा करायी जायेगी। निविदा के प्रथम भाग में आर0टी0जी0एस0/ एन0ई0एफ0टी0/बैंक गारन्टी द्वारा जमा किये गये निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि की यथा योज्य यू0टी0आर0 संख्या की प्रति, खाते का नाम, निर्गतकर्ता बैंक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं निविदादाता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित पे-इन स्लिप की प्रति, निविदा प्रपत्र, पैन कार्ड, जी0एस0टी0 संख्या, इन्कम टैक्स रिटर्न की स्वयं प्रमाणित छाया प्रति, तकनीकी अनुभव इत्यादि ई-पोर्टल पर स्कैन्ड प्रतियॉ (PDF format) तथा ई-निविदा के द्वितीय भाग मे दरे एवं वाणिज्यक नियम व शर्ते ई-पोर्टल पर अपलोड की जायेगी। निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं अन्य व्यवसायिक प्रपत्र हार्ड कॉपी में अथवा व्यक्तिगत संवाहक के माध्यम से इस कार्यालय में प्राप्त नही किये जायेंगें। निविदा की वैधता खुलने की तिथि से 90 दिन होगी। ई-निविदा के प्रथम भाग उसी दिन निर्धारित समय पर सार्वजनिक रूप से खोला जायेगा एवं भाग द्वितीय (प्राइजबिड) खुलने की तिथि तदोनुसार वेबसाइट पर सूचित की जायेगीं। निविदा भाग प्रथम में सम्बधित प्रपत्रों का अपलोंड ना किये जाने की स्थिति में निविदा का भाग द्वितीय (प्राईस बिड) नही खोला जायेगा। ई-निविदा खुलने की तिथि पर अवकाश होने की स्थिति में ई-निविदा अगले कार्य दिवस मे खोली जायेगी। ई-निविदाओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकार /विभाजित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा। कृपया विस्तृत जानकारी, डाउन लोड, अन्य संशोधनों एवं ई-निविदा प्रस्तुत करने के दिनांक तक विस्तार आदि के सम्बन्ध में कृपया etender.up.nic.in पर लॉग आन करें। विवरण निम्न प्रकार है- ई-निविदा संख्या, कार्य/सामग्री का विवरण, खुलने की दिनांक, आमंत्रित एवं खोलने का समय धरोहर राशि एवं निविदा का मूल्य के क्रम में पढ़ा जाये। 1. **वि0पा0म0/मु0/टी-297/2019-20** : **(अल्पकालिक** विद्युत पारेषण खण्ड, सहारनपुर के अन्तर्गत 220 के0वी0 उपकेन्द्र सहारनपुर पर 220 के0वी0 सहारनपुर-बेहट एस0सी0 लाईन के 220 के0वी0 ए0बी0बी0 मेक ब्रेकर की सर्विसिंग व ओवरहालिंग का कार्य। दिनांक 18.03.2020, 12:00 बजे (आमंत्रित), 13:00 बजे (तकनीकी भाग पार्ट-1 खोलने हेतु) रू0 1300/-, रू. 590/- (कर सहित)। 2. **वि0पा0म0/मु0/टी-298/2019-20 : (अल्पकालिक)** विद्युत पारेषण खण्ड, शामली के अन्तर्गत 132 के0वी0 उपकेन्द्र झिंझाना एवं शामली श्यामला पर स्थापित परिवर्तकों के ऑयल की सेन्ट्रीफ्यूजिंग का कार्य। दिनांक 18.03.2020, 12:00 बजे (आमंत्रित), 13:15 बजे (तकनीकी भाग पार्ट-1 खोलने हेतु) रू0 2000/-, रू. 590/- (कर सहित)। 3. **वि0पा0म0/मु0/टी-299/ 2019-20** : विद्युत पारेषण खण्ड-द्वितीय, सहारनपुर के अर्न्तगत 132 के0वी0 उपकेन्द्र नकुड एवं गंगोह पर स्थापित 145 के0वी0 ए0बी0बी0 निर्मित सर्किट ब्रेकरों की रिपेयरिंग एवं ओवरहालिंग का कार्य। दिनांक 27.03.2020, 12:00 बजे (आमंत्रित), 13:00 बजे (तकनीकी भाग पार्ट-1 खोलने हेतु) रू0 2000/-, रू. 590/- (कर सहित)। 4. **वि0पा0म0/मु0/टी-300/2019-20** : विद्युत पारेषण खण्ड, सहारनपुर के अन्तर्गत 132 के0वी0 नकुड-गंगोह लाईन का वार्षिक आधार पर अनुरक्षण का कार्य। दिनांक 27.03.2020, 12:00 बजे (आमंत्रित), 13:15 बजे (तकनीकी भाग पार्ट-1 खोलने हेतु) रू0 2500/-, रू. 590/- (कर सहित)।
"राष्ट्रहित में ऊर्जा बचायें" पत्रांक/ No. 431/ वि0पा0म0(ETC)/मु0नगर(MZN)/ दिनांक/ DATED 02.03.2020

केनरा बैंक Canara Bank **कब्जा सूचना** (अचल सम्पत्ति हेतु)

सिक्योरिटीजाइजेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के नियम 3 के नियमानुसार तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट "एनफोर्समेंट" नियम 2002 (2002 का एक्ट नं0 54) साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **केनरा बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी को 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस को जारी किया था। ऋणी द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर ऋणी/गारन्टरों और जनसामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गयी सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है। **"उधारकर्त्ता(ओं) का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।"** ऋणी/गारन्टरों को विशेष रूप से एवं जनसामान्य को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन-देन न करें इस सम्पत्ति से किसी प्रकार का लेन-देन **केनरा बैंक क्लेमेंट टाउन, देहरादून शाखा** को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज व खर्चों के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है।

क्र. सं.	शाखा/ऋणी/ गारन्टर का नाम	बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग व कब्जा नोटिस की तिथि	बकाया राशि + ब्याज व अन्य खर्चे
1.	**ऋणी**: मोहम्मद इमरान पुत्र मोहम्मद रमजान एवं मोहम्मद इरफान पुत्र मोहम्मद रमजान, निवासीः कारगी ग्रांट, मुस्लिम बस्ती, बंजारावाला, देहरादून, उत्तराखण्ड। **गारन्टरः** श्री राजीव आहूजा पुत्र श्री ओपी आहूजा, 212 ईडब्ल्यूएस एमडीडीए कॉलोनी, चन्दर रोड, डालनवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड।	बंधक सम्पत्ति के सभी भाग व खंड आवासीय सम्पत्ति स्वामी मोहम्मद इमरान पुत्र मोहम्मद रमजान एवं मोहम्मद इरफान पुत्र रमजान स्थित खसरा नं0 599, कारगी ग्रांट, मुस्लिम बस्ती, बंजारावाला, देहरादून, माप क्षेत्रफल 263.74 वर्ग मीटर। **सीमायें**:- पूर्वः 30 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिमः अन्य की भूमि, उत्तरः विक्रेता की भूमि, दक्षिणः विक्रेता की भूमि।	**मांग नोटिस की तिथि** 12.12.2019 **कब्जा नोटिस की तिथि** **28.02.2020**	रु0 **8,63,417.00/-** दिनांक 11.12.2019 + देय ब्याज दिनांक **25.11.2019** से + लागत एवं व्यय-वसूली दिनांक 11.12.2019 के बाद

दिनांकः 03.03.2020 स्थानः देहरादून प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

RELIANCE MONEY
रिलायन्स कॉमर्सियल फाइनांस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : रिलायन्स सेंटर, छठा तल, साउथ विंग, प्रभात कॉलोनी के निकट, शांताक्रुज (ईस्ट), मुम्बई-400055 **शाखा कार्यालय** : रिलायन्स कॉमर्सियल फाइनांस लिमिटेड, 1001, 2रा तल, फैज रोड, फेडरल बैंक के ऊपर, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

कब्जा सूचना (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(2) के अनुसार)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत रिलायन्स कॉमर्सियल फाइनांस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13(12) अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना जारी कर नीचे वर्णित ऋणधारकों/सह-ऋणधारकों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक/सह-ऋणधारकों इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/सह-ऋणधारकों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/सह-ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रिलायन्स कॉमर्सियल फाइनांस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

क्रम सं.	ऋणधारकों/सह-ऋणधारकों का नाम	सम्पत्ति का विवरण	माँग सूचना तिथि	कब्जा की तिथि	माँग सूचना में राशि (रु.)
1.	1. किशन गोयल गर्ग 2. कान्ति प्रसाद गर्ग लैन नं. RLLPDEL000222536	**सम्पत्ति सं. 1** सम्पत्ति अर्थात् शॉप नं. बी-124, एरिया 35 वर्ग यार्ड्स, नेहरु पार्क, एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा-121008 का सभी भाग तथा हिस्सा जिसकी चौहद्दी इस प्रकार हैः पूर्वः रोड, पश्चिमः शॉप नं. 125, उत्तरः रोड, दक्षिणः रोड **सम्पत्ति सं. 2** सम्पत्ति अर्थात् शॉप नं. बी-125 एरिया 35 वर्ग यार्ड्स, नेहरु पार्क, एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा-121008 का सभी भाग तथा हिस्सा जिसकी चौहद्दी इस प्रकार हैः पूर्वः प्लॉट नं. 124, पश्चिमः शॉप नं. 126, उत्तरः रोड, दक्षिणः रोड	11 मार्च 2019	27 फरवरी 2020	28.01.2019 को देय रु. 12846306/- (रुपये एक करोड़ अट्ठाइस लाख छियालिस हजार तीन सौ छः मात्र) के साथ वास्तविक वसूली तक आगे का ब्याज

ऋणधारक/सह-ऋणधारकों का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

किसी प्रकार की पूछताछ के लिये सम्पर्क करेंः श्री नीरज मिश्रा (फोन 9051099992) श्री विनोद कुमार शुक्ला (फोनः 9818006247)

हस्ता./-
(प्राधिकृत अधिकारी)
स्थान : फरीदाबाद, तिथि : 27.02.2020 रिलायन्स कॉमर्शियल फाइनांस लिमिटेड

www.readwhere.com

राजस्व सचिव एबीपी पांडे वित्त सचिव मनोनीत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 मार्च।

राजस्व सचिव एबीपी पांडे को मंगलवार को वित्त सचिव मनोनीत किया गया। कार्मिक मंत्रालय के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने महाराष्ट्र कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी को वित्त सचिव मनोनीत किए जाने को मंजूरी दे दी। वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद यह पद खाली हुआ था।

झारखंड कैडर के 1984 बैच के आइएएस अधिकारी कुमार को पिछले साल जुलाई में वित्त सचिव नामित किया गया था।

गुजरात कैडर के 1985 बैच के आइएएस अधिकारी अतनु चक्रवर्ती फिलहाल आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव हैं। वहीं ओड़ीशा कैडर के 1985 बैच के आइएएस अधिकारी तुहीन कांत पांडे निवेश और लोक परिसंपत्ति विभाग के सचिव व तमिलनाडु कैडर के उनके सहकर्मी टीवी सोमनाथन व्यय विभाग में सचिव हैं। उसी बैच के देबाशीष पांडा वित्तीय सेवा सचिव हैं।

कब्जा सूचना

जबकि, असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड (आर्सिल) के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचनाएं जारी की थीं, जिनमें निम्नलिखित कर्जदारों से उक्त सूचनाओं में उनके संबंधित नाम के सामने वर्णित राशियां, उन पर लागू दरों पर ब्याज के साथ, उक्त सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर, आगे भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक लागू अनुसार ब्याज, उपगत किए गए अनुषंगी खर्च, लागतें, प्रभार इत्यादि चुकाने की मांग की गई थी।

कर्जदार का नाम / सह-कर्जदार का नाम / ऋण खाता संख्या	कुल बकाया राशि (रु. में) / नियत तिथि	कब्जा की तिथि एवं प्रकार
मैसर्स एच एस क्यू ट्रेडिंग कंपनी द्वारा प्रोपराइटर श्री जावेद कुरैशी / श्री जावेद कुरैशी / श्री अफजाल कुरैशी / श्री शजिद कुरैशी / श्री दानिश कुरैशी / श्री शाजीव कुरैशी / 461एफएचपी42450670	रु. 53,84,208.67/- 28-नवम्बर-19	सांकेतिक 29-फरवरी-2020

सम्पत्ति का वर्णन : वाणिज्यिक इकाई संख्या / स्पेस नं. 7 बी (एनजी 27.87 वर्ग मीटर की मापने के लिए) 7 जी (एनजी-22.30 वर्ग मीटर का मापने के लिए) 7 एफ (एनजी-20.07 वर्ग मीटर का मापने) और 7 एस (एनजी-20.07 एसबीआर को मापने के लिए) कुल प्रवेश 90.31 वर्ग मीटर। ब्लॉक नं. एस-4 (ज्ञात जूता बाजार) के रूप में स्थित, संजय प्लेस कॉमर्शियल स्कीम, हरि पर्वत वार्ड, आगरा, उत्तर प्रदेश। द नेम ऑफ अफजल कुरैशी, जावेद कुरैशी, दानिश कुरैशी, शजिद कुरैशी, शजीव कुरैशी में। यूनिट्स (एस) के आसपास के रूप में उल्लेख किया है। पूर्व – मार्ग, पश्चिम-यूनिट नंबर – 10, उत्तर – यूनिट नंबर – 8, दक्षिण यूनिट नंबर – 8।

जबकि इसमें ऊपर वर्णित कर्जदार बकाया राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदारों को विशेष रूप से और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि आर्सिल के अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां ऊपर वर्णित संपत्तियों / प्रतिभूत आस्तियों का **सांकेतिक कब्जा** उपरिवर्णित तिथियों को प्राप्त कर लिया है। विशेष रूप से ऊपर वर्णित कर्जदारों तथा जनसाधारण को उपरोक्त संपत्तियों / प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और उपरोक्त संपत्तियों / प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार आर्सिल के प्रभार के अधीन होगा।

स्थान : दिल्ली
तिथि : 04-03-2020

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड

असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड
सीआईएन : U65999MH2002PLC134884 वेबसाइट www.arcil.co.in
पंजीकृत कार्यालय : दि रूबी, 10वां तल, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई-400028
फोन : + 91 2266581300
शाखा पता : द्वितीय तल, सेठी कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नंबर 2, डीडीए लोकल शॉपिंग सेन्टर, निकट विद्या भवन गर्ल्स सीनियर सेकण्डरी स्कूल, एमओआर लैण्ड, न्यू राजिन्दर नगर, नई दिल्ली-110060, फोन 011-46370444

फुलर्टन इण्डिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड

Fullerton India
कॉर्पोरेट कार्यालय : सुप्रीम बिजिनेस पार्क, 5वाँ एवं 6ठा तल, बी विंग, पोवाई, मुम्बई-400 076
शाखा कार्यालय : बी-45/47, तीसरी मंजिल, निकट पीवीआर प्लाजा, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001

माँग सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन (''अधिनियम'') एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (''नियम'') के प्रावधानों के तहत

अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम के तहत एवं नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग फुलर्टन इण्डिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड (एफआईसीसीएल) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते निम्नलिखित कर्जदारों को कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सम्बद्ध सूचना(ओं) में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहा था। अधोहस्ताक्षरी को तार्किक रूप से विश्वास है कि कर्जदार माँग सूचना(ओं) की सेवा की अनदेखी कर रहे हैं अतः सूचना की सेवा नियमों के अनुसार चिपकाकर तथा प्रकाशन द्वारा प्रभावी की जा रही है। माँग सूचना की विषय सामग्री निम्नवत है :

कर्जदार(रों) का नाम	माँग सूचना की तिथि राशि	अचल सम्पत्ति/बन्धक सम्पत्तियों का विवरण
खाता सं. : 173026300000970 1, **श्री प्रदीप छाबड़ा** 2. **सुश्री शिवानी छाबड़ा** 3. **कॉस्मिक मोटर्स इण्डिया (प्रा.) लि., इसके निदेशक के माध्यम से**	सूचना की तिथि : 07/01/2020 माँग की राशि : रु. 6,02,88,136/- [रुपये छः करोड़ दो लाख अट्ठासी हजार एक सौ छत्तीस मात्र] जैसा कि ऊपर उल्लिखित है तथा 07.01.2020 तक भुगतान की वसूली तक उस पर प्रयोज्य ब्याज, दण्डात्मक ब्याज, बाउंस प्रभार, लागत एवं व्यय	प्लॉट सं. ए-1, साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली में स्थित भूमि के प्लॉट माप 9492 वर्ग मीटर अथवा लगभग पर निर्मित ''द साउथ कोर्ट, डीएलएफ साकेत'' नाम के बहुमंजिले भवन में सम्पत्ति सं. डीएससी-118, भूतल का सम्पूर्ण भाग। प्लिन्थ एरिया 52.280 वर्ग मीटर तथा सुपर एरिया 304.560 वर्ग मीटर (3278 वर्ग फीट) लगभग।

कर्जदारों को माँग सूचना(ओं) का अनुपालन करने तथा उसमें यहाँ ऊपर उल्लिखित माँग राशि को भुगतान की वसूली की तिथि तक प्रयोज्य ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस प्रभार, लागत तथा व्यय के साथ इस प्रकाशन की तिथि के 60 दिनों के भीतर अदा करने का परामर्श दिया जाता है। कर्जदार कृपया ध्यान दें कि एफआईसीसीएल प्रतिभूत लेनदार है और कर्जदार(रों) द्वारा ली गयी ऋण सुविधा कर्जदार(रों) द्वारा बन्धककृत प्रतिभूत आस्ति(यों) होने के कारण अचल सम्पत्ति/सम्पत्तियों के विरुद्ध एक प्रतिभूत ऋण है।

यदि कर्जदार निर्धारित समय-सीमा में अपनी देयताएँ चुकाने में असफल रहते हैं तो एफआईसीसीएल बिक्री द्वारा अथवा अधिनियम तथा उसके तहत नियमों के अधीन उपलब्ध किसी अन्य उपचार द्वारा शामिल किन्तु सीमित नहीं, अन्तरण सहित प्रतिभूत आस्ति(यों) का कब्जा लेने हेतु अधिनियम की धारा 13(4) के तहत समस्त अधिकारों का उपयोग करने का अधिकारी होगा और भुगतान की वसूली करेगा। एफआईसीसीएल को बिक्री या अन्तरण के अधिकार का प्रयोग करने से पूर्व प्रतिभूत आस्ति(यों) को कुर्की तथा/अथवा सील करने की भी शक्ति प्राप्त है। प्रतिभूत आस्ति(यों) की बिक्री के अनुक्रम में एफआईसीसीएल को, यदि बन्धककृत सम्पत्तियों का मूल्य एफआईसीसीएल के बकाया देयताओं की पूर्ति के लिए अपर्याप्त हो तो शेष बकायों की वसूली के लिए अलग से विधिक कार्यवाही करने का भी अधिकार है। यह उपचार किसी अन्य कानून के तहत एफआईसीसीएल के पास उपलब्ध अन्य समस्त उपचारों के अतिरिक्त तथा स्वतन्त्र है।

प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के सन्दर्भ में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर तथा अधिनियम की धारा 13(13) आकृष्ट किया जाता है जिसके द्वारा कर्जदार एफआईसीसीएल की लिखित पूर्व सहमति के बिना प्रतिभूत आस्ति(यों) का निस्तारण या उससे संव्यवहार अथवा किसी भी प्रतिभूति आस्ति की बिक्री, पट्टे या अन्य विधि से अन्तरण (सामान्य व्यवसाय की प्रक्रिया को छोड़कर) नहीं कर सकेगा और उपर्युक्त का अनुपालन न करना कथित अधिनियम की धारा 29 के तहत एक दण्डनीय अपराध है। माँग सूचना की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और कर्जदार, यदि चाहें तो इसे अधोहस्ताक्षरी से कार्यालयी घण्टों के दौरान किसी भी कार्यकारी दिवस में प्राप्त कर सकते हैं।

ह./-
भूपेन्दर तँवर
स्थान : दिल्ली, तिथि : 03.03.2020 फुलर्टन इण्डिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालयः जसोला, जी-47 कालिन्दी कुंज रोड, नई दिल्ली-110025

कब्जा सूचना (चल सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट-IV (नियम 8 (1) देखें)

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (अधिनियम सं. 2002 का 54) के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जसोला, नई दिल्ली शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक **02/01/2019** जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदारः श्री जितेन्द्र पुत्र राम किशन एवं श्री प्रवीण पुत्र राम किशन,** को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.12,58,884/- (बारह लाख अठावन हजार आठ सौ चौरासी रूपये मात्र) उक्त सूचना के प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर अर्जित ब्याज के साथ-साथ आगे ब्याज एवं लागत के साथ आपको दी गई विभिन्न क्रेडिट सुविधाओ के सम्बन्ध में। उक्त सूचना में उल्लिखित राशि के बदले भविष्य में ब्याज एवं आकस्मिक शुल्क के साथ कुल बकाया राशि में से आपने रु.36,000/- (छत्तीस हजार रूपये मात्र) का भुगतान किया है। कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित **सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 27 फरवरी, 2020** को ले लिया है। **कर्जदार** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन **रु.12,58,884/- (बारह लाख अठावन हजार आठ सौ चौरासी रूपये मात्र) और उस पर ब्याज, खर्चे एवं अन्य शुल्क** के साथ **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जसोला, नई दिल्ली शाखा** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद 13 के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

साम्यिक बंधक सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्से जो भूतल पर बिना छत अधिकार के, प्लॉट नं.6, खसरा नं. 525/1 मीड डीड का भाग, साई धाम कालोनी, चिपयाना बुजुर्ग, परगाना एवं तहसील दादरी, जिला-गौतम बुद्ध नगर, उ0प्र0। **जो घिरा है:**
उत्तर: ठाकुरदत्त शर्मा की सम्पत्ति **दक्षिण:** सड़क 17 फीट
पूर्व: मकान देशराज **पश्चिम:** प्लॉट दीगर

स्थान: गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0 **प्राधिकृत अधिकारी**
तिथि: 27.02.2020 **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया**

JAIN CO-OPERATIVE BANK LTD., HO: 80, DARYA GANJ, NEW DELHI-110002

Phone : 011-28832213, 9650735998 Email: jainbank@rediffmail.com, Web Address: www.jainbank.com

SALE NOTICE TO GENERAL PUBLIC

Whereas under section 13(2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, the Authorized Officer has issued following demand notices for the recovery of amount due as mentioned against the name of each borrower / sureties / mortgager. Further in exercise of powers contained in the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, the Authorized Officer have taken the possession of the under mentioned secured assets which are held as securities in respect of mortgage OD limit to **M/s Sambhav Textiles (Prop. Sh. Neeraj Jain).**
Whereas the sale of the secured assets is to be made through Sale Notice for recovery of secured debt due to Jain Co-operative Bank Ltd. as mentioned below.
The Bank intends to sale the property DETAILED HEREUNDER ON **'AS IS WHERE IS BASIS'** THROUGH 'SALE BY INVITING SEALED TENDERS' on or before **07.04.2020 at 4.00 P.M.**

Sealed Tender may be put in the Box provided at the Branch Premises of the Bank at 80, Darya Ganj, New Delhi-110002

SCHEDULE OF THE SECURED ASSETS

S. NO.	Name of borrower (A/c No. & Sureties Sh/Smt.	Amount Recoverable as On 18.02.2020	Description of property As per Valuation Report	Reserve Price	Earnest Money Deposit @10% of Reserve Price	Date and Time of inspection	Date and Time of Auction
1.	**M/s Sambhav Textiles (Prop. Sh. Neeraj Jain. A/c No.** 004/18/010/10058 at Gandhi Nagar Branch S1: Manoj Jain S2: Renu Jain	Rs. 26,49,637.00 + further Interest, Cost and Expenses	C-44, measuring 32 Sq. Yards, 2nd Floor and 3rd Floor with roof rights, Gali No. 4, North Chhajjupur, Illaqua Shahdara, Delhi-110094	**Rs. 20,40,000.00**	**Rs. 2,04,000.00**	**03.04.2020 DURING 11.00 A.M. TO 12.00 Noon**	**08.04.2020 DURING 3.00 P.M. TO 4.00 P.M.**

Terms and Conditions:
The sale shall be subject to the terms and conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 and to the following further conditions.
S. No. 1. The particular of secured assets specified in the schedule hereinabove have been stated to the best of information of the Authorized Officer but the Authorized Officer shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation.
2. The sealed covers will be opened by the Authorized Officer at Jain Co-operative Bank Ltd., 80, Darya Ganj, New Delhi-110002 in the presence of available/intending bidders as per the above SCHEDULE OF THE SECURED ASSETS.
3. The aforesaid property shall not be sold below the reserve price mentioned above. Intending bidders are required to deposit the earnest money deposit stated above by way of pay order/demand draft payable at Delhi and favouring Jain Co-operative Bank Ltd. drawn on any nationalized or scheduled Bank along with the letter for participation in the bid. The said deposit shall be adjusted in the case of successful bidder, otherwise refunded on the same day or later on as decided by the Authorized Officer. The Earnest Money Deposited will not carry any interest.
4. The Successful bidder should deposit 25 percent of the bid amount (inclusive of EMD) on the same day of the sale or within such extended time as permitted by the Authorized Officer, and balance bid amount i.e. 75% within 15 days from the date of auction. In case of default, all amounts deposited till then shall be forfeited including earnest money.
5. After opening the tenders, the intending bidders may be given an opportunity, at the discretion of the Authorized Officer, to have inter-se bidding among themselves to enhance the offer price in the multiple of Rs. 25,000/-.
6. The highest bid will be subject to approval of the Authorized Officer.
7. The Authorized Officer reserve the right to accept or reject any bid or postpone or cancel the auction or opening of the tenders without assigning any reason and also to modify any terms and conditions of this sale without any prior notice.
8. If the dues of the Bank together with all costs, charges and expenses incurred by Bank or part thereof as may be acceptable to the Bank are tendered by / on behalf of the borrowers / sureties at any time on or before the date fixed for sale, the sale of assets may be cancelled.
9. All Statutory dues / attendant charges / other dues including registration charges, stamp duty, taxes etc. shall have to be borne by the purchaser.
10. The sale certificate shall be issued in the same name in which the Bid is submitted.
11. Any other encumbrances are not known to the Bank. The Authorized Officer or the Bank shall not be responsible for charges, lien, encumbrances or any other dues to the government or anyone else in respect of the properties. The intending bidder is advised to make their own independent inquiries regarding the encumbrances on the property including statutory liabilities, arrears of property tax, electricity dues etc.
12. On deposit of EMD, the bidder shall submit ID proof, copy of PAN Card, proof of residential address, bidder name, mobile number and contact number.
13. Further enquiries if any and on the terms and conditions of sale can be made with the Authorized Officer at the address mentioned above.

STATUTORY 30 DAYS NOTICE UNDER RULE 8(6) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES
The borrower / sureties / mortgager are hereby notified to pay the sum as mentioned above alongwith upto date interest and ancillary expenses before the date of Auction, failing which the property will be auctioned / sold and the balance dues, if any, will be recovered with interest and cost.

Date: 04.03.2020
Place: New Delhi
Manager / Authorized Officer, Jain Co-operative Bank Ltd.

GOLDIAM INTERNATIONAL LIMITED

CIN: L36912MH1986PLC041203
Registered Office: Gems & Jewellery Complex, SEEPZ, MIDC, Andheri East, Mumbai 400096, Maharashtra, India
Tel. No.: +91 22.28291893 / FaxNo.: +91 22.28292885 / E-mail: investorrelations@goldiam.com Website: www.goldiam.com
Company Secretary & Compliance Officer: Mr. Pankaj Parkhiya

POST BUYBACK PUBLIC ADVERTISEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/ BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF GOLDIAM INTERNATIONAL LIMITED

This post-Buyback public advertisement is being made in accordance with Regulation 24(vi) and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, for the time being in force including any statutory modifications and amendments from time to time ("Buyback Regulations") regarding completion of the Buyback (defined hereinafter) by Goldiam International Limited ("the Company") of its equity shares from the members of the Company (other than the promoters, promoter group and persons in control of the Company).

This post-Buyback public advertisement should be read in conjunction with the Public Announcement dated February 13, 2020 published on February 14, 2020 ("**Public Announcement**"), issued in connection with the Buyback (as defined below). Unless specifically defined herein, capitalised terms and abbreviations used herein have the same meaning as ascribed to them in the Public Announcement.

1. THE BUYBACK

1.1. Pursuant to the provisions of Sections 68, 69, 70, and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, as amended ("**Companies Act**") and applicable rules thereunder, and the provisions of the Buyback Regulations, Article 23A of the articles of association of the Company, and pursuant to the resolutions passed by the board of directors of Goldiam International Limited (the "**Company**") (the Board of Directors of the Company are hereinafter referred to as the "**Board**" or the "**Board of Directors**") at their meeting held on February 12, 2020 (the "**Board Meeting**"), the Board approved the Buyback of the Company's fully paid-up equity shares of the face value of Rs.10/- each (Rupees Ten Only) (the "**Equity Shares**") from its shareholders/beneficial owners, other than those who are promoters or the persons in control of the Company and promoter group (hereinafter collectively referred to as the "**Promoters**"), from the open market through stock exchange mechanism i.e. using the electronic trading facilities of the Stock Exchanges, for a total amount not exceeding Rs.12,36,91,680/- (Rupees Twelve Crores Thirty Six Lakhs Ninety One Thousand Six Hundred and Eighty Only) (the "**Maximum Buyback Size**"), and at a price not exceeding Rs.160/- (Rupees One Hundred Sixty only) per Equity Share ("**Maximum Buyback Price**"), payable in cash (the process being referred herein as "**Buyback**"). The Maximum Buyback Size does not include brokerage costs, filing fees, intermediaries' fees, applicable taxes such as securities transaction tax, goods and service tax, stamp duty and any other transaction charges incurred or to be incurred for the Buyback (collectively referred to as "**Transaction Costs**"). The Maximum Buyback Size represented 5.60% and 3.32% of the aggregate of the Company's paid-up share capital and free reserves based on the audited standalone and consolidated financial statements of the Company respectively as at March 31, 2019 (being the latest available audited financial statements of the Company).

1.2. The Buyback commenced on February 25, 2020 and closed on March 2, 2020. Till the date of closure of Buyback, the Company has utilized 99.79352532% of the Maximum Buyback Size (excluding Transaction Costs) authorised for the Buyback with a balance of approximately Rs. 2,55,392/- (Rupees Two Lakhs fifty five thousand three hundred and ninety two only).

1.3. The total number of shares bought back under the Buyback is 7,91,073 Equity Shares.

2. DETAILS OF THE BUYBACK

2.1 The Company bought back an aggregate of 7,91,073 Equity Shares, utilizing a total of Rs.12,34,36,288/- (Rupees Twelve Crores Thirty Four Lakhs Thirty Six Thousand Two Hundred Eighty Eight only) (excluding Transaction Costs), which represents approximately 99.79352532% of the Maximum Buyback Size with a balance of approximately Rs. 2,55,392/- (Rupees Two Lakhs fifty five thousand three hundred and ninety two only). The price at which the Equity Shares were bought back was dependent on the price quoted on the Stock Exchange. The highest price at which the Equity Shares were bought back was Rs.160.0000 per Equity Share while the lowest price was Rs 153.5380 per Equity Share. The Equity Shares were bought back at an average price of Rs. 156.0365 per Equity Share. These prices are based on contract notes issued by Trust Financial Consultancy Services Private Limited ("**Company's Broker**") and exclude Transaction Costs.

2.2 The pay-out formalities shall be completed as per the normal settlement calendar of the Stock Exchanges. The Company is in the process of extinguishing 7,91,073 Equity Shares bought back.

2.3 All Equity Shares bought back were in the demat segment from the Stock Exchange. As the Buyback was done from the open market through the Stock Exchange, the identity of shareholders from whom Equity Shares exceeding one per cent of the total Equity Shares was bought in the Buyback is not known.

3. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

3.1 The capital structure of the Company as on the date of the Public Announcement and as on March 2, 2020 (post completion of the Buyback) is set forth below:

In Rupees

Sr. No.	Particulars	Pre-Buyback (as on the date of the Public Announcement)	Post Buyback* (as on March 2, 2020)
1	**Authorized Share Capital:**		
	3,10,00,000 Equity Shares of INR 10 each	31,00,00,000/-	31,00,00,000/-
	Total	**31,00,00,000/-**	**31,00,00,000/-**
2	**Issued, Subscribed and Paid-up Equity Share Capital:** 2,29,65,996 Equity Shares of INR 10 each (Pre- Buyback- no. of equity shares) 2,21,74,923 Equity Shares of INR 10 each (Post Buyback – no. of equity shares)	22,96,59,960/-	22,17,49,230/-
	Total	**22,96,59,960/-**	**22,17,49,230/-**

** The Company is in the process of extinguishing 7,91,073 Equity Shares bought back. The post-Buyback share capital is provided assuming extinguishment of all Equity Shares bought back by the Company.*

3.2 The shareholding pattern of the Company pre-Buyback and post-Buyback is set forth below:

Category of the Shareholder	Pre-Buyback		Post Buyback#	
	No. of Shares	% to the existing Equity share Capital	No. of Shares	% to the Equity share Capital
(A) Promoter & Promoter Group	1,44,24,672	62.8088	1,44,24,672	65.0495
(B1) Institutions	0	0	77,50,251	34.9505
(B2) Central Government/ State Government(s)/President of India	0	0		
(B3) Non-Institutions	0	0		
(B) Public	85,41,324	37.1912		
(C1) Shares underlying DRs	0	0		
(C2) Shares held by Employee Trust	0	0		
(C) Non-Promoter-Non-Public	0	0		
Total	**2,29,65,996**	**100**	**2,21,74,923**	**100.00**

 # The Company is in the process of extinguishing 7,91,073 Equity Shares bought back. The post-Buyback share capital is provided assuming extinguishment of all Equity Shares bought back by the Company.

4. MANAGER TO THE BUYBACK

TRUST
In Partnership. With Trust.

TRUST INVESTMENT ADVISORS PRIVATE LIMITED
109/110, Balarama, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400 051, Maharashtra, India
Tel.: +91 22 4084 5000; Fax: +91 22 4084 5007
Website: www.trustgroup.in
Investor grievance e-mail: customercare@trustgroup.in
SEBI Registration No.: INM000011120
Validity Period: Permanent (unless suspended or cancelled by SEBI)
Contact Person: Mr. Ankur Jain
CIN: U67190MH2006PTC162464

For further details please refer to the Company's website (www.goldiam.com) and the website of the Stock Exchanges (www.nseindia.com and www.bseindia.com)

5. DIRECTORS' RESPONSIBILITY

As per Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board accepts responsibility for the information contained in this post-Buyback public advertisement and confirms that the information included herein contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of **Goldiam International Limited**

Sd/-	Sd/-	Sd/-
Rashesh Bhansali	**Anmol Rashesh Bhansali**	**Pankaj Parkhiya**
Executive Chairman	**Whole-time Director**	**Company Secretary**
DIN: 00057931	**DIN:07931599**	

Date: March 3, 2020
Place: Mumbai

सिंडिकेट बैंक / SyndicateBank

एसएसआई फरीदाबाद 1एफ/20, एनआईटी फरीदाबाद
हरियाणा-121001, ईमेलः br.8238@syndicatebank.co.in

ई-नीलामी बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक (कों) तथा गारन्टर (रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्ज किया गया है, की नीचे वर्णित ऋणधारकों तथा गारन्टरों से प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये की वसूली के लिये 17.04.2020 को ''जैसा है जहां है'', ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि का भुगतान इस प्रकार होगाः

ऋणधारकों तथा गारन्टरों का नाम एवं पता तिथि के साथ बकाया राशि	गिरवी रखी गई अचल सम्पत्ति का विवरण तथा स्वामी/मार्टगैजर का नाम	सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी)
ऋणधारकः 1) मै. शिवाय एण्टरप्राईजेज, द्वारा उसके प्रॉप्राईटर श्री शिवनाथ सिंह, पंजीकृत पताः 1008/79, गली नं. 52, संजय कॉलोनी, सेक्टर-23, फरीदाबाद-121001 खाता नं. 82381400000907 गारन्टरः श्री बी.पी.सिंह, निवासीः 1008/79, गली नं. 52, संजय कॉलोनी, सेक्टर-23, फरीदाबाद-121001 कुल बकाया राशिः 29.02.2020 को 3052118.00	श्री शिवनाथ सिंह तथा श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के स्वामित्व में गली नं. 52, पोस्ट ऑफिस तथा गुरुकृपा स्कूल के निकट, संजय कॉलोनी, मौजा सारण, तहसील एवं जिला फरीदाबाद में स्थित खसरा नं. 73//7/2(6-2), के भाग में मकान सं. 1008/79 (पुराना नं. 89 के उत्तर पूर्व भाग) माप 50 वर्ग यार्ड्स में अचल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। सम्पत्ति की चौहद्दीः उत्तरः रास्ता 18 फीट चौड़ा, दक्षिणः पुराने प्लॉट नं. 89 का शेष भाग, पूर्वः पुराने प्लॉट नं. 89 का शेष भाग, पश्चिमः प्लॉट नं. 90	रु. 2040000/- रु. 204000/- बिक्री सूचना की तिथिः 2.3.2020 ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 17.04.2020 (11 बजे पूर्वा. से 1 बजे अप.)
ऋणधारकः मै. शिव, शक्ति इंजीनियरिंग वर्क्स, द्वारा उसके पार्टनर श्री उमा शंकर यादव तथा श्री संदीप कुमार पाण्डेय, पंजीकृत पताः गली नं. डब्ल्यू 8, प्लॉट नं. 4, सरूरपुर इंडस्ट्रियल एरिया फरीदाबाद खाता नं. 82381250001903 गारन्टरों: 1) श्री संदीप कुमार पाण्डेय, पुत्र श्री राधेश्याम पाण्डेय 2) श्रीमती मनोरमा पाण्डेय, पत्नी श्री राधेश्याम पाण्डेय	श्री उमाशंकर, श्री रमा शंकर, श्री शिवशंकर तथा श्री हरिशंकर के नाम में एमसीएफ नं. 6922, माप 80 वर्ग यार्ड्स 33 फीट रोड, संजय कॉलोनी, सेक्टर-23, फरीदाबाद में अचल सम्पत्ति भूमि एवं भवन का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः उत्तरः रोड, दक्षिणः अन्य मकान, पूर्वः मकान सं. 6921, पश्चिमः रोड	रु. 2720000/- रु. 272000/- बिक्री सूचना की तिथिः 2.3.2020 ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 17.04.2020 (11 बजे पूर्वा. से 1 बजे अप.)

दोनो निवासीः एमसीएफ नं. 9209, गली नं. 286, वार्ड नं. 6 ब्लॉक एफ (पुराना नं. 6681 गली नं. 3) संजय कॉलोनी, सेक्टर-23, फरीदाबाद-121002 साथ हीं: मण्डा खास, भारतीपुर, इलाहाबाद-212104 3)उमाशंकर, 4) श्री रमा शंकर, 5) श्री शिव शंकर, 6) श्री हरिशंकर, सभी पुत्र श्री राज नाथ, सभी निवासीः एमसीएफ 6922, संजय कॉलोनी, सेक्टर-23, फरीदाबाद, कुल बकाया राशिः 29.02.2020 को रु. 5269685.00

1) ऋणधारकः श्रीमती मनोरमा पाण्डेय, पत्नी श्री राधेश्याम पाण्डेय तथा श्री संदीप कुमार पाण्डेय, पुत्र श्री राधे श्याम पाण्डेय, दोनोंः एमसीएफ नं. 9209, गली नं. 286, वार्ड नं. 6, ब्लॉक एफ (पुराना नं. 6681 गली नं.3) संजय कॉलोनी, सेक्टर-23, फरीदाबाद-121002 साथ हीं: मंडा खास, भारतीपुर, इलाहाबाद-212104 खाता नं. 82387740000036 गारन्टर्सः श्री विनय कुमार पाण्डेय श्री मनीश पाण्डेय, दोनोंः मंडा खास, भारतीपुर, इलाहाबाद-212104 श्री उमाशंकर, पुत्र श्री राजनाथ, निवासीः एमसीएफ नं. 6922, संजय कॉलोनी, सेक्टर-23, फरीदबाद-121002	श्रीमती मनोरमा पाण्डेय के नाम में एमसीएफ नं. 9209, गली नं. 286, वार्ड नं. 6, ब्लॉक एफ (पुराना नं. 6681), गली नं. 3) माप 100 वर्ग यार्ड्स का खसरा रेक्ट नं. 25, किल्ला नं. 14/2/3 (7-16), 17 (8-0), 24/1 (5-12), संजय कॉलोनी, सेक्टर-23, फरीदाबाद का हिस्सा है, में भूमि एवं भवन की अचल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः उत्तरः कैलाश पति का मकान, दक्षिणः एच. नं. 6680 एफ, पूर्वः 15' चौड़ा रास्ता, पश्चिमः खाली प्लॉट	रु. 2400000/- रु. 240000/- बिक्री सूचना की तिथिः 2.3.2020 ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 17.04.2020 (11 बजे पूर्वा. से 1 बजे अप.)

2) ऋणधारकः मै. शिव शक्ति इंजीनियरिंग वर्क्स, द्वारा उसके पार्टनर्स श्री उमाशंकर यादव तथा श्री संदीप कुमार पाण्डेय, पंजीकृत पताः गली नं. डब्ल्यू 8, प्लॉट नं. 4, सरूरपुर इंडस्ट्रियल एरिया फरीदाबाद, खाता नं. 82381250001903 गारन्टरों: 1) श्री संदीप कुमार पाण्डेय, पुत्र श्री राधे श्याम पाण्डेय, 2) श्रीमती मनोरमा पाण्डेय, पत्नी श्री राधे श्याम पाण्डेय एमसीएफ नं. 9209, गली नं. 286, वार्ड नं. 6, ब्लॉक एफ (पुराना नं. 6681 गली नं.3) संजय कॉलोनी, सेक्टर-23, फरीदाबाद-121002, साथ हीं: मंडा खास भारतीपुर, इलाहाबाद-212104, 3) श्री उमाशंकर, 4) श्री रमा शंकर, 5) श्री शिव शंकर, 6) श्री हरिशंकर, सभी पुत्र श्री राजनाथ, सभी निवासीः एमसीएफ 6922, संजय कॉलोनी, सेक्टर-23, फरीदाबाद, कुल बकायाः 29.02.2020 को रु. 82,82,825.00

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाईट में दी गई लिंक **www.syndicatebank.co.in** देखें।

तिथिः 4.3.2020, स्थानः फरीदाबाद **प्राधिकृत अधिकारी सिंडिकेट बैंक**

POST OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF
AMALGAMATED DEVELOPMENT LIMITED

CIN: L70109WB1948PLC016546, **Registered Office**: 7, Munshi Premchand Sarani, Hastings, Kolkata- 700 022,
Tel. No. : 033- 2223 0016; **Fax No. :** 033- 2223 1569,
Email: compliance@lnbgroup.com, **Website**: www.amalgamateddevelopment.in

This Post Offer Public Announcement ("**Post Offer PA**") is being issued by Placid Limited ("**Placid**"), forming part of the Promoters/ Promoter Group (hereinafter referred to as the "**Acquirer**"), of M/s. Amalgamated Development Limited (hereinafter referred to as the "**Company**"/ "**ADL**"). This Post Offer PA is for the notice of the public shareholders of the Company in respect of the proposed acquisition and voluntary delisting of fully paid-up equity shares of the Company from The Calcutta Stock Exchange Limited ("**CSE**") (hereinafter referred to as the "**Stock Exchange**") where the equity shares of the Company are currently listed pursuant to Regulation 18 and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 as amended (the "**Delisting Regulations**"). This Post Offer PA should be read in conjunction with the Public Announcement dated 08.02.2020, published on 10.02.2020 ("**Public Announcement**"/ "**PA**") and the Letter of Offer ("**LOF**") dated 08.02.2020. The capitalized terms used but not defined in this Post Offer PA shall have the same meaning assigned to them in the PA and the LOF.

The Acquirer had issued the PA seeking to acquire, in accordance with the Delisting Regulations and on the terms and conditions set out therein and in the LOF, upto 1829 equity shares representing 10.45% of the fully paid-up equity share of the Company from its Public Shareholders. Since CSE does not has nation-wide trading terminal, the Public Shareholders holding equity shares of ADL were invited to submit their bids pursuant to the reverse book-building Process ("**RBB Process**") conducted through the Stock Exchange Mechanism made available by BSE Limited, during the bid period (i.e. 18.02.2020 to 26.02.2020), in accordance with the Delisting Regulations.

1. DISCOVERED PRICE AND EXIT PRICE:
In terms of Regulation 15(1) read with Schedule II of the Delisting Regulations, the price determined as Discovered Price (being the price at which shares accepted through eligible bids tendered in the RBB Process results in the shareholding of the Promoters/ Promoter Group reaches to 90% of the fully paid-up equity share of the Company) is Rs. 4,883/- (Rupees Four Thousand Eight Hundred and Eighty Three Only) per equity share. The Acquirer has accepted the Discovered Price of Rs. 4,883/- (Rupees Four Thousand Eight Hundred and Eighty Three Only) per equity share as the final price for the Delisting Offer ("**Exit Price**").

2. SUCCESS OF THE DELISTING OFFER:
(a) In terms of Regulation 17(1)(a) of the Delisting Regulations, and as stated in clause 14(ii) of the PA and clause 15(ii) of the LOF, the Delisting Offer will be deemed to be successful only if a minimum of 79 (Seventy Nine) equity shares representing 0.45% of the fully paid-up equity share of the Company were tendered and acquired in the Delisting Offer at or below the Exit Price so as to cause the cumulative number of Equity Shares held by the Promoters/ Promoter Group post acquisition under the Delisting Offer through the Acquisition Window Facility to be equal to or in excess of 15750 (Fifteen Thousand Seven Hundred Fifty) representing 90% of the fully paid- up equity share of the Company.
(b) The Acquirer will acquire 275 (Two Hundred and Seventy Five) equity shares which were validly tendered at the Exit Price, which is higher than the minimum number of equity shares (i.e. 79) required for the Delisting Offer to be successful in terms of Regulation 17(1)(a) of the Delisting Regulations. Pursuant to the completion of such acquisition, the shareholding of the Promoters/ Promoter Group shall be 15946 (Fifteen Thousand Nine Hundred Forty Six) representing 91.12% of the fully paid- up equity share of the Company.
(c) In terms of Regulation 17(1)(b) of the Delisting Regulations, and as stated in clause 14(iii) of the PA and clause 15(iii) of the LOF, at least 1 (One) Public Shareholder i.e., minimum of 25% of the number of Public Shareholders holding Equity Shares in dematerialized form as on 21.02.2019 (i.e. the date of the meeting of the Board of Directors approving the Delisting Offer or "**Board Meeting Date**") were required to participate in the RBB Process, provided that if the Acquirer along with the Manager to the Offer demonstrates that they have delivered the LOF of this Delisting Offer to all the Public Shareholders either through registered post or speed post or courier or hand delivery with proof of dispatch or through email as a text or as an attachment to the email or as a notification providing electronic link or uniform resource locator including a read receipt (referred to as the "**LOF Delivery Requirement**"), then the mandatory participation of aforementioned number of the Public Shareholders is not required. Further, pursuant to Explanation I of Regulation 17(1)(b) of the Delisting Regulations the LOF Delivery Requirement is deemed to have been complied with (i) if the Acquirer or the Manager to the Offer dispatches the Letter of Offer to all the Public Shareholders of the Company by registered post or speed post through the India Post and is able to provide a detailed account regarding the status of delivery of the Letter of Offer (whether delivered or not) sent through India Post; (ii) if the Acquirer or the Manager to the Offer is unable to deliver the Letter of Offer to certain Public Shareholders of the Company by modes other than speed post or registered post of India Post, efforts should have been made to dispatch the Letter of Offer to them by speed post or registered post of India Post and is able to provide a detailed account regarding the status of delivery of the Letter of Offer (whether delivered or not) sent through India Post.
(d) Maheshwari Datamatics Private Limited, Registrar to the Offer has dispatched the Letter of Offer on 11.02.2020 to all the Public Shareholders as on the Specified Date i.e., 31.01.2020 through Registered Post only. The certificate dated 11.02.2020 by Registrar to the Offer regarding dispatch of Letter of Offer to the Public Shareholders will also be submitted to CSE as a proof, in accordance with the proviso to Regulation 17(1)(b) of the Delisting Regulations.
(e) The Delisting Offer is thus deemed to be successful in terms of the Delisting Regulations.

3. All the Public Shareholders who have validly tendered their Equity Shares at or below the Exit Price will be paid consideration at the Exit Price of Rs. 4,883/- (Rupees Four Thousand Eight Hundred and Eighty Three Only). The last date of payment of consideration to all the Public Shareholders who have validly tendered their Equity Shares at or below the Exit Price and whose Bids have been accepted will be Thursday, 12.03.2020.

4. In regard to the Equity Shares of the Public Shareholders whose Bids have been rejected, the demat shares would be returned to the respective Public Shareholders in accordance with Methods of Settlement contained in clause 17 of the PA and the clause 18 of the LOF, read along with SEBI Circular no. CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 and CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 09, 2016.

5. Subsequently, the Company will initiate the necessary steps to delist the equity shares of the Company from the Stock Exchange. The date of delisting of equity shares shall be announced in the same newspapers in which the PA and this Post Offer PA has appeared.

6. OUTSTANDING EQUITY SHARES AFTER DELISTING:
In accordance with Regulation 21 of the Delisting Regulations, all Public Shareholders who did not participate or were not able to participate or who unsuccessfully tendered their Equity Shares in the RBB Process will be able to offer their equity shares to the Acquirer at the Exit Price during a period of one year starting from the date of delisting of the Equity Shares from the Stock Exchange ("**Exit Window**"). A separate exit offer letter ("**Exit Offer Letter**") in this regard will be sent to such Residual Public Shareholders which will contain terms and conditions for participation post delisting in the Exit Window.

7. All other terms and conditions set forth in the PA and LOF remain unchanged.

8. If the Public Shareholders have any query with regard to the Delisting Offer, they may contact the Manager to the Offer or the Registrar to the Offer during the Exit Window within stipulated time as mentioned in such Exit Offer Letter.

THIS POST OFFER PA IS ISSUED BY THE ACQUIRER
IN TERMS OF REGULATION 18 OF THE DELISTING REGULATIONS

MANAGER TO THE DELISTING OFFER:	REGISTRAR TO THE DELISTING OFFER:
VC Corporate Advisors Private Limited CIN: U67120WB2005PTC106051 SEBI REGN No.: INM000011096 Validity of Registration: Permanent (Contact Person: Ms. Urvi Belani) 31 Ganesh Chandra Avenue, 2nd Floor, Suite No. –2C, Kolkata-700 013 Tel. No.: 033 2225 3940 Fax No.: 033 2225 3941 Email Id: mail@vccorporate.com Website: www.vccorporate.com	**Maheshwari Datamatics Private Limited** CIN: U20221WB1982PTC034886 SEBI REGN No.: INR000000353 Validity of Registration: Permanent (Contact Person: Mr. S. Rajagopal) 23, R.N. Mukherjee Road, 5th Floor, Kolkata – 700 001 Tel. No.: 033 2248 2248 Fax No.: 033 2248 4787 Email Id: mdpldc@yahoo.com Website: www.mdpl.in

Signed by the Acquirer:

For Placid Limited	**For Placid Limited**
Sd/-	**Sd/-**
Yogesh Bangur	**Prince Kumar**
(Joint Managing Director)	**(Company Secretary)**
DIN: 02018075	**Membership No.: 35613**
Date: 03.03.2020	**Place: Kolkata**

www.readwhere.com

कोहली ने निकट भविष्य में बदलाव के संकेत दिए

क्राइस्टचर्च, 3 मार्च (भाषा)।

कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि भारतीय तेज गेंदबाजों की बढ़ती उम्र के कारण टीम के थिंक टैंक ने निकट भविष्य में तेज गेंदबाजों की नई पीढ़ी तैयार करने की जरूरत महसूस की है। जसप्रीत बुमराह के कई और वर्षों तक टीम के तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुआई करने की उम्मीद है लेकिन इशांत(31) और मोहम्मद शमी(29) पहले ही अपने खेल के शीर्ष पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा उमेश यादव भी इस साल 33 साल के हो जाएंगे।

नई प्रतिभाओं पर ध्यान देने का संकेत देते हुए कोहली ने कहा कि हमें यह पहचान करने की जरूरत है कि अगले तीन-चार खिलाड़ी कौन होंगे जो स्तर को बरकरार रख सकें।

अगले कुछ सालों की योजना को छिपाए बिना कोहली ने कहा, 'ये खिलाड़ी अब युवा नहीं होने वाले, इसलिए हमें बेहद सतर्क और जागरूक रहना होगा और स्वीकार करना होगा कि यह स्थिति है जिसका हमें सामना करना पड़ सकता है और हमारे पास ऐसे खिलाड़ी होने चाहिए जो उनकी जगह ले सकें।'

नई प्रतिभाओं पर ध्यान देने का संकेत देते हुए कोहली ने कहा, 'बड़ी तस्वीर देखें तो हमें यह पहचान करने की जरूरत है कि अगले तीन-चार खिलाड़ी कौन होंगे जो स्तर को बरकरार रख सकें क्योंकि आप नहीं चाहते कि अगर अचानक कोई बाहर हो जाए तो उसकी कमी महसूस हो।' कोहली ने कहा, 'क्रिकेट में ऐसा ही होता है। समय-समय पर छोटे स्तर पर बदलाव के दौर का सामना करना पड़ता है और आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए।

रणजी ट्रॉफी 13 साल में पहली बार पहुंचा, 9 को होगा मुकाबला

कर्नाटक को हरा बंगाल फाइनल में

तेज गेंदबाज मुकेश ने चटकाए 6 विकेट, करिअर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

कोलकाता, 3 मार्च (भाषा)।

तेज गेंदबाज मुकेश कुमार ने अपने करिअर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए छह विकेट चटकाए जिससे बंगाल ने रणजी ट्राफी सेमीफाइनल के चौथे दिन मंगलवार को यहां कर्नाटक को 174 रन से हराकर 13 साल में पहली बार रणजी ट्राफी फाइनल में जगह बनाई।

मुकेश ने 61 रन देकर छह विकेट चटकाए जिससे 352 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए कर्नाटक की टीम दूसरी पारी में 55 .3 ओवर में 177 रन पर ढेर हो गई। बंगाल की ओर से इशान पोरेल और आकाश दीप ने भी दो-दो विकेट चटकाए।

कर्नाटक की टीम तीन विकेट पर 98 रन से आगे खेलने उतरी और टीम ने सुबह के सत्र में 16 . 3 ओवर में 79 रन जोड़कर बाकी बचे सात विकेट भी गंवा दिए। बंगाल ने अपना पिछला रणजी खिताब 1989-90 में सौरव गांगुली के पदार्पण सत्र के दौरान जीता था जबकि टीम ने पिछली बार 2007 में फाइनल में जगह बनाई थी लेकिन फाइनल में उसे मुंबई ने 132 रन से हरा दिया था।

फाइनल में बंगाल का सामना गुजरात और सौराष्ट्र के बीच राजकोट में चल रहे एक अन्य सेमीफाइनल के विजेता से होगा। फाइनल नौ मार्च से खेला जाएगा लेकिन बंगाल की टीम को यह मैच विरोधी टीम के मैदान पर खेलना होगा।

बंगाल के गेंदबाज आकाश दीप और उनके कंधे पर मुकेश कुमार जीत के बाद खुशी मनाते

बंगाल की टीम में साहा

कोलकाता, 3 मार्च (भाषा)।

भारत के टैस्ट विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा को मंगलवार को बंगाल की रणजी ट्राफी टीम में शामिल किया गया जो नौ मार्च से फाइनल खेलेगी। साहा को सलामी बल्लेबाज अभिषेक रमन की जगह टीम में शामिल किया जा सकता है जो रन बनाने के लिए जूझ रहे हैं। साहा बांग्लादेश के खिलाफ ईडन गार्डन में एतिहासिक दिन-रात्रि टैस्ट के दौरान दायें हाथ की अंगुली में लगी चोट से उबरे हैं। हालांकि उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ टैस्ट श्रृंखला में 0-2 की हार के दौरान भारत की अंतिम एकादश में जगह नहीं मिली। साहा बंगाल की ओर से पिछली बार 2017-18 सत्र में खेले थे जब उन्होंने चार मैचों में 38.33 की औसत से रन बनाए थे।

भारत शीर्ष पर बरकरार, कोहली दूसरे स्थान पर

दुबई, 3 मार्च (भाषा)।

न्यूजीलैंड के खिलाफ टैस्ट श्रृंखला को 0-2 से गंवाने के बाद भी भारतीय टीम मंगलवार को जारी नवीनतम आइसीसी टैस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर बरकरार है जबकि कप्तान विराट कोहली बल्लेबाजों की सूची में दूसरे पायदान पर हैं।

आइसीसी टैस्ट रैंकिंग

भारतीय टीम के नाम 116 अंक है जो दूसरे स्थान पर काबिज न्यूजीलैंड से छह अंक ज्यादा है। आस्ट्रेलिया 108 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। आईसीसी टैस्ट चैंपियनशिप में भारतीय टीम को पहली बार किसी श्रृंखला में हार का सामना करना पड़ा है।

आइसीसी की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक श्रृंखला की चार पारियों में महज 38 रन बनाने वाले कोहली बल्लेबाजों की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर बरकरार हैं। वह श्रृंखला से पहले रैंकिंग में शीर्ष पर थे लेकिन पहले टैस्ट के बाद दूसरे स्थान पर खिसक गए थे।

हाथ नहीं मिलाएंगे इंग्लैंड और श्रीलंका के खिलाड़ी

लंदन, 3 मार्च (एएफपी)।

इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने कहा है कि उनके खिलाड़ी कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे के कारण श्रीलंका दौरे पर हाथ नहीं मिलाएंगे। रूट से सोमवार को कोरोना वायरस से जुड़ा सवाल पूछा गया। इंग्लैंड की टीम दो टैस्ट की श्रृंखला के लिए श्रीलंका दौरे पर जा रही है।

मुट्ठियां टकराकर करेंगे अभिवादन

रूट ने कहा कि हाथ मिलाने की जगह खिलाड़ी एक-दूसरे का अभिवादन मुट्ठियां टकराकर करेंगे। हाल में दक्षिण अफ्रीका दौरे पर पहले टैस्ट से पूर्व और इसके दौरान इंग्लैंड टीम के कई सदस्यों को पेट में तकलीफ और फ्लू की समस्या से जूझना पड़ा था।

रूट ने कहा, 'दक्षिण अफ्रीका में बीमारी से टीम के सदस्यों के परेशान होने के बाद हम न्यूनतम संपर्क की अहमियत को अच्छी तरह समझते हैं और हमारी मेडिकल टीम ने रोगाणुओं और जीवाणुओं को फैलने से रोकने के लिए हमें व्यावहारिक सलाह दी है।'

2020 में कभी भी हो सकता है तोक्यो ओलंपिक का आयोजन

तोक्यो, 3 मार्च (एपी)।

जापान में कोरोना के कारण अबतक 12 की मौत *कई* खेल प्रतियोगिताएं और ओलंपिक से जुड़े टूर्नामेंट किए गए स्थगित या रद्द

जापान के ओलंपिक मंत्री ने मंगलवार को कहा कि खेलों के आयोजन के अनुबंध में कहा गया है कि यह खेल महाकुंभ 2020 के दौरान ही आयोजित किया जा सकता है। सीको हाशिमोतो ने संसद के उच्च सदन में एक सवाल के जवाब में कहा कि ओलंपिक अगर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 24 जुलाई को शुरू नहीं हो पाता है तो इन्हें साल में बाद में भी आयोजित किया जा सकता है।

तोक्यो ओलंपिक पर तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस का खतरा मंडरा रहा है जिसके कारण जापान में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है और कई खेल प्रतियोगिताएं और ओलंपिक से जुड़े टूर्नामेंट स्थगित या रद्द कर दिए गए हैं।

हाशिमोतो ने संसद में कहा, 'अगर खेलों का आयोजन वर्ष 2020 के दौरान नहीं हो पाता है तो आइओसी तभी खेलों को स्थगित कर सकती है। इसका मतलब यह निकाला जा सकता है कि खेल तभी स्थगित किए जा सकते हैं अगर इनका आयोजन कैलेंडर वर्ष के दौरान न हो पाए।'

महिला टी20 विश्व कप

सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला

सिडनी, 3 मार्च (भाषा)।

कल खेला जाएगा मैच

पहली बार फाइनल में जगह बनाने की कोशिशों में जुटा है भारत

भारत महिला टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ेगा जो ग्रुप बी में दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का मैच बारिश की भेंट चढ़ने के बाद दूसरे स्थान पर रहा। मैच के रद्द होने से दक्षिण अफ्रीका को एक अंक मिला और टीम ग्रुप बी में सात अंक के साथ शीर्ष पर रही।

पहली बार फाइनल में जगह बनाने की कोशिशों में जुटा भारत ग्रुप ए में अपने चारों मैच जीतकर आठ अंक के साथ शीर्ष पर रहा था। तीन जीत और एक हार से छह अंक जुटाने वाले इंग्लैंड और भारत के बीच सेमीफाइनल गुरुवार को खेला जाएगा।

2018 में हुए पिछले टूर्नामेंट में भी यही दोनों टीमें सेमीफाइनल में आमने सामने थी। इंग्लैंड ने 2018 में हुए टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत को हराया था लेकिन फाइनल में आस्ट्रेलिया से हार गया था।

दूसरा सेमीफाइनल दक्षिण अफ्रीका और ग्रुप ए में शीर्ष पर रहे चार बार के चैंपियन आस्ट्रेलिया के बीच गुरुवार को ही सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा।

'फाइनल में जगह बनाएगा भारत'

आस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली का मानना है कि भारत पहली बार फाइनल में जगह बनाएगा और इसका कारण उन्होंने टीम में शेफाली वर्मा जैसी स्टार खिलाड़ियों की मौजूदगी को बताया।

आइसीसी ने ली के हवाले से कहा कि वे कभी फाइनल में नहीं पहुंचे हैं लेकिन पहले जो टीमें देखी हैं यह उनकी तुलना में भारत की बिलकुल अलग टीम है।

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

ओ.बी.सी

(भारत सरकार का उपक्रम)

समाधान, वसूली और विधि, क्लस्टर कार्यालय फरीदाबाद, नीलम चौक, एनआईटी, फरीदाबाद-121002 (हरियाणा) फोन: 0129-2415525, ई-मेल: rrl_7622@obc.co.in

ई-नीलामी विक्री सूचना

परिशिष्ट IV-क, (नियम 8(6) का परन्तुक देखें) अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पतित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस, आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का सांकेतिक/वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार), प्रतिभूत लेनदार ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर दिनांक 25.03.2020 को बेचा जाएगा। बकाया राशि की वसूली कर्जदार(रों) और गारंटर(रों), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार, **धरोहर राशि और दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 24.03.2020 को सांय 4.00 बजे तक है।**

अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं.	कर्जदार का नाम	सम्पत्ति का विवरण एवं स्वामी का नाम	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बोली में वृद्धि हेतु राशि	ई-नीलामी की तारीख/समय	मांग सूचना की तिथि / बकाया राशि (जमानती कर्ज)	ई एम डी प्रेषण खाते का विवरण
1	श्री जसविन्दर सिंह पुत्र श्री जोगिन्दर सिंह और श्री जोगिन्दर सिंह पुत्र मनमोहन सिंह और श्रीमती परमजीत कौर पत्नी जोगिन्दर सिंह	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि मकान नं. 2ई/100 प्रथम तल, दक्षिणी हिस्सा, ब्लॉक ई, एन एच – 2, एनआईटी फरीदाबाद – 121001, क्षेत्रफल 116 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती परमजीत कौर और श्री जोगिन्दर सिंह के नाम पर पंजीकृत, जिला फरीदाबाद। चौहद्दी : उत्तर में – मकान नं. 2ई/100, दक्षिण में – मकान नं. 2ई/101, पूरब में – मकान नं. 2ई/73, पश्चिम में – रोड़	₹ 21.00 लाख ₹ 2.10 लाख ₹ 0.20 लाख	25-03-2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अर्पाह्न 01.00 बजे तक 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार की शर्त पर	20-08-2016 ₹ 21,45,803.00 दिनांक 30.07.2016 तक प्लस ब्याज और अन्य प्रभार	A/c No. 00181181000031 A/c Name : EMD Account Circle Office Name of the Beneficiary: OBC IFSC Code: ORBC0100018
2	मैसर्स रजनी इलैक्ट्रीकल प्रोप. मंजू देवी	1. सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि साम्यिक बंधक दुकान नं. 3ए और 4 सरन स्कूल रोड जवाहर कॉलोनी एन आई टी फरीदाबाद में स्थित है, क्षेत्रफल 36 वर्ग गज., यह सम्पत्ति श्रीमती मंजू देवी के नाम सब रजिस्ट्रार फरीदाबाद, जिला फरीदाबाद में पंजीकृत, चौहद्दी : उत्तर में – दुकान नं. 5, दक्षिण में – दुकान नं. 2, पूरब में – 22 फीट चौडी रोड पश्चिम में – दुकान नं. 8 2. साम्यिक बंधक मकान नं. 2614/8, सरन पब्लिक स्कूल रोड, जवाहर कॉलोनी एन आई टी फरीदाबाद में स्थित है, कर्वड एरिया 103 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती मंजू देवी के नाम पर है, चौहद्दी : उत्तर में – 2614/9, दक्षिण में – 2614/7, पूरब में – दुकान (रजनी इलैक्ट्रीकल्स), पश्चिम में – गली	1. ₹ 42.00 लाख ₹ 4.20 लाख ₹ 0.20 लाख 2. ₹ 32.00 लाख ₹ 3.20 लाख ₹ 0.20 लाख	25-03-2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अर्पाह्न 01.00 बजे तक 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार की शर्त पर	20-03-2017 ₹ 68,92,731.00 और ₹ 36,78,549.00 दिनांक 01.03.2017 तक प्लस ब्याज और अन्य प्रभार	A/c No. 00181181000031 A/c Name : EMD Account Circle Office Name of the Beneficiary: OBC IFSC Code: ORBC0100018
3	मैसर्स एस.पी. रबड़ प्रोपराईटर : श्रीमती भगवती देवी	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि मकान नं. डीसी-551(एफ-7) क्षेत्रफल 155 वर्ग गज, रैक्टैन्गल नं. 47, किला नं. 10/1, मौजा डबुआ, डबुआ कॉलोनी, एन आई टी फरीदाबाद में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती भगवती देवी के नाम पर जिला फरीदाबाद में पंजीकृत, चौहद्दी : उत्तर में – प्लॉट नं. 6, दक्षिण में – रास्ता, पूरब में – प्लॉट नं. 5, पश्चिम में – आगे का रास्ता	₹ 18.20 लाख ₹ 1.82 लाख ₹ 0.20 लाख	25-03-2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अर्पाह्न 01.00 बजे तक 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार की शर्त पर	15-10-2016 ₹ 40,06,199.00 और ₹ 40,81,434.00 दिनांक 30.09.2016 तक प्लस ब्याज और अन्य प्रभार	A/c No. 00181181000031 A/c Name : EMD Account Circle Office Name of the Beneficiary: OBC IFSC Code: ORBC0100018
4	श्री कृष्णा इंडस्ट्रीज	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पत्ति मकान नं. एफसीए – 162, गली / वैस्ट ऑफ एक्स-आर्मी स्कूल, 33फीट बंद रोड, एसजीएम नगर, फरीदाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 197 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती माया देवी पत्नी श्री रघुवीर सिंह के नाम पर सब रजिस्ट्रार फरीदाबद जिला फरीदाबाद में पंजीकृत चौहद्दी : उत्तर में – मकान नं. 161 / श्री धर्म वीर, पूरब में – गली, दक्षिण में – पार्टी का मकान नं. एफसीए –161ए, पश्चिम में – गली	₹ 72.00 लाख ₹ 7.20 लाख ₹ 0.50 लाख	25-03-2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अर्पाह्न 01.00 बजे तक 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार की शर्त पर	₹ 66,69,543.33 + ₹ 9,04,051.67 + दिनांक 01.10.2017 से ब्याज, लागत एवं अन्य प्रभार	A/c No. 00181181000031 A/c Name : EMD Account Circle Office Name of the Beneficiary: OBC IFSC Code: ORBC0100018
5	श्री सिंह राज और श्री नरेन्दर	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि मकान नं. डी एफ 63, गली नं. 6, गाजीपुर रोड, डबुआ कॉलोनी फरीदाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 145.00 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती नरेश देवी पत्नी श्री सिंह राज बंसल के नाम सब-रजिस्ट्रार फरीदाबाद, जिला फरीदाबाद में पंजीकृत, चौहद्दी : उत्तर में – अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण में – 15फीट रास्ता, पूरब में – अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम में – अन्य की सम्पत्ति	₹ 34.40 लाख ₹ 3.44 लाख ₹ 0.20 लाख	25-03-2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अर्पाह्न 01.00 बजे तक 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार की शर्त पर	20-07-2017 ₹ 23,94,683.00 दिनांक 01.07.2017 से भविष्य का ब्याज और अन्य प्रभार	A/c No. 00181181000031 A/c Name : EMD Account Circle Office Name of the Beneficiary: OBC IFSC Code: ORBC0100018
6	मैसर्स खोखर इलेक्ट्रॉनिक्स	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि मकान नं. ए-1101, (पुराना प्लॉट नं. 96 और 97) डी स्टोरी, विवेक विहार के पास, डबुआ कॉलोनी एनआईटी फरीदाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 150 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती सोनिया पत्नी संजीव कुमार के नाम सब-रजिस्ट्रार फरीदाबाद, जिला फरीदाबाद में पंजीकृत, चौहद्दी : उत्तर में – मकान नं. 1100, पूरब में – अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण में – मकान नं. 1102, पश्चिम में – रास्ता	₹ 31.20 लाख ₹ 3.12 लाख ₹ 0.20 लाख	25-03-2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अर्पाह्न 01.00 बजे तक 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार की शर्त पर	01-09-2017 ₹ 31,91,838.38 दिनांक 01.09.2017 तक प्लस ब्याज और अन्य प्रभार	A/c No. 00181181000031 A/c Name : EMD Account Circle Office Name of the Beneficiary: OBC IFSC Code: ORBC0100018
7	श्री योगिन्दर राणा और श्रीमती संगीता	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि मकान नं. एम सी एफ नं. 983ए, ब्लॉक आरा मशीन वाली गली डबुआ कॉलोनी एन आई टी फरीदाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 100.00 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती संगीता पत्नी श्री योगिन्दर के नाम सब-रजिस्ट्रार फरीदाबाद, जिला फरीदाबाद में पंजीकृत, चौहद्दी : उत्तर में – प्लॉट नं. 112/श्री शंकर लाल का मकान, दक्षिण में – प्लॉट नं. 110/मकान नं. 984/ए, पूरब में – अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम में – 11फीट चौडा रास्ता	₹ 21.09 लाख ₹ 2.11 लाख ₹ 0.20 लाख	25-03-2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अर्पाह्न 01.00 बजे तक 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार की शर्त पर	21-07-2017 ₹ 18,69,810.00 दिनांक 01.07.2017 से भविष्य का ब्याज और अन्य प्रभार	A/c No. 00181181000031 A/c Name : EMD Account Circle Office Name of the Beneficiary: OBC IFSC Code: ORBC0100018
8	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री उदय भान शर्मा,	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि मकान नं. डी-536, हनुमान मन्दिर, डबुआ कॉलोनी, फरीदाबाद में स्थित है, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्री अशोक कुमार पुत्र श्री उदय भान शर्मा के नाम पर उप रजिस्ट्रार फरीदाबाद, जिला फरीदाबाद में पंजीकृत। चौहद्दी : उत्तर में अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण में – रास्ता, पूरब में – के.एस. चहल का मकान, पश्चिम में – श्री ध्रुव सिंह का मकान	₹ 18.00 लाख ₹ 1.80 लाख ₹ 0.20 लाख	25-03-2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अर्पाह्न 01.00 बजे तक 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार की शर्त पर	23-02-2017 ₹ 12,45,846.00 दिनांक 01.02.2017 तक प्लस ब्याज और अन्य प्रभार	A/c No. 00181181000031 A/c Name : EMD Account Circle Office Name of the Beneficiary: OBC IFSC Code: ORBC0100018
9	मैसर्स खान बैट्री हॉउस (प्रोप. श्री तालिम पुत्र श्री शरीफ)	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि रिहायशी मकान नं. 3623 वार्ड नं. 11, खेवत नं. 1131 का भाग, म्हारम कॉलोनी, हातिन, हरियाणा, क्षेत्रफल 101 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्री तालिम पुत्र श्री शरीफ के नाम सब-रजिस्ट्रार हातिन, जिला पलवल में पंजीकृत, चौहद्दी : उत्तर मे – रोड़, दक्षिण में – अन्य की सम्पत्ति, पूरब में – अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम में – अन्य की सम्पत्ति	₹ 13.00 लाख ₹ 1.30 लाख ₹ 0.20 लाख	25-03-2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अर्पाह्न 01.00 बजे तक 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार की शर्त पर	04-07-2015 ₹ 16,05,986.00 दिनांक 01.07.2015 तक प्लस ब्याज और अन्य प्रभार	A/c No. 00181181000031 A/c Name : EMD Account Circle Office Name of the Beneficiary: OBC IFSC Code: ORBC0100018
10	मैसर्स मोनू आर्क प्रोडक्ट	साम्यिक बंधक रिहायशी पुराना न. 160 और 161, जिसे अब एमसीएफ 161 कहते है, क्षेत्रफल 208 वर्ग गज, ब्लॉक ई, मौजा गौंची (संजय कॉलोनी) सैक्टर-23, फरीदाबाद में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती शीला देवी पत्नी सधाम सिंह के नाम पर सब रजिस्ट्रार फरीदाबाद जिला फरीदाबाद में पंजीकृत, चौहद्दी : उत्तर में – पीके गुप्ता की सम्पत्ति, पूरब में – जगन नाथ की सम्पत्ति, दक्षिण में – रास्ता, पश्चिम में – रास्ता	₹ 63.90 लाख ₹ 6.39 लाख ₹ 0.50 लाख	25-03-2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अर्पाह्न 01.00 बजे तक 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार की शर्त पर	04-07-2015 ₹ 14,97,269.00 + ₹ 4,79,031 + दिनांक 31.08.2019 से ब्याज और अन्य प्रभार	A/c No. 00181181000031 A/c Name : EMD Account Circle Office Name of the Beneficiary: OBC IFSC Code: ORBC0100018
11	मैसर्स रंगोली डिज़ाईन	साम्यिक बंधक औद्योगिक प्लॉट नं. ई-7, क्षेत्रफल 18 मरला अर्थात 550 वर्ग गज, जिसमें खेवत नं. 126 शामिल है, खेवत नं. 67 खतौनी न. 126, रैक्ट. 21 किला नं. 7/192-0); (7-4); 15/1 (4-16) 17(8-0) खेवत न. 6 खतौनी नं. 11, रैक्ट. 21 किला नं. 24(8-0) जोकि मौजा कंवारा जिसे अब रॉयल औद्योगिक क्षेत्र कैंवारा कहते है खरी जसाना रोड, फरीदाबाद में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती रेखा गौर पत्नी अरविन्द कुमार के नाम पर है चौहद्दी : उत्तर में – अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण में – अन्य की सम्पत्ति, पूरब में – अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम में – रास्ता	₹ 85.00 लाख ₹ 8.50 लाख ₹ 0.50 लाख	25-03-2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अर्पाह्न 01.00 बजे तक 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार की शर्त पर	04-07-2015 ₹ 65,65,856.64 + दिनांक 01.09.2017 से ब्याज और अन्य प्रभार	A/c No. 00181181000031 A/c Name : EMD Account Circle Office Name of the Beneficiary: OBC IFSC Code: ORBC0100018

नियम व शर्तें

1. ई-नीलामी "जो है जहाँ है", "जैसी है जो कुछ भी है" एवं "दायित्व रहित आधार पर" आयोजित की जा रही है।
2. धरोहर राशि और दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 24.03.2020 को सांय 4.00 बजे तक है।
3. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान एवं सूचना के अनुसार सम्पत्ति पर कोई भार नही है। इच्छुक बोलीदाता नीलामी की जाने वाली सम्पत्ति पर किसी भी भार, टाइटल और सम्पत्ति पर किसी भी दावे/अधिकार/बकाए के संबंध में बिड जमा करने से पहले स्वयं जांच कर सकते हैं। सम्पत्ति बैंक को ज्ञात और अज्ञात सभी वर्तमान और भविष्य के ऋण-भार सहित बेची जा रही है। तृतीय पक्ष यदि सम्पत्ति पर किसी बकाए / अधिकार के संबंध में कोई दावा करता है, तो इसके लिए किसी भी तरह से प्राधिकृत अधिकारी/जमानती ऋणदाता जिम्मेदार नहीं होगा।
4. इच्छुक बोलीदाता जिन्होंने धरोहर राशि जमा किया है और लॉगईन आईडी एवं पासवर्ड बनाने, डाटा अपलोडिंग करने, बोली जमा करने, ई-बिडिंग प्रक्रिया पर प्रशिक्षण इत्यादि में अपेक्षित सहायता के लिए **मैसर्स सी1 इण्डिया प्रा. लि., बिल्डिंग नं. 301, प्रथम तल, उद्योग विहार, फेज-2, गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, गुड़गाँव, हरियाणा-122015, हैल्प लाईन न. 0124-4302020/21/22/23/24, ईमेल- delhi@c1india.com, support@bankeauctions.com** व्यक्ति का नाम जिसे सम्पर्क किया जा सके श्री विनोद कुमार / श्री भगत सिंह मो. +91-9813887931 / 7291981129) और सम्पत्ति से सम्बन्धित पूछताछ एवं निरीक्षण के लिए **प्राधिकृत अधिकारी: श्री अतुल सैनी, मो. नं. 9971808400 ई-मेल: rrl_7622@obc.co.in** से कार्यदिवस में सम्पर्क कर सकते है।

उपरोक्त बंधक सम्पत्तियां जो कि ई-नीलामी में लगी हैं की निलामी असफल होने की स्थिति में नियमानुसार बैंक प्राइवेट ट्रीटी द्वारा बिक्री करने का अधिकार रखता है।

(विस्तृत नियम एवं शर्तों हेतु कृपया हमारी वेबसाईट : www.obcindia.co.in और https://www.bankeauctions.com देखें)

दिनांक 03.03.2020 स्थान : फरीदाबाद

प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 108, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।

दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com